इतिहास और राजनीति शास्त्र

नौवीं कक्षा

शासन निर्णय क्रमांक : अभ्यास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ दिनांक २५.४.२०१६ के अनुसार समन्वय समिति का गठन किया गया।
दि. ३.३.२०१७ को हुई इस समिति की बैठक में यह पाठ्यपुस्तक निर्धारित करने हेतु मान्यता प्रदान की गई।

इतिहास और राजनीति शास्त्र

नौवीं कक्षा

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे

संलग्न 'क्यू आर कोड' तथा इस पुस्तक में अन्य स्थानों पर दिए गए 'क्यू आर कोड' स्मार्ट फोन का प्रयोग कर स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के उपरांत आपको इस पाठ्यपुस्तक के अध्ययन-अध्यापन के लिए उपयुक्त लिंक/लिंक्स (URL) प्राप्त होंगी।

प्रथमावृत्ति : २०१७

© महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे - ४११००४

इस पुस्तक का सर्वाधिकार महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के अधीन सुरक्षित है। इस पुस्तक का कोई भी भाग महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के संचालक की लिखित अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता।

इतिहास विषय समिति

डॉ. सदानंद मोरे, अध्यक्ष
श्री मोहन शेटे, सदस्य
श्री पांडुरंग बलकवडे, सदस्य
श्री बापूसाहेब शिंदे, सदस्य
श्री बाळकृष्ण चोपडे, सदस्य
श्री प्रशांत सरूडकर, सदस्य
श्री मोगल जाधव, सदस्य-सचिव

नागरिक शास्त्र विषय समिति

डॉ. श्रीकांत परांजपे, अध्यक्ष
प्रा. साधना कुलकर्णी, सदस्य
डॉ. मोहन काशीकर, सदस्य
श्री वैजनाथ काळे, सदस्य
श्री मोगल जाधव, सदस्य-सचिव

भाषांतरकार

श्री शशि मुरलीधर निघोजकर
डॉ. प्रमोद शुक्ल

समीक्षक

श्री धन्यकुमार बिराजदार
श्रीमती मंजुला त्रिपाठी मिश्रा

विषयतज्ञ

सौ. वृंदा कुलकर्णी
श्री प्रकाश ना. वाघमारे
श्री साहेबराव स. पाटील

भाषांतर संयोजन

डॉ. अलका पोतदार
विशेषाधिकारी, हिंदी
सौ. संध्या विनय उपासनी
विषय सहायक, हिंदी

मुखपृष्ठ एवं सजावट

श्री मुकीम शेख

मानचित्रकार

श्री रविकिरण जाधव

अक्षरांकन

मे. निहार ग्राफिक्स, मुंबई

कागज

७० जी.एस.एम. क्रिमवोव

मुद्रणादेश

N/PB/2017-18/QTY.- 90,000

मुद्रक

M/S. Uchitha Graphics Printers
Pvt. Ltd., Navi Mumbai

इतिहास और नागरिक शास्त्र अभ्यास गट

श्री राहुल प्रभू	डॉ. रावसाहेब शेळके
श्री संजय वझरेकर	श्री मरीबा चंदनशिवे
श्री सुभाष राठोड	श्री संतोष शिंदे
सौ. सुनीता दळवी	डॉ. सतीश चापले
प्रा शिवानी लिमये	श्री विशाल कुलकर्णी
श्री भाऊसाहेब उमाटे	श्री शेखर पाटील
डॉ. नागनाथ येवले	श्री संजय मेहता
श्री सदानंद डोंगरे	श्री रामदास ठाकर
श्री रवींद्र पाटील	डॉ. अजित आपटे
श्री विक्रम अडसूळ	डॉ. मोहन खडसे
सौ. रूपाली गिरकर	सौ. शिवकन्या कदेरकर
डॉ. मिनाक्षी उपाध्याय	श्री गौतम डांगे
सौ. कांचन केतकर	डॉ. व्यंकटेश खरात
सौ. शिवकन्या पटवे	श्री रविंद्र जिंदे
डॉ. अनिल सिंगारे	डॉ प्रभाकर लोंढे

संयोजक

श्री मोगल जाधव
विशेषाधिकारी, इतिहास व नागरिकशास्त्र
सौ. वर्षा सरोदे
विषय सहायक, इतिहास व नागरिकशास्त्र
पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे

निर्मिति

श्री सच्चितानंद आफळे,
मुख्य निर्मिति अधिकारी
श्री प्रभाकर परब,
निर्मिति अधिकारी
श्री शशांक कणिकदळे,
सहायक निर्मिति अधिकारी

प्रकाशक

श्री विवेक उत्तम गोसावी, नियंत्रक
पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ, प्रभादेवी, मुंबई-२५

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता

और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) **को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।**

राष्ट्रगीत

जनगणमन – अधिनायक जय हे
भारत – भाग्यविधाता ।
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,
द्राविड, उत्कल, बंग,
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,
उच्छल जलधितरंग,
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिस मागे,
गाहे तव जयगाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे,
भारत – भाग्यविधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ।।

प्रतिज्ञा

भारत मेरा देश है । सभी भारतीय मेरे भाई–बहन हैं ।

मुझे अपने देश से प्यार है । अपने देश की समृद्ध तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है ।

मैं हमेशा प्रयत्न करूँगा/करूँगी कि उन परंपराओं का सफल अनुयायी बनने की क्षमता मुझे प्राप्त हो ।

मैं अपने माता–पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करूँगा/करूँगी और हर एक से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूँगा/करूँगी ।

मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं अपने देश और अपने देशवासियों के प्रति निष्ठा रखूँगा/रखूँगी । उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है ।

प्रस्तावना

विद्यार्थी मित्रो,

नौवीं कक्षा की इतिहास पाठ्यपुस्तक में इ.स. १९६१ से २००० तक की कालावधि का समावेश किया गया है। यह पुस्तक आपके हाथों में देते हुए हमें आनंद हो रहा है। इतिहास के पाठ्यक्रम को अधिक-से-अधिक अद्यतन करने के प्रयत्नों का एक भाग अर्थात यह पाठ्यपुस्तक है।

इस पाठ्यपुस्तक में इ.स. १९६१ के बाद भारत में हुए सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों के विकास की समीक्षा की गई है अर्थात यह समीक्षा परिपूर्ण नहीं है; इसका भान रखना आवश्यक है। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठों की मर्यादा को ध्यान मे रखते हुए साधारण तौर पर चालीस वर्षों की सामान्य समीक्षा की गई है। उद्योग और कृषि के समावेशवाले भारत की आर्थिक नीतियों का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तनों, महिलाओं के सक्षमीकरण और समाज के अंतिम वर्ग से संबंधित विकास की घटनाओं का उल्लेख इस पुस्तक में है। यह पुस्तक शिक्षा क्षेत्र की प्रगति और बदलते भारत पर प्रकाश डालती है। यह विषय ठीक तरह से समझ में आए; इसके लिए मानचित्र, चित्र, अंक तालिकाएँ और पूरक चौखटों का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त विविध उपक्रम भी सुझाए गए हैं।

इस पाठ्यपुस्तक द्वारा आप भविष्य की प्रतियोगिता परीक्षाओं का अध्ययन एवं इतिहास की उच्च शिक्षा की नींव रख सकते हैं। आपके अभिभावक इस इतिहास के साक्षी हैं। उनसे आप इस पाठ्यपुस्तक को अधिक विस्तार के साथ समझ सकेंगे।

राजनीती शास्त्र विषय के अंतर्गत वर्ष १९४५ से विश्व के प्रमुख प्रवाह, भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा, भारत की सुरक्षा व्यवस्था व भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के समक्ष चुनौतियों का अध्ययन करना है। भारत और अन्य देशों के राजनीतिक संबंध, संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र के शांति, रक्षा कार्य में भारत का योगदान आदि विषयों की चर्चा की गई है।

साथ ही; मानवाधिकार सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और आतंकवाद जैसी कुछ अंतरराष्ट्रीय समस्याओं की पहचान प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक में करवाई गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की सभी प्रकार की गतिविधियों का आकलन करने के लिए प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक का पाठ्यांश उपयुक्त सिद्ध होगा।

इतिहास के अध्ययन से अतीत का आकलन होता है और वर्तमान से परिचित होते हैं। राजनीति शास्त्र के अध्ययन से हमें बोध होता है कि भविष्य में हमें किस दिशा में प्रगति करनी है । इसीलिए यह संयुक्त पाठ्यपुस्तक आधार सिद्ध होगी।

(डॉ. सुनिल मगर)
संचालक
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व
अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे

पुणे
दिनांक : २८ अप्रैल २०१७ अक्षय तृतीया
भारतीय सौर दिनांक : ८ वैशाख १९३९

शिक्षकों के लिए

सर्वप्रथम मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप इतिहास विषय का अध्यापन और अध्ययन कर रहे हैं। इस वर्ष सन १९६१ से २००० तक के कालखंड का अध्यापन आपको नौवीं कक्षा की पुस्तक से करना है। इस पुस्तक का अध्यापन करना आपके लिए अधिक आनंददायी होगा क्योंकि इस पुस्तक की कुछ घटनाओं के आप गवाह हैं। जो घटनाएँ आपके आसपास घटीं, उन्हीं घटनाओं का समावेश इस पुस्तक में किया गया है। पुनः एक बार वह कालखंड आपके लिए जीवित हो उठेगा।

यह भारत का समग्र इतिहास है। पाठ्यपुस्तक की पृष्ठ मर्यादा को ध्यान में रखते हुए चालीस वर्षों का सतत और संपूर्ण इतिहास पाठ्यपुस्तक में समाहित करना कठिन काम है। विद्यार्थियों के आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रभावित करने वाली घटनाओं का समावेश इस पुस्तक में करने का प्रयत्न किया गया है। कुछ प्रमुख घटनाओं के आधार पर आप अन्य घटनाओं की जानकारी विद्यार्थियों को अंतरजाल की सहायता से समझ के लिए प्रवृत्त कर सकते हैं।

इस पाठ्यपुस्तक का केंद्रीय प्रयोजन यह है कि अभी-अभी स्वतंत्र हुआ देश विकास की ओर किस तरह अग्रसर होता है। यह देश विश्व में सबसे बड़ी लोकतंत्र प्रणाली चलाने वाला देश है। इस देश की उन्नति में राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व और वैज्ञानिक, शिक्षा विशेषज्ञ तथा कलाकार का क्या योगदान है; यह बताने का प्रयत्न किया गया है। इसी के साथ-साथ; भारतीय नागरिकों की लोकतंत्र के प्रति आस्था और उसकी रक्षा के लिए यहाँ की सामान्य जनता द्वारा लड़ी गई लड़ाई; इस पुस्तक का महत्त्वपूर्ण भाग है। व्यक्ति की अपेक्षा समाज श्रेष्ठ है, राजनीतिक नेतृत्व की अपेक्षा देश बड़ा है, यही संदेश स्वातंत्र्योत्तर भारत में जनता ने दिया है। घटनाओं में निहित आशय का उद्देश्य विद्यार्थियों तक पहुँचना आपके सामने एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान समय की आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से शिक्षक वर्ग इस चुनौती को सहजता के साथ पूरा कर सकेंगे; ऐसा विश्वास है।

हमने जिस कालखंड का अनुभव किया उसका अध्यापन करना यह पहली बार होने वाला है। यह एक ऐतिहासिक कार्य है। स्वातंत्र्योत्तर भारत के निर्माण में हम भी कुछ योगदान दे सकते हैं; यह महत्त्वपूर्ण तथ्य विद्यार्थियों के मन पर प्रतिबिंबित करने के लिए यह पुस्तक उपयुक्त सिद्ध होगी। इसके लिए मानचित्र, चित्र, चौखटें और उपक्रम जैसे साधनों का उपयोग करना है किंतु हमारा लक्ष्य विद्यार्थियों के सम्मुख 'सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ताँ हमारा' के आशय को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना है।

राजनीति शास्त्र विषय के अंतर्गत हम इस कक्षा में 'भारत और विश्व' के पारस्परिक संबंधों की समीक्षा करेंगे। आधुनिक समय में वैश्विक और अंतरराष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों का परिणाम सभी देशों पर होता है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुई की उन्नति के कारण राष्ट्रों के बीच व्यवहार और लेन-देन बढ़ गया है। भारत को केंद्र में रखकर गुत्थमगुत्थीवाले अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जानकारी आपको विद्यार्थियों को करवानी है। उसकी शुरुआत अर्थात निकट के इतिहास की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों और प्रवाह के आकलन द्वारा करवाकर देनी होगी। प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक का पाठ्यांश नया है। सहजता के साथ वह ग्रहण किया जा सके; इसके लिए पाठ्यांश की प्रस्तुति ज्ञानरचनावादी दृष्टि से की गई है; विषय में इसका निर्माण हो इसलिए आशय अलग पद्धति से प्रस्तुत किया गया है। विद्यार्थी अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने का प्रयास पहली बार कर रहे हैं इसलिए शिक्षक अध्यापन करते समय विविधतापूर्ण और अपारंपारिक स्रोतों का आधार लें। ऐसी पद्धतियों में परिणामकारी उपाययोजना के लिए इस पाठ्यपुस्तक में भरपूर अवसर है। विश्वशांति और सुरक्षा का संवर्धन, मानवाधिकारों के प्रति आदर, शांति एवं पारस्परिक विश्वास जैसे मूल्यों के प्रति और उसके आनुषंगिक रूप से होने वाली कृतियों के प्रति विश्वास दृढ़ करने का प्रयत्न शिक्षक करेंगे; ऐसी अपेक्षा है।

अनुक्रमणिका

स्वातंत्र्योत्तर भारत
(वर्ष १९६१ से वर्ष २००० तक)

क्र.	पाठ का नाम	पृष्ठ क्र.
१.	इतिहास के साधन	१
२.	भारत : १९६० के बाद की घटनाएँ	५
३.	भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियाँ	१०
४.	आर्थिक विकास	१५
५.	शिक्षा की विकास यात्रा	२३
६.	महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तीकरण	३१
७.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	३७
८.	उद्योग तथा व्यापार	४३
९.	बदलता जीवन : भाग १	४७
१०.	बदलता जीवन : भाग २	५२

S.O.I. Note : The following foot notes are applicable : (1) © Government of India, Copyright : 2017. (2) The responsibility for the correctness of internal details rests with the publisher. (3) The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line. (4) The administrative headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh. (5) The interstate boundaries amongst Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya shown on this map are as interpreted from the "North-Eastern Areas (Reorganisation) Act. 1971," but have yet to be verified. (6) The external boundaries and coastlines of India agree with the Record/Master Copy certified by Survey of India. (7) The state boundaries between Uttarakhand & Uttar Pradesh, Bihar & Jharkhand and Chattisgarh & Madhya Pradesh have not been verified by the Governments concerned. (8) The spellings of names in this map, have been taken from various sources.

क्षमता विधान

क्र.	घटक	क्षमता
१.	इतिहास के साधन	❊ ऐतिहासिक साधनों का वर्गीकरण करना। ❊ ऐतिहासिक साधनों के अध्ययन में तत्कालीन घटनाओं की कल्पना करना एवं अनुमान करना। ❊ ऐतिहासिक संदर्भों का योग्य वाचन कर उसका अर्थ बताना। ❊ ऐतिहासिक वस्तु, दस्तावेज, पुस्तकें, सिक्के व इलेक्ट्रॉनिक जानकारी एकत्रित कर संग्रह करना। उसी प्रकार उनका वर्गीकरण विविध पद्‌धतियों से करना। ❊ ऐतिहासिक घटनाओं का अर्थ वस्तुनिष्ठ रीति से लगाना।
२.	राष्ट्र निर्माण की चुनौती : भाग १	❊ भारतीय स्वतंत्रता के बाद की गतिविधियों की ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम योग्य पद्‌धति से बताना। ❊ भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना। ❊ भारत की आर्थिक नीतियाँ काल के अनुसार बदलती गईं, यह स्पष्ट करना। ❊ वैश्वीकरण के कारण हुए आर्थिक सुधारों के परिणामों की समीक्षा करना। ❊ निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के कारण भारतीय अर्थ व्यवस्था में हुए परिवर्तनों की कारण मीमांसा करना।
३.	राष्ट्र निर्माण की चुनौती : भाग २	❊ भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास के सोपान बताना। ❊ विविध सामाजिक समस्याओं से छुटकारा पाने हेतु शिक्षा महत्त्वपूर्ण माध्यम है, यह बताना। ❊ समाज के दुर्बल घटकों के विकास के लिए विविध प्रयत्न एवं उनके महत्त्व पहचानना। ❊ स्वातंत्र्योत्तर भारत के विज्ञान तथा प्रौद्‌योगिकी की प्रगति के उदाहरण बताना। ❊ उद्‌योग और व्यापार क्षेत्र से संबंधित संगठनों की जानकारी प्राप्त कर उनका भारतीय अर्थ व्यवस्था पर परिणाम बताना। ❊ विज्ञान तथा प्रौद्‌योगिकी की प्रगति के संबंध में गर्व करना। ❊ अंतरजाल की सहायता से नए-नए शोधों की जानकारी प्राप्त करना।
४.	बदलता जीवन	❊ जनमत निर्माण तथा नगरीय समाज सक्रिय करने में प्रसार माध्यमों की भूमिका तथा जिम्मेदारियों को पहचानना। ❊ शहरीकरण एवं ग्रामीण जीवन की तुलना कर बताना। ❊ सामाजिक समता का समर्थन करने के संबंध में बोध निर्माण होना। ❊ वैज्ञानिक दृष्टिकोण आत्मसात करना।

१ इतिहास के साधन

अब तक हमने प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन किया है। इस वर्ष हम स्वातंत्र्योत्तर कालखंड के भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। आधुनिक कालखंड के ऐतिहासिक साधन प्राचीन और मध्ययुगीन साधनों की अपेक्षा भिन्न हैं। लिखित साधन, भौतिक साधन, मौखिक साधन, दृश्य-श्रव्य माध्यम के साधन आदि के आधार पर इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। आधुनिक समय में हमें प्रादेशिक, राज्य स्तर, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के साधनों का विचार करना पड़ता है। इन साधनों की सहायता से हम इतिहास लेखन कर सकते हैं।

लिखित साधन : लिखित साधनों में निम्न साधनों का समावेश होता है।

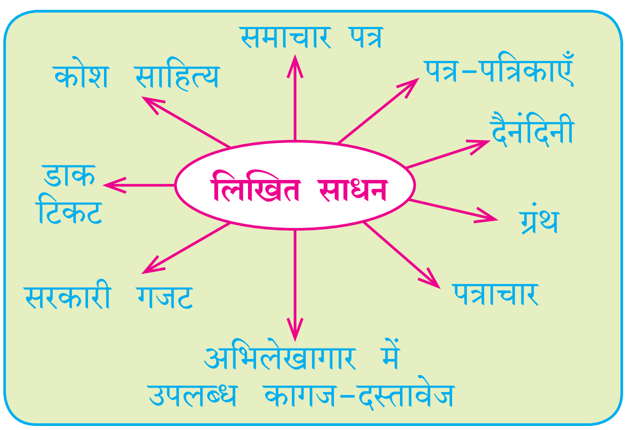

क्या आप जानते हैं?

ऐतिहासिक दस्तावेज जिस स्थान पर सुरक्षित रखे जाते हैं; उस स्थान को 'अभिलेखागार' कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में है। यह अभिलेखागार एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा अभिलेखागार है।

आधुनिक समय में समाचारपत्र जैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वैसे ही वे जानकारी देने वाले प्रमुख साधन भी हैं। वर्ष १९६१ से २००० की कालावधि का विचार करें तो दिखाई देता है कि प्रारंभ में छापा माध्यमों का विशेषतः समाचारपत्रों का विकल्प नहीं था। भारत में उदारीकरण को प्रारंभ हुआ और इंटरनेट(अंतरजाल) का सब ओर प्रसार-प्रचार प्रारंभ हुआ। फलतः छापा माध्यमों का विकल्प उपलब्ध हुआ। यद्‌यपि ऐसा हुआ; फिर भी छापा प्रसार माध्यमों की सामर्थ्य अभी भी बनी हुई है।

समाचारपत्र : हम समाचारपत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं, राजनीति, कला, खेल-कूद, साहित्य, समाजनीति और सांस्कृतिक घटनाओं से अवगत होते हैं। मानव जीवन से जुड़ी सभी गतिविधियाँ समाचारपत्र में छपती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले समाचारपत्र समूहों ने अपने प्रादेशिक संस्करणों का प्रकाशन प्रारंभ किया है। अलग-अलग विषयों की जानकारी देने वाले उनके पूरक संस्करण होते हैं। छापा माध्यमों में आंदोलन के मुखपत्र, राजनीतिक दलों की साप्ताहिक पत्रिकाएँ अथवा दैनिक समाचारपत्र, मासिक और वार्षिक पत्रिकाएँ महत्त्वपूर्ण होती हैं।

कुछ समाचारपत्र वर्ष के अंत में संपूर्ण वर्ष की महत्त्वपूर्ण घटनाओं की समीक्षा करने वाले संस्करण प्रकाशित करते हैं। हमें उन संस्करणों द्‌वारा संपूर्ण वर्ष की प्रमुख घटनाओं को समझने में सहायता प्राप्त होती है।

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) : वर्ष १९५३ के बाद भारत के बहुसंख्यक समाचारपत्रों के लिए सभी महत्त्वपूर्ण घटनाओं का प्राथमिक विवरण, महत्त्वपूर्ण विषयों पर आधारित लेखों का उपलब्ध स्रोत प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अनगिनत समाचारपत्रों को विभिन्न समाचार, छायाचित्र, आर्थिक और वैज्ञानिक विषयों से संबंधित लेखों की आपूर्ति की है। अब पीटीआई ने अपनी ऑन लाइन सेवाएँ प्रारंभ की है। पीटीआई ने १९९० के दशक में टेलीप्रिंटर्स के स्थान पर 'उपग्रह प्रसारण' तकनीक द्‌वारा समाचार भेजना शुरू किया है। आधुनिक भारत के इतिहास लेखन के लिए यह सामग्री महत्त्वपूर्ण है।

क्या आप जानते हैं?

छापा (प्रिंट) माध्यम के अंतर्गत भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित वार्षिक ग्रंथ में समाविष्ट जानकारी विश्वसनीय होती है। जैसे : सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा **'INDIA 2000'** वार्षिक संदर्भ ग्रंथ प्रकाशित किया गया है। यह ग्रंथ 'अनुसंधान संदर्भ एवं प्रशिक्षण' विभाग के अंतर्गत तैयार किया गया है।

इस ग्रंथ में देश, लोग, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, राजनीतिक व्यवस्था, रक्षा, शिक्षा, सांस्कृतिक घटनाएँ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में घटित घटनाएँ, पर्यावरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण, दूरसंचार एवं प्रसार माध्यम, मौलिक आर्थिक जानकारी, वित्त आपूर्ति, योजना आयोग, कृषि, जल संवर्धन, ग्रामीण विकास, अनाज एवं नगरीय आपूर्ति, ऊर्जा, उद्‌योग, व्यापार, परिवहन, दूरसंवेदी व्यवस्था, श्रम, गृह योजनाएँ, न्याय एवं विधि, युवा और खेल कूद विभाग आदि से संबंधित घटनाओं की समीक्षा तथा सामान्य रूप से उपयुक्त जानकारी का समावेश है। ऐसी जानकारी के आधार पर हमारे लिए इतिहास का लेखन करना संभव हो जाता है।

वेबसाइट:www.publicationsdivision.nic.in

डाक टिकट : डाक टिकट स्वयं कुछ नहीं कहते परंतु इतिहासकार उनसे बुलवाता है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद से लेकर अब तक डाक टिकटों में अलग-अलग रूपों में परिवर्तन हुए हैं। टिकटों के आकारों में आई हुई विविधता, विषयों की नवनवीनता, विभिन्न रंगसंगति के कारण डाक टिकट हमें बदलते समय के बारे में बहुत कुछ कहते रहते हैं।

डाक विभाग राजनीतिक नेताओं, पुष्पों, पशु-पक्षियों, किसी अवसर, किसी प्रसंग की रजत, स्वर्ण जयंती, अमृत महोत्सव, शताब्दी, द्‌विशताब्दी, त्रिशताब्दी पूर्ति के उपलक्ष्य में टिकट का प्रकाशन करता है। यह टिकट इतिहास की अनमोल थाती होता है।

क्या आप जानते हैं?

भारत सरकार ने वर्ष १९७७ में जाल कूपर टिकट का प्रकाशन करवाया। जाल कूपर 'डाक टिकट' के विषय में अंतरराष्ट्रीय स्तर के अध्ययनकर्ता थे। कूपर का जन्म मुंबई में पारसी परिवार में हुआ था। उन्होंने 'इंडियाज स्टैंप जर्नल' का संपादन कार्य किया था। वे भारत के सर्वप्रथम टिकट संग्राहक ब्यूरो के संस्थापक (First Philatelic Bureau) थे। उन्होंने 'इम्पायर ऑफ इंडिया फिलाटेलीक सोसाइटी' की स्थापना की। आगे चलकर इस विषय पर उन्होंने पुस्तकें लिखीं। अपनी इस रुचि को उन्होंने वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। भारतीय डाक टिकटों के अध्ययन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। डाक टिकट संग्राहक के कार्य को प्रारंभ कर विश्व स्तर तक पहुँचने वाले कूपर के योगदान को समझने के लिए उनपर प्रकाशित किया गया यह डाक टिकट महत्त्वपूर्ण साधन है।

जाल कूपर - डाक टिकट

भौतिक साधन: भौतिक साधनों में निम्न साधनों का समावेश होता है।

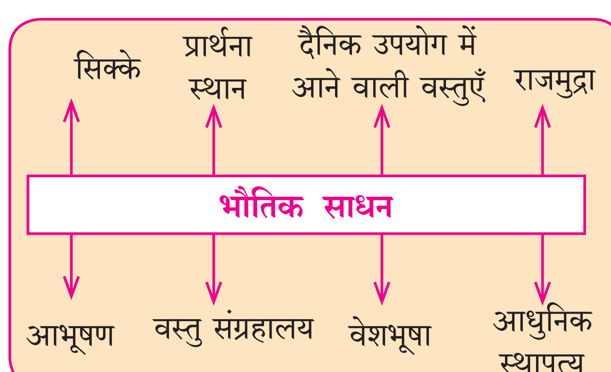

सिक्के : सिक्कों तथा बदलते गए नोटों की छपाई के माध्यम से हम इतिहास को समझ सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों को छापने का कार्य करता है। उसका मुख्यालय मुंबई में है।

सिक्के

वर्ष १९५० से लेकर वर्तमान समय तक के सिक्कों, उनको बनाने के लिए उपयोग में लाई गई धातु, उनके आकार, उनपर अंकित विषयों की विभिन्नता के आधार पर हमें भारत की समसामयिक और महत्त्वपूर्ण समस्याओं का बोध होता है। जैसे-जनसंख्या को सीमित रखने का संदेश देने वाले सिक्के, कृषि और किसानों का महत्त्व बताने वाले सिक्के।

संग्रहालय : भारत के सभी राज्यों में उनकी अपनी प्रादेशिक विशेषताएँ बताने वाले वस्तु संग्रहालय हैं। उनके आधार पर हमें इतिहास को समझने में सहायता प्राप्त होती है। (जैसे- मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, रिजर्व बैंक का पुणे में वस्तु संग्रहालय) सरकारी संग्रहालयों के अतिरिक्त कुछ संग्राहक स्वयं के संग्रहालय स्थापित करते हैं। ये संग्रहालय भी अनूठे और वैशिष्ट्यपूर्ण होते हैं। जैसे- सिक्के, नोट, विभिन्न आकारोंवाले दीये, सरौते, क्रिकेट की सामग्री।

मौखिक साधन : इन साधनों में लोककथाएँ, लोकगीत, लोकोक्तियाँ, ओवियाँ (चक्की के गीत) आदि का समावेश होता है। जैसे- संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के समय लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, शाहीर अमर शेख के लोकगीतों द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रेरणा प्राप्त होती थी।

दृश्य और श्रव्य माध्यम: दूरदर्शन, फिल्म, इंटरनेट, (अंतरजाल) आदि साधनों को दृश्य-श्रव्य साधन कहते हैं। इनमें देशीय तथा विदेशी चैनलों का समावेश होता है। जैस- हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल।

करके देखें ।

साहित्य में कोई घटना किस प्रकार प्रतिबिंबित होती है और कवि किसी घटना की ओर किस प्रकार देखता है, इसका एक उदाहरण मराठी कविवर्य कुसुमाग्रज की कविता 'आवाहन' है। यह कविता भारत और चीन के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर रची गई है।

बर्फाचे तट पेटुनि उठले सदन शिवाचे कोसळते
रक्त आपुल्या प्रिय आईचे शुभ्र हिमावर ओघळते!
असुरांचे पद भ्रष्ट लागुनी आज सतीचे पुण्य मळे
अशा घडीला कोण करंटा तटस्थेने दूर खळे
कृतांत ज्वाला त्वेषाची ना कोणाच्या हृदयात जळे
साममंत्र तो सरे, रणाची नौबत आता धडधडते
रक्त आपुल्या प्रिय आईचे शुभ्र हिमावर ओघळते!

ऐसी ही अनगिनत घटनाओं पर लिखे गए साहित्य की खोज कीजिए।

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (FTII) : भारत सरकार ने पुणे में वर्ष १९६० में लोकशिक्षा देने के उद्‌देश्य से फिल्म एंड टेलीविजन इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया नामक संस्थान की स्थापना की। इंडियन न्यूज रिव्यू नामक संस्थान ने राजनीति, समाजनीति, कला, खेल-कूद और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में घटित महत्त्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित समाचार फिल्में (डॉक्यूमेंटरी फिल्में) बनाई हैं। इस विभाग ने समाज का नेतृत्व करने वाले और देश के लिए अपना योगदान देने वाले व्यक्तियों और महत्त्वपूर्ण स्थानों की जानकारीप्रद अनुबोध फिल्में(डॉक्यूमेंटरी)

एफटीआईआई का बोध चिह्न

करके देखें

तुम्हें देशभक्ति के विषय पर बनी कौन-कौन-सी फिल्में मालूम हैं?

तुम्हें जो फिल्म अच्छी लगी है, उसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए।

बनाई हैं। आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए ये समाचार फिल्में और अनुबोध फिल्में उपयोगी हैं।

अब तक हमने इतिहास लेखन के लिए उपयोगी कुछ साधन देखे हैं। इक्कीसवीं शताब्दी में समय इतनी तीव्र गति से बदल रहा है कि ये साधन भी अपर्याप्त सिद्ध होंगे। परिणामस्वरूप अब स्वाभाविक रूप से नए साधन आगे आ रहे हैं। जैसे-घरेलू टेलीफोन से लेकर मोबाइल तक। इस यात्रा में 'पेजर' नामक साधन संपर्क करने हेतु अस्तित्व में आया था। यह जिस तेज गति से आया था, उसी तेज गति से समाप्त भी हो गया। अंतरजाल (इंटरनेट) पर उपलब्ध विपुल और प्रचंड जानकारी का भी उपयोग इतिहास के लेखन में किया जाता है, परंतु इस जानकारी की सत्यता और यथार्थता की जाँच-पड़ताल करनी पड़ती है।

इन सभी साधनों के आधार पर इतिहास का अध्ययन करना सहज और सरल हो गया है। साथ ही, ये सभी साधन आधुनिक समय के हैं। अतः उनका उपलब्ध होना संभव होता है। इतिहास मानव जीवन के सभी अंगों को स्पर्श करता है। अतः उसके साधनों के संरक्षण के प्रयास सभी स्तरों पर किए जा रहे हैं। ऐसे प्रयास हम भी करेंगे।

स्वाध्याय

१. **(अ) दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखिए।**

(१) भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार .... में है।

(अ) पुणे (ब) नई दिल्ली
(क) कोलकाता (ड) हैदराबाद

(२) दृश्य-श्रव्य साधनों में .... साधन का समावेश होता है।

(अ) समाचारपत्र (ब) दूरदर्शन
(क) आकाशवाणी (ड) पत्र-पत्रिकाएँ

(३) भौतिक साधनों में .... का समावेश नहीं होता है।

(अ) सिक्के (ब) आभूषण
(क) इमारतें (ड) लोकोक्तियाँ

(ब) निम्न में से विसंगत जोड़ी पहचानिए और लिखिए।

व्यक्ति	विशेष
जाल कूपर	- डाक टिकट के अध्ययनकर्ता
कुसुमाग्रज	- कवि
अण्णाभाऊ साठे	- लोकशाहीर
अमर साबले	- चित्र संग्राहक

२. **टिप्पणी लिखिए।**

(१) लिखित साधन (२) प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया

३. **कारण लिखिए।**

(१) डाक विभाग डाक टिकटों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विरासत एवं समरसता के संवर्धन तथा संरक्षण हेतु प्रयास करता है।

(२) आधुनिक भारत का इतिहास लिखने के लिए दृश्य-श्रव्य माध्यम महत्त्वपूर्ण होते हैं।

उपक्रम

(१) विद्यालय का हस्तलिखित समाचारपत्र (डाक्यूमेंटरी) तैयार कीजिए।

(२) Archaeological Survey of India के अधिकृत संकेत स्थल पर उपलब्ध अलग-अलग जानकारीप्रद डॉक्यूमेंटरीज देखिए।

(३) आप अपने गाँव का इतिहास लिखने के लिए किन साधनों का उपयोग करेंगे? उन साधनों की सहायता से अपने गाँव का इतिहास लिखिए।

२ भारत : १९६० के बाद की घटनाएँ

वर्ष १९४७ में भारत स्वतंत्र हुआ। १९५० में भारत ने संविधान का अंगीकार किया और भारत प्रभुता संपन्न, लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। भारतीय समाज विविधताओं से संपन्न है तथा इस समाज में विविध भाषा, जाति, वंश और धर्म के लोग रहते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के प्रारंभिक समय में भारत को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास से जुड़ी समस्याओं को हल करना था। योजना आयोग का गठन करना और औद्योगिकीकरण को प्राथमिकता देना, इन दो बातों को आर्थिक विकास को साध्य करने और देश की दरिद्रता की समस्या को दूर करने के उपाय के रूप में स्वीकार किया गया। चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाना तथा लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति हमारे विश्वास के कारण हमें राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त करना संभव हुआ। साथ ही; उन अनगिनत सामाजिक सुधारों को प्रत्यक्ष में उतारने के प्रयास किए गए; जिन सुधारों में कमजोर समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों का समावेश था।

१९६० का दशक : भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित करने वाली कई घटनाएँ वर्ष १९६० के दशक में घटित हुईं। पुर्तगालियों के आधिपत्य में गोआ, दमन और दीव प्रदेश थे। ये प्रदेश पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्त हुए तथा वे भारतीय संघ राज्य के अंग बने। देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष १९५० से ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। अंततः इस तनाव की परिणिति दोनों देशों के बीच सीमा रेखा युद्ध में हुई। यह युद्ध मैकमोहन (वर्ष १९६२) रेखा के क्षेत्र में हुआ।

पं.जवाहरलाल नेहरू

भारत स्वतंत्र होने के पश्चात के कालखंड में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का नेतृत्व किया। वे भारत की विदेश नीति के शिल्पकार थे। भारत के सामाजिक -आर्थिक विकास में उनके द्‌वारा दिया गया योगदान बहुमूल्य है।

लालबहादुर शास्त्री

वर्ष १९६४ में भारत के प्रधानमंत्री पं. नेहरू का निधन हुआ। इसके पश्चात लालबहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में वर्ष १९६५ में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या को लेकर पुनः एक बार युद्‌ध हुआ। दोनों देशों के बीच सोवियत यूनियन ने मध्यस्थी (बीच-बचाव) करने का प्रयास किया। लालबहादुर शास्त्री ने ही देश को 'जय जवान, जय किसान' का नारा दिया और इसी नारे के माध्यम से उन्होंने भारतीय किसान और जवान (सैनिक) का महत्त्व रेखांकित किया। वर्ष १९६६ में लाल बहादुर शास्त्री का ताश्कंद में निधन हुआ।

इंदिरा गांधी

वर्ष १९६६ में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनीं। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान ने पूर्व पाकिस्तान के प्रति दमन नीति का अवलंब किया। यही दमन नीति पूर्व पाकिस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने का कारण बनी।

इस आंदोलन का नेतृत्व शेख मुजीब-उर-रहमान की मुक्ति सेना ने किया। पूर्व पाकिस्तान की उस समस्या का परिणाम भारत पर भी हुआ क्योंकि पूर्व पाकिस्तान से करोड़ों शरणार्थी भारत में आ गए थे।

वर्ष १९७० का दशक : वर्ष १९७१ में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्‌ध हुआ। इस युद्‌ध की परिणति बांग्ला देश के स्वतंत्र होने में हुई। परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांति स्थापित करने हेतु करना हमारी नीति है। इस नीति के एक अंग के रूप में भारत ने वर्ष

१९७४ में राजस्थान के पोखरण में भूमि के अंदर सफल परमाणु परीक्षण किया। वर्ष १९७५ में सिक्किम की जनता ने भारतीय संघराज्य में विलीन होने के पक्ष में मतदान किया और उसके अनुसार भारतीय संघराज्य में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।

इस दशक में भारत की राजनीति में अस्थिरता उत्पन्न हो गई। वर्ष १९७४ में श्रीमती इंदिरा गांधी द्‌वारा चुनाव प्रचार में सरकारी साधनों के दुरूपयोग किए जाने का निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनाया। इसको विरोध जताने के लिए संपूर्ण देश में हडतालें हुईं। इसी बीच जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुए। फलस्वरूप परिस्थिति अधिकाधिक बिकट और जटिल बन गई। देश में कानून और व्यवस्था चरमरा गई। परिणामतः सरकार ने संविधान में उल्लिखित आपातकालीन स्थिति से संबंधित प्रावधान के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। आपातकाल में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए गए। आपातकाल के कारण भारतीय प्रशासन व्यवस्था में अनुशासन आ गया परंतु इस कारण मानवीय अधिकार भी सिकुड़ गए। राष्ट्रीय आपातकाल की यह कालावधि वर्ष १९७५ से १९७७ तक रही। इसके पश्चात आम चुनाव संपन्न हुए।

आपातकाल की पार्श्वभूमि में कई विरोधी दल इकट्‌ठे आए और उन्होंने जनता पार्टी का गठन किया। इस नई गठित जनता पार्टी ने श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्ववाली काँग्रेस पार्टी को बुरी तरह से पराजित किया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, परंतु उनके नेतृत्ववाली जनता पार्टी की सरकार आपसी मतभेदों के कारण अधिक समय तक चल नहीं सकी। इसके बाद चरणसिंह प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार भी अल्पकाल की रही। वर्ष १९८० में पुनः चुनाव हुए और श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में काँग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में आई।

वर्ष १९८० का दशक : इस दशक में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अनेक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पंजाब में सिखों ने स्वतंत्र खलिस्तान राज्य की माँग को लेकर आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन ने अत्यंत उग्र और भयानक स्वरूप धारण किया। वास्तव में इस आंदोलन को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। वर्ष १९८४ में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आश्रय लिए हुए आंतकवादियों को मंदिर से निष्कासित कर देने के लिए भारतीय सेना को वहाँ भेजना पड़ा। श्रीमती इंदिरा गांधी के सुरक्षा रक्षक दल के सिख रक्षकों ने ही उनकी हत्या की। इसी कालावधि में पूर्वोत्तर भारत में उल्फा संगठन द्‌वारा बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया।

राजीव गांधी

वर्ष १९८४ में राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की बागडोर अपने हाथ में ली। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्‌योगिकी क्षेत्रों में अनेक सुधार लाने का प्रयास किया। राजीव गांधी ने श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों की समस्या को हल करने में पहल की। तमिल समुदाय को देश के भीतर स्वायत्तता देकर श्री-लंका की अखंडता को बनाए रखने के श्रीलंका के प्रस्ताव को उन्होंने समर्थन दिया था, परंतु इस संदर्भ में उनके द्‌वारा किए गए प्रयासों को सफलता नहीं मिली।

रक्षा सामग्री को लेकर और विशेष रूप से बोफोर्स कंपनी द्‌वारा दूर तक मार करने वाली तोपों की खरीदारी के मामले में हुए भ्रष्टाचार के कांड में उनकी कड़ी आलोचना हुई। इस अवधि में हुए चुनावों में राजनीतिक भ्रष्टाचार एक महत्त्वपूर्ण मुद्‌दा बना और इस आम चुनाव में काँग्रेस पार्टी की पराजय हुई। इसके बाद अलग-अलग दल इकट्‌ठे हुए और जनता दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति निर्धारित की। यह उनका सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान माना जाता है। दल के अंतर्गत चलने वाले विवादों- कलहों के कारण वे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने नहीं रह सके। वर्ष १९९० में चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने। उनकी

सरकार भी अल्पकालिक रही। वर्ष १९९१ में चुनाव प्रचार के दौरान श्रीलंका के लिट्टे (LTTE) संगठन ने राजीव गांधी की हत्या की।

१९८० के दशक के अंत में जम्मू और कश्मीर में असंतोष धधकना प्रारंभ हुआ। वहाँ चलने वाली आतंकवादियों की गतिविधियों ने कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भाग जाने के लिए विवश किया। यह समस्या अधिकाधिक गंभीर बनती गई और अब इस समस्या ने आतंकवाद का स्वरूप धारण कर लिया है।

वर्ष १९९१ के बाद के परिवर्तन: विश्व और भारत के इतिहास में वर्ष १९९१ महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों का वर्ष रहा। लगभग इसी वर्ष सोवियत यूनियन (रूस) का विघटन हुआ और विश्व में चल रहा शीतयुद्ध समाप्त हो गया। भारत में पी.वी.नरसिंह राव की सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था में कई परिवर्तन लाए। इसी समय अयोध्या की रामजन्मभूमि तथा बाबरी मसजिद का मुद्दा सामने आ गया।

वर्ष १९९६ से १९९९ की कालावधि में भारत की लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था। अतः इस कालावधि में अनेक प्रधानमंत्री सत्ता में आए हुए दिखाई देते हैं। उनमें अटलबिहारी वाजपेयी, एच.डी.देवेगौड़ा और इंद्रकुमार गुजराल थे। अंततः वर्ष १९९९ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्तासीन हुआ और अटलबिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने।

अटलबिहारी वाजपेयी

अटलबिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का प्रयास किया परंतु सफलता नहीं मिली। वर्ष १९९८ में भारत ने और भी परमाणु परीक्षण कर स्वयं को परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र के रूप में घोषित किया। वर्ष १९९९ में कश्मीर के मुद्दे पर फिर एक बार भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल में युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया।

भारत की अर्थव्यवस्था : स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के साथ-साथ समाजवादी ढाँचा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ रही हैं। उद्योगों की स्थापना कर भारत को आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता को साध्य करना था। सामाजिक न्याय पर आधारित अर्थव्यवस्था को नियोजन द्वारा अस्तित्व में लाना था। अतः योजना आयोग का गठन किया गया और पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया गया।

वर्ष १९९१ में नरसिंह राव की सरकार ने आर्थिक सुधारों को कार्यान्वित करना प्रारंभ किया। इन आर्थिक सुधारों को आर्थिक उदारीकरण कहते हैं। इस नीति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था संपन्न बनी। भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। उद्योग, विज्ञान क्षेत्र के कुशल भारतीय व्यवसायियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने हेतु सहयोग दिया। सूचना एवं प्राद्योगिकी क्षेत्र के उद्योगों ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए। वर्ष १९९१ के पश्चात हुए इन परिवर्तनों का वर्णन 'वैश्वीकरण' के रूप में भी किया जाता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी : भारत ने आत्मनिर्भर बनने के लिए जो प्रयास किए, उनमें दो महत्त्वपूर्ण घटनाओं का समावेश किया जा सकता है। वर्ष १९६५ में प्रारंभ हुई हरितक्रांति के जनक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन थे। उन्होंने नवीन वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की। डॉ. वरगिस कुरियन द्वारा दूध उत्पादन क्षेत्र में चलाए गए सहकारिता आंदोलन के प्रयोग से भारत में दूध का उत्पादन बड़ी मात्रा में बढ़ा। इसी को 'धवलक्रांति' भी कहते हैं।

भारत ने परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्रों में भी बहुत उन्नति कर ली है। डॉ. होमी भाभा ने भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी। परमाणु

ऊर्जा का उपयोग बिजली निर्माण, औषधियाँ और रक्षा जैसे शांतिपूर्ण उद्‌देश्यों के लिए करने पर भारत ने सदैव बल दिया है। भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी ठोस कार्य किया है। वर्ष १९७५ में पहला उपग्रह 'आर्यभट्ट' अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। आज भारत के पास एक सफल अंतरिक्ष योजना है। इसके अंतर्गत अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं। दूर संचार क्षेत्र में भी उन्नति हुई है।

सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन : इसी कालावधि में भारत के सामाजिक क्षेत्र में भी कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

उनमें से कुछ परिवर्तन महिलाओं के सशक्तीकरण की समस्याओं से संबंधित हैं तो कुछ उपेक्षित घटकों की उन्नति हेतु स्वीकार की गई नीतियों से संबंधित हैं। देश की महिलाओं और बालकों के सर्वांगीण विकास को गति देनी थी। फलतः वर्ष १९८५ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत 'महिला और बाल विकास विभाग' का गठन किया गया। महिलाओं को सामाजिक न्याय का आश्वासन मिले और योजनाओं के कार्यान्वयन को सहायता प्राप्त हो, इस उद्‌देश्य को लेकर जो कानून बनाए गए, उनमें दहेज प्रतिबंधित कानून, समान वेतन कानून का समावेश था। ७३ वें और ७४ वें संविधान संशोधन द्‌वारा स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान रखे गए।

संविधानकारों को लगा था कि जातिव्यवस्था के कारण भारतीय समाज के वर्गों/समूहों को प्रतिष्ठा और समान अवसरों से वंचित होना पड़ेगा। इस समस्या का हल ढूँढ़ने के लिए वर्ष १९५३ में 'काकासाहेब कालेलकर आयोग' की स्थापना की गई। वर्ष १९७८ में बी.पी.मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों की समस्याओं पर विचार करने के लिए और एक आयोग गठित किया गया। विविध सेवाओं और संस्थानों में पिछड़ी जाति के वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व उपलब्ध करा देने के लिए आरक्षण की नीति को स्वीकार किया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग उच्च वर्गों द्‌वारा की जाने वाली हिंसा, भय और दमन तंत्र से मुक्त रहकर प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के साथ जी सकें; इसके लिए वर्ष १९८९ में सरकार ने 'अत्याचार विरोधी' (एट्रोसिटी) कानून पारित किया।

वैश्वीकरण : वैश्वीकरण के कारण अर्थनीति, राजनीति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज तथा संस्कृति जैसे सभी क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन हुए। उनमें से कुछ परिवर्तनों की चर्चा उपयुक्त परिच्छेद में की है। वैश्विक स्तर पर भारत सभी क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण देश के रूप में उदित हुआ है। भारत G-20 और BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक महत्त्वपूर्ण सदस्य देश है। भारत ने दूरसंचार, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुई एक महत्त्वपूर्ण क्रांति को अनुभव किया है।

संपूर्ण भारत में भ्रमणध्वनि (मोबाइल) और अंतरजाल (इंटरनेट) सेवाओं तथा उपग्रह पर आधारित दूरसंचार सेवाओं का जाल फैला हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में भी स्थिर लोकतंत्र किस प्रकार सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है; इसे भारत ने पूरे विश्व को दिखा दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि भारतीय लोगों के और विशेष रूप से युवाओं की जीवनशैली में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन उनकी भोजन की आदतों, वेशभूषा, भाषा, मान्यताएँ द्‌वारा दिखाई देते हैं।

अगले पाठ में हम भारत के सम्मुख कुछ आंतरिक चुनौतियों का अध्ययन करेंगे।

* * *

१. (अ) दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखिए।

(१) श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हल करने के लिए पहल करने वाले प्रधानमंत्री .... थे।
(अ) राजीव गांधी
(ब) श्रीमती इंदिरा गांधी
(क) एच.डी.देवेगौड़ा
(ड) पी.वी.नरसिंह राव

(२) भारतीय हरितक्रांति के जनक............हैं।
(अ) डॉ. वरगिस कुरियन
(ब) डॉ. होमी भाभा
(क) डॉ. एम.एस.स्वामीनाथन
(ड) डॉ. नॉमेन बोरलॉग

(ब) निम्न में से विसंगत जोड़ी पहचानिए।

(१) इंदिरा गांधी - आपातकाल
(२) राजीव गांधी - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सुधार
(३) पी.वी.नरसिंह राव- आर्थिक सुधार
(४) चंद्रशेखर - मंडल आयोग

२. (अ) पाठ में उल्लिखित जानकारी की सहायता से प्रधानमंत्री और उनकी कालावधि की कालानुक्रम तालिका तैयार कीजिए।

(ब) निम्न अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए।
(१) वैश्वीकरण
(२) धवल क्रांति

३. (अ) निम्न कथनों को कारणसहित स्पष्ट कीजिए।
(१) मोरारजी देसाई की सरकार अल्पकाल की रही।
(२) अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेना भेजनी पड़ी।
(३) भारत में योजना आयोग का गठन किया गया।

(ब) निम्न प्रश्नों के उत्तर २५ से ३० शब्दों में लिखिए।
(१) विश्व और भारत के इतिहास में वर्ष १९९१ महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों का वर्ष किस प्रकार रहा?
(२) भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएँ हैं ?

४. पाठ की सहायता से भारत के सम्मुख आंतरिक और बाहरी चुनौतियों और भारत की सामर्थ्य इनकी सूची पूर्ण कीजिए।

आंतरिक और बाहरी चुनौतियाँ	सामर्थ्य
जैसे- भारत-पाकिस्तान युद्ध	विविधता में एकता
....	....
....	परमाणु अस्त्रों से सुसज्ज
अलगाववाद (पृथक्कतावादी)	....

उपक्रम

(१) भारत-पाकिस्तान युद्ध में वीरता प्रदर्शित करने वाले भारतीय सैनिकों की जानकारी प्राप्त कीजिए।
(२) कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों के छायाचित्र इकट्ठे कीजिए।
(३) अब तक बने भारत के प्रधान मंत्रियों के चित्रों का संग्रह कीजिए।
(४) डॉ. होमी भाभा अनुसंधान केंद्र की जानकारी प्राप्त कीजिए।
(५) दूध उत्पादन के माध्यम से कौन-से व्यवसाय चलते हैं? उनकी जानकारी छायाचित्रों के साथ प्राप्त कीजिए।

३ भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियाँ

इस पाठ में हम भारत के सम्मुख कुछ आंतरिक चुनौतियों का अध्ययन करेंगे। भारत के सम्मुख अलगाववादी (पृथक्कतावादी) आंदोलन, पूर्वोत्तर भारत की समस्या, नक्सलवाद, धर्मवाद, प्रदेशवाद जैसी आंतरिक चुनौतियाँ हैं।

पंजाब में असंतोष : पंजाब राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल अकाली दल ने वर्ष १९७३ में 'आनंदपुर साहिब प्रस्ताव' पारित किया। इस प्रस्ताव के अनुसार चंडीगढ़ पंजाब को दें, अन्य राज्यों के पंजाबी भाषाई प्रांत पंजाब में समाविष्ट करें, सेना में पंजाबी भाषियों की संख्या में वृद्धि करें, पंजाब राज्य को अधिक स्वायत्तता दें; जैसी अनेक बातों की माँग की गई थी। वर्ष १९७७ में अकाली दल ने सत्ता ग्रहण करते ही अपनी पुरानी माँगों के साथ नदी के जल बँटवारे में पंजाब को अधिक पानी दिया जाए तथा अमृतसर शहर को पवित्र शहर का खिताब दिया जाए जैसी माँगें रखीं।

वर्ष १९८० में पंजाब में 'स्वतंत्र खलिस्तान' आंदोलन ने जोर पकड़ा। इस अवधि में अकाली दल का नेतृत्व संत हरचरण सिंह लोंगोवाल कर रहे थे। वे स्वर्ण मंदिर में बैठकर अपने कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने के विषय में निर्देश देते थे। स्वर्ण मंदिर के दूसरी ओर कट्टर खलिस्तानवादी जर्नेल सिंह भिंडराँवाले के आस-पास शस्त्रधारी अनुयायी इकट्ठे होने लगे। इसी अवधि में आतंकवादी गतिविधियाँ प्रारंभ हुईं। वर्ष १९८१ में संपादक लाला जगतनारायण की हत्या के आरोप में भिंडराँवाले को बंदी बनाया गया। इसके बाद स्थितियाँ बिगड़ती चली गईं। परिणाम स्वरूप वर्ष १९८३ में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। भिंडराँवाला अकाल तख्त इस धार्मिक स्थान में रहने के लिए चला गया। भिंडराँवाले के अनुयायियों ने स्वर्ण मंदिर के परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया। परिणामस्वरूप पंजाब की शांति खतरे में पड़ गई।

ऑपरेशन ब्लू स्टार : स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को बाहर खदेड़ देना मुख्य कार्य था। यह कार्य मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपा गया। ३ जून १९८४ को सुबह 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' अभियान प्रारंभ हुआ और ६ जून को समाप्त हुआ। इस सैनिकी कार्यवाही में भारतीय सेना ने विलक्षण संयम बरतते हुए अपना कार्य किया। भिंडराँवाले के साथ-साथ अन्य दूसरे आतंकवादी भी मारे गए। इसके बाद वर्ष १९८६ में स्वर्ण मंदिर में पुनः एक बार आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ी। इसे 'ऑपरेशन ब्लैक थंडर' कहते हैं। कालांतर में पंजाब में शांति स्थापना के कार्य को गति मिली।

क्या आप जानते हैं?

विशिष्ट उद्देश्य को लेकर की गई सैनिकी कार्यवाही को ऑपरेशन कहते हैं। स्वर्ण मंदिर में छिपे हुए दहशतवादियों को बाहर निकालने के लिए जो सैनिकी कार्यवाही की गई, उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं।

पूर्वोत्तर भारत की समस्या

पूर्वोत्तर भारत आठ राज्यों का समूह है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा इन आठ राज्यों के समूह को पूर्वोत्तर भारत कहते हैं। इन आठ राज्यों को न्यूनाधिक रूप में अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। यहाँ वंश, भाषा, सांस्कृतिक विविधता को लेकर अलगपन दिखाई देता है। इस क्षेत्र की जनजातियों को भारत की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के कार्य की प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने पहल की। उन्होंने वर्ष १९५४ में नेफा (नॉर्थ ईस्ट, फ्रंटियर एजेंसी अर्थात पूर्वांचल) नामक क्षेत्र का गठन किया। यह प्रदेश भारत और चीन की सीमा पर स्थित और असम की उत्तर दिशा में बसी जनजातियों का प्रदेश है। पं. नेहरू की मान्यता थी कि इस क्षेत्र की जनजातियों का विकास उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखकर ही करना होगा। संविधान की छठी अनुसूची

में इस क्षेत्र के विषय में विशेष प्रावधान किया गया है। वर्ष १९६५ में इस क्षेत्र का उत्तरदायित्व विदेश मंत्रालय को सौंपा गया। पूर्वोत्तर के इन प्रदेशों को मुख्य धारा में समाविष्ट करने के लिए वर्ष १९७१ में 'पूर्वोत्तर परिषद कानून' बनाया गया। इस कानून के अनुसार पूर्वोत्तर परिषद के कार्य निर्धारित किए गए। आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र के समान हित, अंतरराज्यीय परिवहन, बिजली तथा बाढ़ नियंत्रण आदि संबंधी केंद्र सरकार को सलाह देना इस परिषद के काम थे।

मिजोरम : पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों का अपना प्राचीन इतिहास है। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात सरकार ने मिजोबहुल लुशाई टीलोंवाले क्षेत्र के जिलों को प्रशासन संबंधी स्वायत्तता प्रदान की। केंद्र सरकार ने वर्ष १९५४ में भाषावार प्रांत रचना आयोग का गठन किया। मिजो नेताओं ने स्वायत्त मिजो प्रांत की माँग करना प्रारंभ किया। वर्ष १९५९ में मिजोरम प्रदेश में पड़े भीषण अकाल में मिजो नेता लालडेंगा ने आम जनता के लिए बहुत कार्य किया।

वर्ष १९६१ में लालडेंगा ने 'मिजो नैशनल फ्रंट' **(MNF)** संगठन की स्थापना की। लालडेंगा ने त्रिपुरा, मणिपुर और लुशाई टीलों के मिजोबहुल प्रांतों के लिए 'ग्रेटर मिजोरम' अर्थात स्वतंत्र राष्ट्र की माँग की। मार्च १९६६ में मिजो नैशनल फ्रंट ने 'स्वतंत्र मिजोरम' राष्ट्र अस्तित्व में आने की घोषणा की। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस विद्रोह को विफल बनाया। वर्ष १९७२ में परिस्थिति सामान्य हो जाने पर मिजोबहुल क्षेत्र को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। वर्ष १९८५ में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और फ्रंट के बीच समझौता हुआ और मिजोरम को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। लालडेंगा मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री बने।

नागालैंड : नागा जनजाति की पहचान योद्धा जनजाति के रूप में बनी हुई है। पूर्व हिमालय, नागा टीले, असम तथा म्यानमार के सीमावर्ती क्षेत्र में नागा जनजाति की बस्ती थी। वर्ष १९४६ में कुछ पढ़े-लिखे नागा युवाओं ने 'नागा नैशनल कौंसिल' **(NNC)** नामक संगठन की स्थापना की। आगे चलकर उन्होंने 'नागालैंड' की स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में माँग की। उन युवाओं का नेतृत्व अंगामी जापू फिजो कर रहे थे। वर्ष १९५४ में 'एनएनसी' ने नागालैंड की स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए जाने की घोषणा की। वर्ष १९५५ में असम राइफल्स के सैनिकों और स्थानीय लोगों में हुईं मुठभेड़ों को दबाने के लिए सैनिकी कार्यवाही की गई।

केंद्र सरकार और 'एनएनसी' के बीच बातचीत के अनेक दौर हुए। केंद्र सरकार ने नागाबहुल क्षेत्र को संघ शासित प्रदेश का दर्जा देना निश्चित किया। नेफा के नागाबहुल क्षेत्र और सुएनसांग क्षेत्र को इकट्ठे कर १ दिसंबर १९६३ को 'नागालैंड' राज्य अस्तित्व में आया।

असम : वर्ष १९८३ में असम में बांग्ला भाषी स्थलांतरितों के बढ़ते प्रभाव के मुद्दे पर ऑल असम स्टूडेंटस यूनियन और असम गणसंग्राम परिषद ने तीव्र आंदोलन छेड़ा था। वर्ष १९८५ में प्रधानमंत्री राजीव गांधी, केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण और असम नेता प्रफुल्लकुमार महंतो के बीच समझौता हुआ और असम के घुसपैठिए बांग्लादेशी नागरिकों को उनके स्थानों पर फिर से भेजना निश्चित हुआ। वर्ष १९८६ में असम विधान सभा के चुनाव हुए और असम गणपरिषद के प्रफुल्लकुमार महंतो मुख्यमंत्री बने। इससे असम में शांति प्रस्थापित होने में सहायता प्राप्त हुई।

अरुणाचल प्रदेश : वर्ष १९५४ में नेफा क्षेत्र की निर्मिति हुई। वर्ष १९७२ में इस अरुणाचल प्रदेश (उगते सूर्य का प्रदेश) कहा जाने लगा। २० फरवरी १९८७ को इसे स्वतंत्र संघराज्य का दर्जा दिया गया।

वर्ष १९६० से २००० की अवधि में पूर्वोत्तर भारत की यात्रा लोकतंत्र के परिपक्व होने में चलती रही। यह क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा चलाई गईं विशेष योजनाओं, औद्योगिकीकरण

और शिक्षा के प्रचार-प्रसार के कारण प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है।

नक्सलवाद

नक्सलवादी आंदोलन : यह आंदोलन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबारी में प्रारंभ हुआ। नक्सलवादियों ने अल्प भूधारक किसानों और खेत मजदूरों को संगठित किया और वर्ष १९६७ में नक्सलबारी क्षेत्र के कुछ कृषिक्षेत्र के चारों ओर लाल झंडे रोपकर फसलों को अपने नियंत्रण में कर लिया। इस विद्रोह से प्रेरणा लेकर जो आंदोलन हुए, उन्हें 'नक्सलवादी' आंदोलन कहते हैं।

जमींदारों द्‌वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण के विरुद्‌ध आवाज बुलंद करने के लिए कृषि समितियों को स्थापित करना, बड़े जमींदारों की जमीनों को छीन लेना, उनका अलग-अलग परिवारों में वितरण करना नक्सलवादी आंदोलन के उद्‌देश्य थे। आगे चलकर यह आंदोलन अपने उद्‌देश्यों से दूर चला गया। शासन का कोई भी उपक्रम या कल्याणप्रद योजना जनता तक न पहुँचे; इस दृष्टि से नक्सलवादी आंदोलन ने आतंकवाद की शरण ली। नक्सलवादी समांतर व्यवस्था निर्माण करने का प्रयत्न करने लगे। इसी प्रकार नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती के रूप में सामने आया।

नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभिक प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल था। बाद में यह आंदोलन आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी, विशाखापट्‌टनम का कुछ प्रदेश, तेलंगाना के करीमनगर, अदिलाबाद, छत्तीसगढ़ के बस्तर, राजनांदगाव, सुकमा, महाराष्ट्र में गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपुर के कुछ प्रदेश, मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, ओडिशा के कोरापुर में फैला। अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए सशस्त्र 'पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी' (PLGA) नामक संगठन की स्थापना की। यह संघर्ष अब भी जारी है।

संप्रदायवाद

संप्रदायवाद हमारे देश की एकता और एकात्मता के सम्मुख एक गंभीर चुनौती है। संकीर्ण धार्मिक दुरभिमान में से संप्रदायवाद का जन्म होता है। अंग्रेजों ने हमारे देश में संप्रदायवाद के बीज बोए। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग विगत कई शताब्दियों से परस्पर स्नेह और सौहार्द के साथ रहते आए हैं। किसी देश में विभिन्न धर्मों के लोगों का रहना और अपने-अपने धर्म के प्रति उचित गौरव का भाव रखना कोई बुरी बात नहीं है परंतु जब धर्म का गौरव भाव अतिवादिता को लाँघ जाता है तब उसका रूपांतरण दुरभिमान अथवा कट्‌टरता में हो जाता है। परिणामतः धर्मांधता उत्पन्न होती है।

धर्मांधता संप्रदायवाद की नींव है। धर्मांधता के कारण व्यापक राष्ट्रीय हितों को भुलाया जाता है। अलग-अलग धर्म के लोगों का एक-दूसरे के प्रति विश्वास समाप्त होने लगता है। दूसरे धर्म के परंतु जो हमारे ही देशबंधु हैं; उन्हें शत्रु समझा जाता है। एक-दूसरे के तीज-त्योहारों, पर्वों, उत्सवों के अवसरों पर इकट्‌ठे आना भी कम होने लगता है। धर्मांधता के कारण अपने आस-पास की घटनाओं और लोगों की ओर देखने का दृष्टिकोण कलुषित और विषैला बन जाता है।

कुछ लोग अपनी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का विचार भी धर्म के दायरे में रहकर करने लगते हैं। हम विशिष्ट धर्म के हैं। अतः राजनीति में हमारा कोई प्रभाव नहीं है, हमपर निरंतर अन्याय हो रहा है। सरकार हमारे समाज के साथ पक्षपात कर रही है। यह भावना सभी धर्मों के लोगों की बन जाती है। वे अपने धर्म के प्रति, अपने लोगों के प्रति भावुक बन जाते हैं। अपने धर्म के लोगों के प्रति अथवा धार्मिक प्रतीकों का जाने-अनजाने कोई अवमानना कर दे तो इसकी परिणति दंगे-फसाद में हो जाती है। सैंकड़ों निरपराध और निर्दोष लोग मारे जाते हैं। करोड़ों रुपयों की सार्वजनिक संपत्ति स्वाहा हो जाती है। सार्वजनिक शांति भंग हो जाती है।

व्यक्ति-व्यक्ति के बीच पारस्परिक विश्वास ही साथ-साथ जीने का आधार होता है। यदि यह विश्वास समाप्त हो जाता है तो सामाजिक

एकता को आघात लगता है। सामाजिक एकता के बिना राष्ट्रीय एकता को कैसे साधेंगे? हम सभी को इस धार्मिक संप्रदायवाद के साथ पूरी शक्ति से लड़ना आवश्यक है। हमें विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच घुलमिल जाना चाहिए। एक-दूसरे के पर्वों-त्योहारों में हिस्सा लेना चाहिए। हमें अपनी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को धर्म के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। धार्मिक सौहार्दता क्यों नष्ट होती है? इसके लिए कौन-से आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक कारण हैं; इनकी हमें खोज करनी चाहिए। संप्रदायवाद को नष्ट कर राष्ट्रीय एकात्मकता को दृढ़ करने का यही एकमात्र उपाय है।

प्रदेशवाद

अपने प्रदेश के प्रति अति दुराग्रह अथवा अभिमान रखना ही 'प्रदेशवाद' कहलाता है। जैसे- मैं बंगाली, मैं मराठी, इस रूप में अपनी पहचान कराना अलग बात है। परंतु मैं बंगाली अथवा मैं मराठी हूँ, इसलिए मैं दूसरे प्रांतों के लोगों से श्रेष्ठ और विशिष्ट हूँ; इस तरह की भावना रखना अनुचित प्रांताभिमान हो जाता है। अपने प्रदेश के प्रति अनुभूत होने वाली आत्मीयता को ऐसे अनुचित प्रांत दुरभिमान के कारण विकृत स्वरूप प्राप्त हो जाता है।

विकास कार्य में असंतुलन उत्पन्न होने पर प्रदेशवाद को बढ़ावा मिलता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश का विकास साधते समय प्रारंभ में कुछ राज्यों की अधिक प्रगति हुई तो कुछ प्रदेश आर्थिक रूप से पिछड़ गए। जैसे - महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों का आर्थिक और औद्योगिक रूप से बहुत विकास हुआ परंतु ओडिशा, बिहार, असम जैसे राज्य आर्थिक और औद्योगिक रूप से अविकसित रह गए। आर्थिक विकास और सुधार प्रगति की नींव हैं। अतः जिन राज्यों का आर्थिक विकास होता है, वे राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति साध सकते हैं। जिन राज्यों का ऐसा विकास नहीं होता है, वे राज्य शैक्षिक एवं नागरी सुविधाओं के बारे में बहुत ही पिछड़ जाते हैं। इन राज्यों को विकास के वे अवसर प्राप्त नहीं होते हैं; जो प्रगत राज्यों के लोगों को उपलब्ध रहते हैं। ये राज्य शैक्षिक पिछड़ापन, बेरोजगारी, दरिद्रता जैसी समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। इससे अलग-अलग राज्यों के बीच की सौहार्दता नष्ट हो जाती है और इसका दुष्प्रभाव राष्ट्रीय एकात्मता पर होता है। अतः हमें इस आर्थिक असंतुलन की समस्या को शीघ्र हल करना चाहिए। इस दृष्टि से हमारी सरकार प्रयत्नशील है।

प्रदेशवाद प्रगत और अप्रगत दोनों राज्यों को प्रभावित कर सकता है। हम प्रगत हैं क्योंकि हमारे प्रदेश का इतिहास, संस्कृति ही मूलतः श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार के श्रेष्ठत्व की भावना विकसित राज्यों के लोगों में उत्पन्न होती है। परिणामतः वे अविकसित राज्यों के लोगों को हीन समझने लगते हैं। वे लोग अपने विकास के लाभों में अविकसित राज्यों के लोगों को साझेदार बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसके विपरीत पिछड़े क्षेत्र के लोगों को अपनी संगठित शक्ति स्थापित करने के लिए प्रादेशिक अस्मिता जागृत करनी पड़ती है। इसके लिए वे स्थानीय परंपराओं और संस्कृति को अनावश्यक रूप से गौरवान्वित अथवा उसका उदात्तीकरण कर स्वयं का अलगपन सिद्‌ध करने का प्रयास करते हैं। इसी से प्रदेशवाद को बल प्राप्त होता है परंतु इस कारण राष्ट्रीय एकात्मता बाधित होती है।

हमने भारत के सम्मुख कुछ महत्त्वपूर्ण और चुनिंदा चुनौतियों का अध्ययन किया लेकिन अभी भी जनसंख्या, स्वच्छता, कृषि और किसानों की समस्याएँ, दरिद्रता, मकान और दो समय का भोजन जैसी अनगिनत समस्याएँ हैं। हम इन चुनौतियों को मात देकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगले पाठ में हम आर्थिक क्षेत्र में की गई प्रगति का अध्ययन करेंगे।

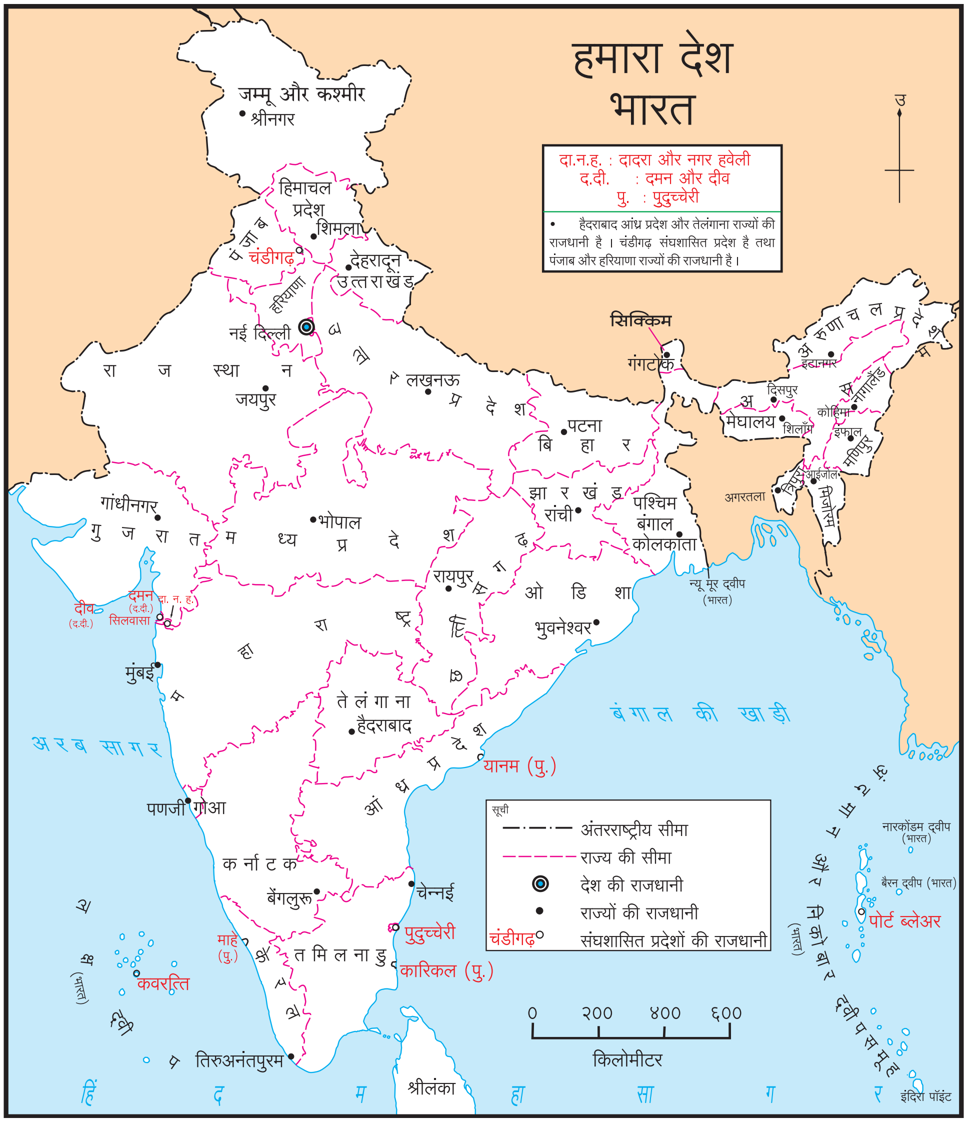

स्वाध्याय

१. संक्षेप में उत्तर लिखिए।

(१) अकाली दल ने 'आनंदपुर साहिब प्रस्ताव' में क्या माँगें कीं ?

(२) संप्रदायवाद को नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए ?

(३) प्रदेशवाद कब प्रबल बनता है ?

२. निम्न अवधारणाएँ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए।

(१) संप्रदायवाद (२) प्रदेशवाद

३. क्यों, यह लिखिए।

(१) 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' करना पड़ा।

(२) संप्रदायवाद का पूरी शक्ति से विरोध करना आवश्यक है।

४. निम्न संक्षिप्त रूपों के पूर्ण रूप लिखिए।

(१) MNF (२) NNC (३) PLGA

उपक्रम

(१) संघ राज्य/संघ शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों की तालिका बनाइए। मानचित्र में उनका निरीक्षण कीजिए।

(२) अंतरजाल की सहायता से मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम राज्यों की जानकारी प्राप्त कीजिए।

४ आर्थिक विकास

भारत की आर्थिक नीति का इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। इसमें विशेष रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वीकार, पंचवर्षीय योजनाएँ और उनकी सफलता-विफलता, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बीस सूत्री कार्यक्रम, मिल मजदूरों की हड़ताल और वर्ष १९९१ की नई आर्थिक नीति का अध्ययन करेंगे।

मिश्रित अर्थव्यवस्था : भारत स्वतंत्र होने के पहले से ही हमें किस अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना है, इस विषय में विचार मंथन चल रहा था। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने किसी भी अर्थव्यवस्था को लेकर अतिवादिता की भूमिका को स्वीकारने के स्थान पर बीच के मार्ग का अवलंब किया। कुछ देशों में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था प्रचलित थी तो कुछ देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था व्यवहार में थी। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानियाँ भी होती हैं।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व के नियंत्रण में होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन समाज अर्थात सरकार के स्वामित्व के अधीन होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक ऐसे दोनों क्षेत्रों में कार्यरत रहती है। दोनों अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा भारत ने 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' को प्राथमिकता दी। इस अर्थव्यवस्था में हमें तीन भेद दिखाई देते हैं।

(१) सार्वजनिक क्षेत्र : इस क्षेत्र के उदयोग-धंधे पूर्णतः सरकार के नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत होते हैं। जैसे- रक्षा सामग्री उत्पादन।

(२) निजी क्षेत्र : इस क्षेत्र के उदयोग-धंधे पूर्णतः निजी उद्योजकों के स्वामित्व के अधीन होते हैं। फिर भी उन उदयोग-धंधों पर सरकार का निरीक्षण एवं नियंत्रण होता है। जैसे उपभोक्ता वस्तुएँ।

(३) संयुक्त क्षेत्र : इस क्षेत्र में कुछ उदयोग निजी उद्योजकों के स्वामित्व के तथा कुछ सरकारी प्रबंधन के अधीन चलाए जाते हैं।

मिश्रित अर्थव्यवस्था सुचारु रूप से चलने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच समन्वय होना आवश्यक होता है। इस अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य यह है कि अधिकाधिक उत्पादन और उसमें बड़ी मात्रा में लोगों का सहभागी होना। इस अर्थव्यवस्था में पूँजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के उत्तम तत्त्वों का समन्वय साधने का प्रयास किया गया है। लाभ प्राप्ति की प्रेरणा, उपक्रमशीलता, अनुशासन, कालबद्ध नियोजन आदि बातों को मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपेक्षित नहीं किया जा सकता।

इस अर्थव्यवस्था में देशहित को प्रधानता देने की प्रवृत्ति होती है। दीर्घकालीन विकास पर अधिक बल दिया जाता है। रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, सड़कें, रेल, नहरें, बंदरगाह और विमान पत्तन निर्माण जैसे क्षेत्रों के लिए विपुल पूँजी निवेश की आवश्यकता होती है; परंतु ये क्षेत्र बहुत देरी से लाभ देते हैं। परिणामतः इस क्षेत्र में निजी उद्योजक बड़ी मात्रा में आगे नहीं आते हैं। ऐसे समय सरकार को ही अगुवाई करनी पड़ती है।

ऊपर बताई गई पद्धति के आधार पर भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढाँचे का उपयोग कर तथा पंचवर्षीय योजनाओं को अंगीकार कर अपनी विकास यात्रा प्रारंभ की। वर्ष १९७३ में बनी आर्थिक नीति के कारण विकास की गति में तेजी आई। इस नीति के अनुसार भारी उदयोग, उद्योजक घराने और विदेशी उदयोगों के प्रभाव को नियंत्रण में लाना और प्रादेशिक विकास का संतुलन साधना जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। लघु उद्योग, ग्रामोद्योग, घरेलू उदयोग के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। सहकारिता क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देना प्रारंभ हुआ।

पंचवर्षीय योजना

भारत के स्वतंत्र होने तक विदेशी सत्ता ने

भारत का पूरा-पूरा आर्थिक शोषण किया था। देश के सम्मुख दरिद्रता, बेरोजगारी, जनसंख्या में होती वृद्धि, निम्न स्तर का जीवन स्तर, कृषि और उद्योग-धंधे अल्प उत्पादन क्षमता तथा ज्ञान विज्ञान और तकनीकी ज्ञान से संबंधित पिछड़ापन जैसी विकट और गंभीर समस्याएँ थीं। उनको हल करने के लिए योजनाओं की आवश्यकता थी।

वर्ष १९५० में भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया। प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू इस योजना आयोग के अध्यक्ष थे।

इस योजना आयोग ने पाँच वर्षों की योजना तैयार की जिसमें कृषि और ग्राम का विकास होगा, संतुलित औद्योगिकीकरण और न्यूनतम जीवन स्तर का प्रावधान होगा। जिसमें योजनाओं की रूपरेखा बनाने और कार्यान्वयन में लोगों का प्रतिभाग होगा और प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा। इस योजना को ही 'पंचवर्षीय योजना' कहते हैं।

योजना आयोग का मौलिक सिद्धांत : किसी देश के समग्र संसाधनों का अनुपातबद्ध वितरण और वहाँ के मनुष्य श्रम का उचित उपयोग उस देश की जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया जाना चाहिए। यह योजना आयोग का मौलिक सिद्धांत है।

योजना आयोग के उद्देश्य

भारत के योजना आयोग के सामान्य उद्देश्य इस प्रकार हैं।

(१) राष्ट्रीय आय में वृद्धि।

(२) मूलभूत उद्योग-धंधों को वरीयता देकर शीघ्रगति से औद्योगिकीकरण करवाना।

(३) कृषि उत्पादनों में वृद्धि लाना; जिससे देश खाद्यान्न के विषय में आत्मनिर्भर बन सके।

(४) बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना और देश के मनुष्य श्रम का पूर्णतः उपयोग कर लेना।

(५) आय और संपत्ति के बीच उत्पन्न विषमता को दूर करना।

(६) वस्तुओं के मूल्य स्थिर स्तर पर रखना।

(७) परिवार नियोजन के माध्यम से बढ़ती जनसंख्या की रोक-थाम करना।

(८) दरिद्रता को दूर कर जीवन स्तर को ऊँचा उठाना।

(९) सामाजिक सेवाओं का विकास करना।

(१०) आर्थिक क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (१९५१- १९५६)

इस योजना के अंतर्गत कृषि, सामाजिक विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा संसाधन, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, बड़े उद्योग और खनिज संसाधन, परिवहन एवं दूरसंचार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय किया गया। योजनाबद्ध आर्थिक विकास की नींव रखने वाली यह पंचवर्षीय योजना थी।

दूसरी पंचवर्षीय योजना (१९५६-१९६१)

इस योजना द्वारा औद्योगिकीकरण का महत्त्वाकांक्षी उद्देश्य पूर्ण करना था। फलतः दुर्गापुर, भिलाई, रुरकेला में इस्पात के कारखाने, सिंदरी में रासायनिक खाद कारखाना, चित्तरंजन में रेल इंजन का कारखाना, पेरांबूर में रेलगाड़ी के डिब्बे निर्माण का कारखाना, विशाखापट्टनम में जहाज निर्माण का कारखाना जैसे विशाल और भारी उद्योग-धंधे और कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए। कृषि को जलापूर्ति

भिलाई - इस्पात का कारखाना

करने के लिए भाखड़ा-नंगल, दामोदर जैसे विशाल बाँध बनाए गए। इस योजना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (१९६१–१९६६): इस योजना में उद्योग और कृषि के विकास के बीच संतुलन और समन्वय साधना था। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना, भारी उद्योग, परिवहन और खनिज उद्योगों का विकास करना, विषमता का उन्मूलन करना और रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात तीन एक वर्षीय योजनाएँ (१९६६–१९६९) चलाई गईं। इस कालावधि में भीषण अकाल का सामना करना पड़ा। चीन का आक्रमण और पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के कारण सरकार को विकास कार्यों की अपेक्षा रक्षा और अकाल निवारण की ओर अधिक ध्यान देना पड़ा। इन सभी बातों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा दबाव आ गया।

चौथी पंचवर्षीय योजना (१९६९–१९७४): इस योजना के उद्देश्य निर्धारित करते समय यह निश्चित किया गया कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, सरकार को मूलभूत उद्योगों का विकास करना चाहिए, आर्थिक विकास की गति बढ़ानी चाहिए और समाजवादी सामाजिक ढाँचे की ओर ध्यान देना चाहिए। इस पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश के प्रमुख १४ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह पंचवर्षीय योजना अपेक्षानुसार सफल नहीं रही। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बांग्ला देश युद्ध के परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था को सहने पड़े। साथ ही शरणार्थियों का व्यय सहन करना पड़ा। सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, रेल कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की बढ़ती दरें जैसी बातों से भारत की अर्थव्यवस्था को कई आघात सहने पड़े।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (१९७४–१९७९): निर्धनता को दूर कर देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख उद्देश्य सम्मुख रखकर यह योजना तैयार की गई। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना, बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना, शिक्षा, पौष्टिक भोजन, पेयजल की पूर्ति करना, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधाएँ पहुँचाना, ग्रामीण भागों में विद्‌युत आपूर्ति और दूरसंचार के साधन पहुँचने के लिए सड़कों का निर्माण कराना, समाज कल्याण की योजनाओं को व्यापक स्तर पर कार्यान्वित करना, कृषि का विकास करवाना, मूलभूत उद्योग-धंधों में वृद्धि लाना, खाद्‌यान्न और अन्य जीवनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी एकाधिकार प्रणाली द्‌वारा करके उनकी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थाओं द्‌वारा निर्धनों को उचित दामों में पूर्ति करना जैसे उद्‌देश्यों का समावेश था।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में दरिद्रता का निवारण करना और रोजगार को बढ़ाना संभव नहीं हुआ।

वर्ष १९७७ में लोकसभा चुनाव में काँग्रेस पार्टी की पराजय हुई। जनता पार्टी सत्ता में आई। नई सरकार ने मार्च १९७८ के अंत में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर अप्रैल १९७८ से श्रृंखलाबद्ध योजना प्रारंभ की; परंतु वह विफल रही। वर्ष १९८० में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव संपन्न हुए और काँग्रेस पार्टी सत्ता में आई। इस सरकार ने श्रृंखलाबद्ध योजना को बंद कर पुनः पूर्ववत प्रणाली अर्थात पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया।

छठी पंचवर्षीय योजना (१९८०–१९८५): इस योजना में दरिद्रता उन्मूलन और रोजगार निर्माण को वरीयता दी गई थी। इस योजना के उद्‌देश्य इस प्रकार थे।

अर्थव्यवस्था की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि करना, दरिद्रता और बेरोजगारी को कम करना। ऐसी नीति को स्वीकारना कि लोग छोटा परिवार पद्‌धति को स्वेच्छा से स्वीकारेंगे, जिससे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखा जा सकेगा।

छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निम्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया।

* एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)
* ग्रामीण भूमिहीन विकास कार्यक्रम (RLEGP)
* राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP)
* सलेम इस्पात परियोजना

सातवीं पंचवर्षीय योजना (१९८५-१९९०) इस योजना में खाद्यान्न, रोजगार और उत्पादकता पर बल दिया गया था। विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय का सक्षमता से कार्यान्वयन करना, उत्पादन तकनीकी विज्ञान में सुधार करना, राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष ५% वृद्धि लाना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे।

इस योजना के अंतर्गत निम्न कार्यक्रम प्रारंभ किए गए।

* जवाहर रोजगार योजना। * इंदिरा आवास योजना। * दस लाख कुएँ योजना।

रोजगार निर्माण करने की दृष्टि से सातवीं पंचवर्षीय योजना महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (१९९२-१९९७) : इस योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र को अधिकाधिक अवसर दिए गए।

इस योजना की विशेषताएँ इस प्रकार थीं।

राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर ६.५% तक बनाए रखना, जनसंख्या वृद्धि की रोक-थाम करना, परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देना, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिक विस्तार कर निरक्षरता का उन्मूलन करना।

इस योजना के अंतर्गत निम्न कार्यक्रम प्रारंभ किए गए।

* प्रधानमंत्री रोजगार योजना * महिला समृद्धि योजना * राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक सहयोग योजना * मध्याह्न भोजन योजना * इंदिरा महिला योजना * गंगा कल्याण योजना

आठवीं पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र का महत्त्व बढ़ गया। इस योजना में वर्ष १९९१ में सरकार द्वारा स्वीकारी गई उदार और मुक्त आर्थिक नीति का प्रतिबिंब दिखाई देता है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना(१९९७-२००२) : इस योजना में कृषि और ग्रामीण विकास को प्रधानता दी गई थी। आर्थिक विकास की दर में वृद्धि लाना, मूलभूत क्षेत्र में स्वस्थ प्रतियोगिता निर्माण करना, विदेशी निवेश के लिए औद्योगिक नीति को नई दिशा प्रदान करना इस योजना के उद्देश्य थे।

इस योजना के अंतर्गत स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, भाग्यश्री बालकल्याण योजना, राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अंत्योदय अनाज योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि कार्यक्रम चलाए गए।

इस योजना में संचार व्यवस्था और सेवा क्षेत्र की अपेक्षित मात्रा में उन्नति हुई। निर्माण कार्य और दूरसंचार क्षेत्रों में वृद्धि हुई।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण:

पंडित नेहरू और लालबहादुर शास्त्री के कार्यकाल में भारत में बैंकिंग व्यवसाय पर निजी क्षेत्र का एकाधिकार था। ये बैंक उद्योग समूह का प्रतिनिधित्व करते थे। इन बैंकों के निदेशक अपने उद्योगों का विकास और लाभ को बढ़ाने में कार्यरत रहते थे। इसकी रोक-थाम करने के लिए सरकार ने वर्ष १९५५ में 'इम्पीरियल बैंक' का राष्ट्रीयकरण किया और उसे 'भारतीय स्टेट बैंक' में परिवर्तित किया। इस बैंक ने अल्पावधि में ही संपूर्ण देश में अपनी शाखाएँ खोलकर सरकारी विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना प्रारंभ किया।

राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि: भारत ने स्वातंत्र्योत्तर कालावधि में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया था। योजनाओं को कार्यान्वित करते समय यदि घाटा हो जाता है तो उसे पूरा करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना आवश्यक था। राष्ट्रीयकरण होने के बाद इन बैंकों को होने वाला लाभ सरकारी कोष में जमा होने वाला था। इसी के साथ लघु और मंझोले उद्योग से संबंधित विकास नीति को कार्यान्वित करना भी आवश्यक था। लालबहादुर शास्त्री ने खाद्यान्न की कमी को दूर करने और अकाल पर मात करने के लिए हरित क्रांति का प्रयोग प्रारंभ किया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में काँग्रेस पार्टी में समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर

क्या आप जानते हैं?

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने १९ जुलाई १९६९ को १४ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इनमें इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बरोड़ा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, सिंडीकेट बैंक, यूनायटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, (यूको बैंक), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इन १४ बैंकों का समावेश था। वर्ष १९८० में और छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

'कॉंग्रेस फोरम फॉर सोशालिस्ट एक्शन' दल ने व्यापारी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की माँग की। इस निर्णय को कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन प्राप्त था।

बीस सूत्री कार्यक्रम : १ जुलाई १९७५ को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की और विकसित राष्ट्र की दिशा में गतिमान प्रगति करने के प्रयासों का संकल्प किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे।

(१) कृषि और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम भूमि धारण कानून (चकबंदी कानून), संपत्ति का समान वितरण, खेत मजदूरों को न्यूनतम वेतन, जल संवर्धन योजनाओं में वृद्धि करना।

(२) श्रमिकों का उद्योग क्षेत्र में प्रतिभाग, राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना और बेगार से मुक्ति।

(३) कर चोरी की प्रवृत्ति, आर्थिक अपराध और तस्करी की रोक-थाम।

(४) जीवनावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण, राशनिंग व्यवस्था में सुधार करना।

(५) हथकरघा क्षेत्र के विकास द्वारा उत्तम वस्त्रोद्योग का निर्माण, दुर्बल वर्गों की ऋण से मुक्ति, आवास निर्माण, दूरसंचार सुविधाएँ, विद्यालयों के लिए शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना।

श्रमिक समस्या : मुंबई में पहली कपड़ा मिल ११ जुलै १८५१ को कावसजी डावर ने

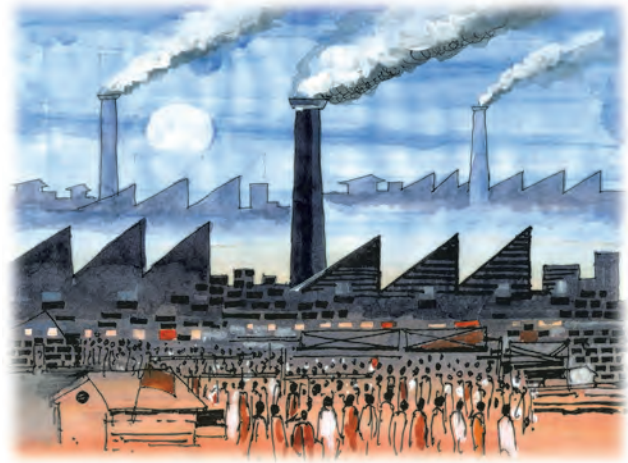

कपड़ा मिल

शुरू की। कालांतर में दादर, परेल, भायखला, शिवडी, प्रभादेवी और वरली में कपड़ा मिलें खुल गईं। यह क्षेत्र गिरणगाँव के रूप में पहचाना जाने लगा।

८० के दशक में श्रमिकों में असंतोष निर्माण हुआ। इसके लिए अन्य क्षेत्रों में उत्पन्न हुई स्थिति कारण बनी। कुछ उद्योगों में श्रमिकों के वेतन में वृद्धि हो रही थी। उन्हें बोनस की अधिक राशि मिल रही थी। कपड़ा मिल श्रमिकों की तुलना में उन्हें अधिक सुविधाएँ प्राप्त हो रही थीं।

क्या आप जानते हैं?

महात्मा जोतीराव फुले के सहयोगी नारायण मेघाजी लोखंडे इनके प्रयासों के परिणामस्वरूप यह निर्णय हुआ कि १ जनवरी १८८२ से मिल श्रमिकों को सप्ताह में एक दिन 'रविवार' को छुट्टी दी जाए।

वर्ष १९८१ की दीवाली में श्रमिकों को अपेक्षा थी कि उन्हें २०% बोनस मिलेगा। श्रमिकों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ कर रहा था। इस संघ ने श्रमिक वर्ग को विश्वास में न लेकर मालिकों के साथ बातचीत की और ८ से १७% पर बोनस को लेकर समझौता किया। बोनस में की गई यह कटौती असंतोष की चिंगारी सिद्ध हुई। कुछ श्रमिक डॉ. दत्ता सामंत से मिले। उन्होंने डॉक्टर सामंत से नेतृत्व स्वीकारने का निवेदन किया। ६५ मिलों के श्रमिक इकट्ठे आए और दत्ता सामंत

क्या आप जानते हैं?

सांस्कृतिक दृष्टि से भी श्रमिक वर्ग ने लोकनाट्य, लोककला और साहित्य जैसे क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अण्णाभाऊ साठे, शाहीर अमर शेख, शाहीर साबळे आदि अनेक लोकशाहीर (लोककवि) अपने जनजागरण कार्यक्रमों के कारण लोकप्रिय हुए थे। नारायण सुर्वे, नामदेव ढसाळ आदि कवियों ने मजदूरों की भीषण वास्तविकता के दर्शन अपनी कविताओं द्‌वारा कराए।

हड़ताल का नेतृत्व करने लगे। १८ जनवरी १९८२ को मुंबई में ढाई लाख मजदूर हड़ताल पर चले गए। गिरणगाँव की मशीनों की ठकठक रुक गई, मानो मुंबई का हृदय ही बंद हो गया था।

मुख्यमंत्री बै. अ. र. अंतुले ने इस समस्या का हल निकालने के लिए त्रिदलीय समिति का गठन किया। आगे चलकर बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्री बने। उनकी भूमिका थी कि कानूनी तौर पर सरकार केवल राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के साथ ही बातचीत करेगी। डॉ. दत्ता सामंत ने यह कानून रद्‌द करने की माँग की।

हड़ताल के प्रारंभिक समय में मजदूरों को उनके गाँवों से सहायता मिलने लगी। प्रारंभ में एक-दूसरे को सहयोग देना मजदूरों को कठिन प्रतीत नहीं हुआ। विभागों के अनुसार समितियाँ बनाकर उन्होंने अनाज और सहायता राशि का वितरण किया। वाम दलों ने हड़ताल को समर्थन दिया था लेकिन जैसे-जैसे हड़ताल खींची जाने लगी वैसे ही मजदूरों में फूट पैदा करने के प्रयास प्रारंभ हुए। हड़ताल को छह महीने पूर्ण हुए। केंद्र सरकार ने हड़ताल को पूरी तरह उपेक्षित किया। मजदूरों ने 'जेल भरो आंदोलन' शुरू किया। सितंबर १९८२ में डेढ़ लाख मजदूरों का जुलूस महाराष्ट्र विधान सभा पर गया परंतु विफलता हाथ लगी। हड़ताल को एक वर्ष पूर्ण हुआ। यह पहली हड़ताल थी जो इतने प्रदीर्घ समय तक चली। हड़ताल की कालावधि में लगभग डेढ़ लाख मजदूर बेरोजगार बने।

कपड़े की तुलना में पॉलिएस्टर को महत्त्व प्राप्त हुआ था। परिणामतः पहले से ही मिल की कपड़ा बिक्री पर प्रतिकूल परिणाम हुआ था। कपड़ा मिलें मुंबई से सूरत और गुजरात में स्थलांतरित हो गई थीं। केंद्र सरकार ने १३ मिलों का राष्ट्रीयकरण किया। इस समस्या को हल करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया; परंतु इसमें सफलता नहीं मिली।

नई आर्थिक नीति: आधुनिक भारत के इतिहास में वर्ष १९९१ महत्त्वपूर्ण वर्ष रहा। दसवें लोकसभा चुनावों के पश्चात केंद्र में पी.वी. नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के सहयोग से भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए नई आर्थिक नीति को स्वीकार किया। इसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में मौलिक परिवर्तन किए। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रवाह में ले आए।

पी. वी. नरसिंह राव

उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बड़ी विकट बनी हुई थी। पी.वी. नरसिंह राव से पूर्व चंद्रशेखर की सरकार थी। इस सरकार के कार्यकाल में मुद्रास्फीति की दर १७ प्रतिशत थी। आर्थिक वृद्धि दर १.१ प्रतिशत से घट गई थी। भारत के पास विदेशी मुद्रा का भंडार इतना कम रह गया था कि आयात एक सप्ताह तक ही किया जा सकता था। विदेशी ऋण का भुगतान करना और उसका ब्याज देना भी असंभव हो गया था। मई १९९१ में चंद्रशेखर सरकार के शासन काल में सरकार ने कुछ सोना बेचकर और कुछ गिरवी रखकर स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। चंद्रशेखर से पूर्व विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने सभी किसानों का सरसरी तौर पर ऋण माफ कर १० हजार करोड़ रुपयों से अधिक का भार अर्थव्यवस्था पर लाद दिया था। केंद्र और राज्य सरकारों के एकत्रित

अंतर्गत ऋण का सकल राष्ट्रीय आय से अनुपात लगभग ५५% हो गया। वर्ष १९८०-८१ में विदेशी ऋण २३५० करोड़ डॉलर्स तक बढ़ गया था। अब यह ऋण वर्ष १९९०-९१ में ८३८० करोड़ डॉलर्स तक बढ़ गया। इस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार केवल १०० करोड़ डॉलर्स था। इस स्थिति के लिए इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण किए जाने से तेल के बढ़ते दाम भी कारण था। भारत के लिए विदेशी ऋण खड़ा करना कठिन हो गया। अनिवासी भारतीयों ने भी विदेशी मुद्रा में किया हुआ अपना निवेश निकाल लेना प्रारंभ किया।

उपाय योजना : इस स्थिति से उबरने के लिए पी.वी.नरसिंह राव ने डॉ. मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया। डॉ. मनमोहन सिंह ने त्रुटि सुधार उपाय योजना (करेक्टिव मेजर्स) बनाई। स्थितियों में परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ।

डॉ. मनमोहन सिंह

उन्होंने विदेशी निवेश पर लगे प्रतिबंध हटा दिए। उद्योग क्षेत्र में प्रचलित अनुज्ञप्ति प्रणाली (लाइसेंस सिस्टम) १८ उद्योगों तक सीमित रखी। सार्वजनिक उद्योग क्षेत्रों में लाभ घटता जा रहा था और श्रमिकों की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही थी। इसे ध्यान में रखकर उन्होंने सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र निजी उद्योग क्षेत्रों के लिए खोल दिए। शेअर बाजार पर नियंत्रण लाने के लिए वर्ष १९९२ में सेबी (सेक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) का गठन किया। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का संगणकीकरण किया गया। मंदी के संकट को दूर करने को वरीयता दी गई।

डॉ. मनमोहन सिंह के अपने प्रथम वित्त मंत्री पद के कार्यकाल में भारत के विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। बैंक ऑफ इंग्लैड में गिरवी रखा अपना स्वर्ण भारत अपने देश में वापस ले आया। सरकार को देश के पूँजीपति वर्ग और मध्यवर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ। सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र मुक्त कर दिया। परिणामस्वरूप संपूर्ण देश में मोबाइल फोन की सेवाएँ प्रारंभ हुईं। डॉ. मनमोहन सिंह ने विश्व व्यापार संगठन के अनुबंध (करार) पर हस्ताक्षर कर निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को प्रारंभ किया।

वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (विश्व व्यापार संगठन) : भारत ने वर्ष १९९५ में 'वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन' **(WTO)** का सदस्यत्व स्वीकार किया। इस संगठन का उद्देश्य निम्नानुसार था।

अलग-अलग देशों के बीच चलने वाले व्यापार को मुक्त, बंधनरहित बनाना। अंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापार में बाधा बनने वाले और भेदभाव उत्पन्न करने वाले कानूनों नियमों, बंधनों और नीतियों को समाप्त करना। वैश्विक व्यापार का विधिवत बहुपक्षीय व्यवस्था द्वारा नियमन करना।

WTO के अस्तित्व में आने से पूर्व 'गैट' अस्तित्व में था अर्थात 'जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड' नाम का यह संगठन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा था। यह संगठन व्यापार का नियमन करता था। भारत में **WTO** को लेकर अति परस्पर विरोधी विचारधाराएँ थीं। इतना होने पर भी **WTO** के सदस्यत्व को स्वीकारने का निर्णय किया गया। 'विश्व व्यापार संगठन' के नियम-प्रावधान, अनुदान, आयात-निर्यात, विदेशी निवेश हेतु संरक्षित क्षेत्र, कृषि, तकनीकी विज्ञान और सेवाओं से संबंधित हैं। भारत के सदस्य बनने के बाद से बिजली, जल, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों का बड़ी शीघ्रता से व्यापारीकरण हुआ। 'विश्व व्यापार संगठन' के विभिन्न प्रतिवेदनों (रिपोर्टों) के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे वाली जनसंख्या में कमी लाना, बालमृत्यु दर को कम करना, पेयजल, धोवनजल से संबंधित सुविधाओं की उपलब्धता जैसे क्षेत्रों में भारत ने सुधार किए हैं।

विश्व व्यापार संगठन के साथ चलते हुए

भारत ने कालांतर में 'दक्षिण एशियाई व्यापार प्रधानता अनुबंध' (साऊथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट - **SAPTA**) पर हस्ताक्षर किए। भारत ने सार्क देशों के लिए विभिन्न वस्तुओं के आयात पर लगे प्रतिबंध हटा दिए। आयात शुल्क में छूट दी। भारत के बीमा क्षेत्र निजी और विदेशी निवेश के लिए खोल दिए।

इस तरह हमने स्वतंत्रोत्तर भारत की आर्थिक प्रगति का अध्ययन किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था से लेकर वैश्वीकरण तक की हमने यात्रा की। अगले पाठ में हम भारत द्वारा अन्य क्षेत्रों में की गई प्रगति का अध्ययन करेंगे।

स्वाध्याय

१. (अ) दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखिए।

(१) १९ जुलाई १९६९ को देश के प्रमुख .... बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
(अ) १२ (ब)१४ (क) १६ (ड)१८

(२) बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा........... ने की।
(अ) पं. नेहरू
(ब) लालबहादुर शास्त्री
(क) इंदिरा गांधी
(ड) पी.वी. नरसिंह राव

(ब) निम्न में से असंगत जोड़ी पहचानिए और लिखिए।

(१) कावसजी डावर - इस्पात का कारखाना
(२) डॉ.दत्ता सामंत - मिल मजदूरों का नेतृत्व
(३) ना.मे. लोखंडे - मिल मजदूरों को छुट्टी
(४) नारायण सुर्वे - कविताओं द्वारा श्रमिकों का जीवन दर्शन

२.(अ) तालिका पूर्ण कीजिए।

पंचवर्षीय योजना	कालावधि	उद्देश्य
प्रथम	----	कृषि, सामाजिक विकास
दूसरी	वर्ष १९५६-१९६१	औद्योगिकीकरण
तीसरी	----	विषमता का उन्मूलन,रोजगार अवसर के विस्तार, राष्ट्रीय आय में वृद्धि
....	१९६९-१९७४	वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन
पाँचवीं	----	....

(ब) अवधारणाएँ स्पष्ट कीजिए।

(१) मिश्रित अर्थव्यवस्था
(२) बीस सूत्री कार्यक्रम।

३. (अ) निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए।

(१) स्वतंत्र भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया।
(२) वर्ष १९६९ में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
(३) मिल मजदूरों ने हड़ताल की।

(ब) निम्न प्रश्नों के उत्तर २५ से ३० शब्दों में लिखिए।

(१) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कौन-से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए।

(२) दूसरी पंचवर्षीय योजना में किन परियोजनाओं का प्रारंभ किया गया?

उपक्रम

(१) अंतरजाल (इंटरनेट) की सहायता से **WTO** संगठन की जानकारी प्राप्त कीजिए। जैस- बोध चिह्न सदस्य देश, उद्देश्य, कार्यक्रम आदि।

(२) राष्ट्रीयकृत बैंक/उसकी शाखा में जाइए और उनके कामकाज की जानकारी प्राप्त कीजिए।

५ शिक्षा की विकास यात्रा

इस पाठ में हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख चरणों और योजनाओं की संक्षेप में समीक्षा करेंगे। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का विचार किया गया है। साथ ही; भारत के कुछ प्रतिनिधिक क्षेत्र के अनुसंधान संस्थानों की समीक्षा की है। इसके आधार पर हम संपूर्ण देश की शिक्षा व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं।

भारत में शिक्षा की समस्या कितनी जटिल और गंभीर है; इसका अनुभव हमें स्वतंत्र भारत में वर्ष १९५१ में हुई प्रथम जनगणना द्वारा हुआ। प्रथम जनगणना में साक्षरता का परिमाण १७% था। यह परिमाण निम्नानुसार बढ़ता गया।

जनगणना वर्ष	साक्षरता
१९७१	३४%
१९८१	४३%
१९९१	५२%
२००१	६४%

इस परिमाण को बढ़ाना भारत सरकार के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती का सामना करने हेतु सरकार ने अनेक उपाय योजनाएँ कीं।

प्राथमिक शिक्षा : ६ से १४ वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों को जो शिक्षा प्रदान की जाती है; उसे प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। वर्ष १९८८ में केंद्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने तथा शैक्षिक स्तर में सुधार लाने के लिए 'खड़िया -श्यामपट' नाम की योजना प्रारंभ की। यह योजना 'ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड' नाम से जानी जाती है। विद्यालयों के स्तर में सुधार लाना, शिक्षा की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना, कक्षा के न्यूनतम दो सुव्यवस्थित कमरे, स्वच्छतागृह, दो शिक्षकों में से एक महिला अध्यापिका, श्यामपट, मानचित्र, प्रयोगशाला सामग्री, छोटा-सा पुस्तकालय, मैदान, खेल सामग्री के लिए सरकार ने विद्यालयों को राशि उपलब्ध करा दी। इस योजना के कारण

क्या आप जानते हैं?

महाराष्ट्र राज्य की (वर्ष १९६०) स्थापना होने के पश्चात सरकार ने संपूर्ण राज्य के लिए पहली कक्षा से सातवीं कक्षा तक का एकसमान पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय किया। मुंबई के एस. टी. कॉलेज के प्राचार्य सैयिद रऊफ को पाठ्यक्रम का मसविदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया था।

प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को गतिमान होने में सहायता प्राप्त हुई।

वर्ष १९९४ में इस योजना को विस्तार देते हुए १०० से अधिक विद्यार्थी संख्यावाले विद्यालयों में एक कमरा और एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। छात्राओं के विद्यालयों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल विद्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों को वरीयता दी गई। शिक्षकों की नियुक्तियों में ५०% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति करने का बंधन राज्य सरकार पर लगाया गया। वर्ष १९९४ में प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लिए 'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम' (DPEP) शुरू किया गया। यह उपक्रम महाराष्ट्र सहित सात राज्यों में शुरू हुआ। प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की १००% उपस्थिति, विद्यार्थियों के होने वाले रिसाव को रोकना, लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई, दिव्यांगों के लिए शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर अनुसंधान और मूल्यांकन, वैकल्पिक शिक्षा, सामाजिक जागृति आदि उपक्रमों का इसमें समावेश

क्या यह होगा?

वर्ष १९९१ में केरल राज्य पूर्णतः साक्षर हो गया। महाराष्ट्र राज्य को पूर्णतः साक्षर होने के लिए कौन-सी उपाय योजनाएँ की जा सकती हैं?

क्या आप जानते हैं?

ताराबाई मोडक ने बोर्डी और कोसबाड़ में शैक्षिक कार्य को प्रारंभ किया। आदिवासी बच्चों के लिए आंगनबाड़ियाँ (प्रारंभिक कक्षाएँ) प्रारंभ कीं। प्रत्यक्ष कृति द्वारा शिक्षा, चरागाह शाला, तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार करने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम उठाए।

अनुताई वाघ ने ठाणे जिले के कोसबाड़ में आदिवासियों की उन्नति के लिए एक संस्था स्थापित की। यह संस्था 'कोसबाड़ परियोजना' के रूप में विख्यात है। आदिवासियों की शिक्षा के लिए अनुताई वाघ ने पालना घर, बालवाड़ियाँ, प्राथमिक विद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, बालसेविका प्रशिक्षण महाविद्यालय आदि शैक्षिक संस्थान खोले हैं।

था। विद्यार्थियों का उचित भरण-पोषण हो; इसके लिए वर्ष १९९५ में 'मध्याह्न भोजन योजना' का प्रारंभ किया गया।

माध्यमिक शिक्षा : भारत स्वतंत्र होने के पश्चात शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शिक्षा क्षेत्र में आमूलाग्र परिवर्तन लाने का निश्चय किया। इसके लिए 'विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग' का गठन किया गया था। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में एक स्वतंत्र आयोग गठित किए जाने की सिफारिश की। उसके अनुसार वर्ष १९५२-५३ में 'मुदलियार आयोग' का गठन किया गया। उस समय भारत में शिक्षा का प्रतिरूप (पैटर्न) ग्यारहवीं + स्नातक के ४ वर्ष अथवा ११ + १+३ था।

मौलाना आजाद

आयोग का कार्य : आयोग ने माध्यमिक शिक्षा, पाठ्यक्रम, अध्यापन पद्धतियाँ आदि का अध्ययन कर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। इस आयोग ने उच्च माध्यमिक कक्षाओं की संकल्पना रखी थी परंतु उस संकल्पना को संपूर्ण देश में कार्यान्वित करना दुरूह हो गया।

क्या आप जानते हैं?

'महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ' : इस संस्था की स्थापना १ जनवरी १९६६ को पुणे में की गई। इस 'मंडळ' द्वारा १० वीं और १२ वीं कक्षाओं की शालांत परीक्षाएँ ली जाती हैं। 'मंडळ' की ओर से 'शिक्षण संक्रमण' पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है।

कोठारी आयोग : वर्ष १९६४ में डॉ. डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के कामकाज में जे. पी. नाईक का उल्लेखनीय योगदान रहा। इस आयोग ने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालयीन स्तर पर १०+ २+ ३ प्रतिरूप (पैटर्न) की सिफारिश की। यह व्यवस्था (पैटर्न) वर्ष १९७२ से कार्यान्वित हुई। कोठारी आयोग ने शिक्षा की एक ही राष्ट्रीय प्रणाली हो, शिक्षा में मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का समावेश हो, शिक्षा को समाज के निचले से निचले स्तर तक ले जाने के लिए निरंतर शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय जैसे उपक्रम सुझाए। अनुसूचित जातियों-जनजातियों जैसे उपेक्षित वर्गों को प्राथमिकता देना, सरकारी बजट में शैक्षिक

डॉ.डी.एस.कोठारी

जे.पी.नाईक

व्यय को बढ़ाना जैसी सिफारिशें की।

महाराष्ट्र राज्य ने वर्ष १९७२ में १०+२ +३ इस शैक्षिक संरचना को स्वीकार कर वर्ष १९७५ में दसवीं कक्षा की प्रथम शालांत परीक्षा ली।

कोठारी आयोग द्‌वारा सुझाए गए शिक्षा के उद्‌देश्य।

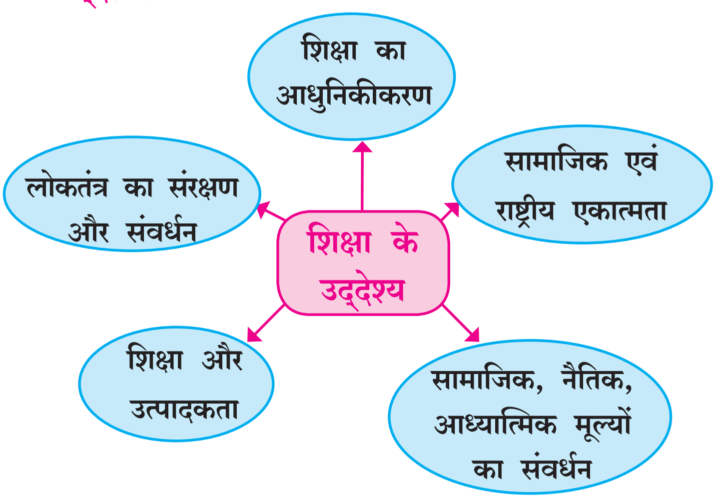

उच्च शिक्षा

स्वातंत्र्योत्तर कालावधि में शिक्षा: स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष १९४८ में केंद्र सरकार ने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्‌यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। आयोग को वित्तीय अनुदान, विश्वविद्‌यालयों की गुणवत्ता और समन्वय बनाए रखने जैसे कार्य सौंपे गए।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

कार्यप्रणाली : आयोग ने पंचवर्षीय पद्‌धति को स्वीकार किया। विश्वविद्‌यालयों के अनुदानों को स्वीकृत कर उनका वितरण करने का कार्य आयोग ने सरकार की ओर से प्रारंभ किया। विश्वविद्‌यालयीन शिक्षा नियोजन, पाठ्‌यक्रमों में सूत्रबद्‌धता, शिक्षा द्‌वारा राष्ट्रीय आवश्यकताओं को प्राथमिता देना, उच्च शिक्षा की विभिन्न योजनाएँ तैयार कर उनका कार्यान्वयन करना जैसे उपक्रम आयोग चला रहा है। आयोग ने विश्वविद्‌यालयीन विकास परिषदों को गठित करना, स्नातकोत्तर अध्यापन हेतु उन्नत अध्यापन केंद्र तथा नए विश्वविद्‌यालय स्थापित करना जैसे विषय में महत्त्वपूर्ण कार्य किया। भारत में दूरदर्शन शुरू होने के पश्चात आयोग द्‌वारा 'कंट्रीवाइड क्लासरूम' कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया।

क्या आप जानते हैं?

महाराष्ट्र में वर्ष १९६५ में कला शिक्षा की नीति को तय करने और उन नीतियों को कला संस्थानों द्‌वारा कार्यान्वित करने हेतु कला निदेशालय की स्थापना की गई। विद्‌यालयीन स्तर पर ली जाने वाली 'ड्राईंग ग्रेड' परीक्षाओं को आयोजित करने का दायित्व इस विभाग ने स्वीकारा है।

नैशनल काउंसिल ऑफ एज्यूकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) : १ सितंबर १९६१ को दिल्ली में इस संस्थान की स्थापना की गई। केंद्र सरकार को विद्‌यालयीन शिक्षा के विषय में, सर्वांगीण नीतियों के संदर्भ में और शैक्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग देना इस संस्थान का प्रमुख उद्‌देश्य है। शिक्षा से संबंधित अनुसंधान/ शोधकार्य, विकास, प्रशिक्षण, विस्तार, शैक्षिक कार्यक्रम, शालेय पाठ्‌यक्रम और पाठ्‌यपुस्तकों की पुनर्रचना आदि का उत्तरदायित्व NCERT को सौंपा गया है। इस संस्थान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहयोग से शालेय पाठ्‌यक्रम एवं पाठ्‌यपुस्तकों के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाई। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में NCERT ने राज्य सरकार को सहयोग और मार्गदर्शन दिया है। शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिकाएँ, कार्यपुस्तिकाएँ, अध्यापन पुस्तिकाएँ बनाना, अध्ययन-अध्यापन तकनीकी का विकास करना, राष्ट्रीय स्तर पर प्रज्ञाशोध परीक्षाओं का आयोजन करना जैसे उपक्रम चलाए।

NCERT के आधार पर सभी राज्यों में

SCERT संस्थानों की स्थापना की गई।

महाराष्ट्र राज्य के लिए महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन (अनुसंधान) तथा प्रशिक्षण परिषद **(MSCERT)** नामक संस्था की स्थापना की गई। यह स्थापना वर्ष १९६४ में पुणे में की गई। प्राथमिक शिक्षा का स्तर ऊपर उठाना, शिक्षकों के लिए सेवांतर्गत प्रशिक्षण का आयोजन करना, पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन के संदर्भ में प्रशिक्षण देना, दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की परीक्षाओं के बाद विद्यार्थी कौन-से व्यावसायिक पाठ्यक्रम चुनें; इसका विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना जैसे शैक्षिक कार्य यह संस्थान करता है। इस संस्थान को 'विद्या प्राधिकरण' नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस संस्थान द्वारा 'जीवन शिक्षण' नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है।

क्या आप जानते हैं?

महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती) नामक संस्थान की स्थापना २७ जनवरी १९६७ को पुणे में हुई। शालेय विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार करने का कार्य बालभारती करती है। ये पाठ्यपुस्तकें मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कन्नड़, सिंधी, गुजराती और तेलुगु इन आठ भाषाओं में तैयार की जाती हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक नीति १९८६ : इस नीति के अनुसार बदलते समाज की आवश्यताओं को ध्यान में लेकर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में मौलिक परिवर्तन लाए गए। इस नीति के अंतर्गत सभी राज्यों के लिए एक न्यूनतम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सुझाया गया। इस नीति के अनुसार यह अपेक्षा की गई है कि भारत के सभी विद्यार्थियों को एक समान शैक्षिक अवसर प्राप्त हो। प्रत्येक राज्य की अपनी सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में लचीलापन लाने के लिए अवसर रखा गया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक नीति वर्ष १९८६ का प्रभावशाली कार्यान्वयन होने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कृति कार्यक्रम तैयार किया गया। इसी कृति कार्यक्रम पर आधारित 'प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम-१९८८' तैयार किया गया।

क्या आप जानते हैं?

क्षमताधिष्ठित प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम १९९५ : प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम १९८८ का कार्यान्वयन किया जा रहा था; तभी राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम अध्ययन क्षमताएँ निश्चित करने के लिए डॉ. आर.एच. दवे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। दवे समिति ने भाषा, गणित और परिसर अध्ययन विषयों के लिए पाँचवीं कक्षा तक की न्यूनतम अध्ययन क्षमताओं की तालिकाएँ विकसित कीं। इनमें यह दर्शाया गया था कि एक ही कक्षा की क्षमताएँ किन क्रमों से विकसित होनी चाहिए।

उपग्रह का उपयोग : वर्ष १९७५ में शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपग्रह का उपयोग करने में भारत ने सफलता पाई। इसमें इसरो के

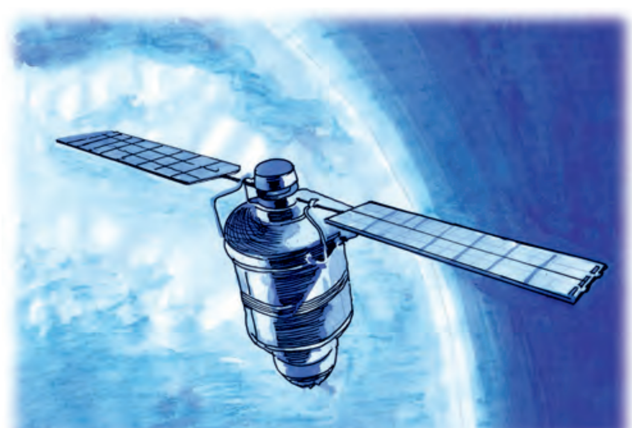

एज्युसैट उपग्रह

वैज्ञानिक एकनाथ चिटणीस ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के मार्गदर्शन में शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत 'साइट' (सैटेलाइट इन्स्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरीमेंट) यह प्रयोग किया गया। यहीं से 'उपग्रह के माध्यम से शिक्षा प्रणाली' अवधारणा आगे आई। इस उपक्रम के लिए

अमेरिका ने भारत को सहयोग दिया था। इसी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराना संभव हुआ।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय : देश के सामान्य जनों के घरों तक ज्ञानगंगा ले जाने के लिए इस मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष १९७० को 'विश्व शैक्षिक वर्ष' के रूप में घोषित किया था। इसी वर्ष भारत सरकार के शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और यूनेस्को के संयुक्त तत्त्वावधान में 'मुक्त विश्वविद्यालय' विषय पर नई दिल्ली में चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था। इस चर्चा सत्र में से विश्वविद्यालय की स्थापना की अवधारणा सामने आई।

वर्ष १९७४ में सरकार ने पी. पार्थसारथी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। उसके द्वारा दिए गए सुझावों और सिफारिशों के अनुसार २० सितंबर १९८५ को मुक्त विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। इस विश्वविद्यालय को इंदिरा गांधी का नाम दिया गया।

समझ लीजिए।

महाराष्ट्र के नाशिक में वर्ष १९८९ में यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में अंतरजाल (इंटरनेट) की सहायता से जानकारी प्राप्त कीजिए।

जिन विद्यार्थियों को महाविद्यालय में विधिवत शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं हुआ; उन्हें इस मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु योग्यता, आयु तथा अन्य नियमों-शर्तों में छूट दी गई। विश्वविद्यालय ने वर्ष १९९० में आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से दृश्य-श्रव्य पद्धति द्वारा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया। विश्वविद्यालय ने विभिन्न शाखाओं द्वारा एक हजार से अधिक पाठ्यक्रम चलाए। देश में ५८ प्रशिक्षण केंद्र, विदेश में ४१ केंद्र स्थापित कर विश्वविद्यालय ने शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई।

अनुसंधान संस्थान - विज्ञान

स्वातंत्र्योत्तर समय में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने और अनुसंधान के लाभ सभी तक पहुँचे, इस उद्देश्य से वर्ष १९५० में 'कौंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च' संस्थान की स्थापना की गई। भौतिकी विज्ञान, रसायन, औषधी विज्ञान, अन्न प्रक्रिया, खदान कार्य जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ। इन संस्थानों में होने वाले अनुसंधान कार्यों का लाभ भारत के उद्योगों को मिले; इसके लिए औद्योगिक संस्थानों के साथ अनुबंध किए गए। परिणामस्वरूप भारत का आयात कम हुआ और विदेशी मुद्रा की बचत हुई। इस संस्थान ने मौलिक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेशों में गए हुए विद्यार्थियों को भारत में लौटा लाने में इस संस्थान की प्रयोगशालाओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस संस्थान ने मतदान प्रक्रिया में उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही, टाइफाइड, हाथी रोग, क्षय रोग की औषधियाँ, जलशुद्धीकरण का तकनीकी विज्ञान, बाँस उत्पादन के लिए लगने वाली अवधि को कम करना जैसे कार्य किए। फिंगर प्रिंटिंग विज्ञान भारत में सबसे पहले उपयोग में लाना, अंदमान के आदिवासियों का जनुकीय अध्ययन कर वे जनजातियाँ साठ हजार वर्ष प्राचीन हैं, इसे सिद्ध करना, भूकंप की पूर्वसूचना प्राप्त करना जैसे कार्य इस संस्थान ने किए।

कड़वी नीम का कीटनाशक के रूप में उपयोग करना, घाव को ठीक करने के लिए हल्दी का उपयोग करना, चावल की विभिन्न प्रजातियों के संदर्भ में स्वामित्व (पेटेंट) जैसी बातों में CSIR संस्थान ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। CSIR ने भारत के परंपरागत ज्ञान का डिजीटल कोश तैयार कर उसे आठ अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया।

गणित : तमिलनाडु के 'नैशनल इन्स्टिट्यूट फॉर रिसर्च इन दि मैथेमैटिकल एंड फिजिकल साइंस' नामक संस्थान की वर्ष १९६२ में स्थापना हुई। इस संस्थान ने गणित विषय में होने वाले सर्वोच्च अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया।

संगणक : वर्ष १९६९ में हमने स्वदेशी बनावट का संगणक बनाया। इंडियन स्टैटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट और जादवपुर विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप में स्वदेशी बनावट का प्रथम संगणक 'आईएसआईजेयू' निर्मित किया। वर्ष १९७४ में टाटा कंसलटेंसी सर्विसेस अर्थात 'टीसीएस' कंपनी को अमेरिका से सॉफ्टवेयर निर्मिति क्षेत्र का ठेका (कॉण्ट्रेक्ट) मिला और भारत में सॉफ्टवेयर उद्योग प्रारंभ हुआ। संगणक के कारण वैज्ञानिक अनुसंधान को गति प्राप्त हुई।

वर्ष १९८७ में अमेरिका ने भारत को महासंगणक देने से इनकार किया। फलतः राजीव गांधी सरकार ने स्वयं महासंगणक विकसित करने का निर्णय किया। वर्ष १९८८ में केंद्र सरकार ने पुणे में 'सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्प्युटिंग' (सी-डैक) अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। वर्ष १९९१ में डॉ विजय भटकर के मार्गदर्शन में परम-८००० इस महासंगणक की निर्मिति की गई।

भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर (BARC) : इस संस्थान द्वारा न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिकल एंड लाइफ साइंसेस जैसे विभिन्न विषयों में असाधारण अनुसंधान कार्य किया गया है। परमाणु भट्ठी निर्माण हेतु वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग स्कूल खोले गए।

अभियांत्रिकी

आईआईटी : वर्ष १९५१ में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में पहला इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी **(IIT)** (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) स्थापित किया गया।

भारत में अभियांत्रिकी की सभी शाखाओं की उच्च और उन्नत शिक्षा उपलब्ध हो और उसके माध्यम से देश की विज्ञान से संबंधित आवश्यकताएँ पूर्ण की जा सकें, यह उद्देश्य इस संस्थान की स्थापना का है। पवई (मुंबई), चेन्नई, कानपुर के पश्चात नई दिल्ली के अभियांत्रिकी महाविद्यालय को आईआईटी में रूपांतरित किया गया। इन संस्थानों को स्थापित करने में सोवियत संघ, अमेरिका, जर्मनी और यूनेस्को ने सहयोग दिया।

भारत के आईआईटी संस्थान को स्वायत्त विश्वविद्यालयों का स्तर प्रदान कर बी. टेक और एम. टेक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए। प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश, उचित शुल्क और विद्यार्थियों के लिए आरक्षण ये आईआईटी संस्थान की विशेषताएँ हैं। वर्ष १९७०-८० के दशक में इस संस्थान के विद्यार्थी बड़ी संख्या में विदेश जाने लगे। फलस्वरूप ब्रेन ड्रेन की समस्या (अर्थात उच्च शिक्षित विद्यर्थियों का स्थायी रूप में विदेश में जाना) उत्पन्न हो गई। वर्ष १९९० के बाद इस स्थिति में बदलाव आया। वर्ष १९९४ में गुवाहाटी (असम), २००१ रूरकी में आईआईटी संस्थान की स्थापना की गई।

इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM): आईआईटी में उच्च गुणवत्तावाले अभियंता शिक्षित होने लगे। अब कुशल प्रबंधक निर्माण करने हेतु केंद्र और गुजरात राज्य सरकार ने अहमदाबाद में इस संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान

क्या आप जानते हैं?

'फिल्म एंड टेलीविजन इन्स्टिटयूट ऑफ इंडिया' संस्थान में फिल्म निर्माण के संदर्भ में प्रत्येक अंग/शाखा की विधिवत शिक्षा प्राप्त होती है। फिल्म से जुड़े निदेशन, संकलन (एडीटिंग) और अभिनय जैसी सभी बातों का वैज्ञानिक प्रशिक्षण देने की सुविधा इस संस्थान में उपलब्ध है। इस संस्थान को पुणे की 'प्रभात फिल्म कंपनी' की विरासत प्राप्त है फलतः यह संस्थान संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त है।

के निर्माण में अमेरिका के हॉर्वर्ड बिजनेस स्कूल का सहयोग प्राप्त हुआ। इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) संस्थानों की स्थापना कोलकाता, बेंगलूरू, लखनऊ, कोजीकोडे, इंदौर और शिलांग में की गई।

नैशनल इन्स्टिटयूट ऑफ डिजाइन(NID): वर्ष १९६१ में अहमदाबाद में औद्योगिक आरेखन (इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग) विषय का प्रशिक्षण देने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई। इस संस्थान ने वर्ष १९६३-६४ में बेसिक (मौलिक) डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, वस्तुओं का डिजाइन, विजुअल कम्यूनिकेशन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए। इस संस्थान ने आकाशवाणी सेट (ट्रांजिस्टर), गणकयंत्र (कैलक्यूटर) जैसी वस्तुओं का आरेखन (डिजाइन), इंडियन एयरलाइंस और स्टेट बैंक के बोध चिह्न तैयार करने जैसे कार्य किए।

अनुसंधान संस्थान - चिकित्सा क्षेत्र

स्वतंत्रता के पश्चात चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान/शोधकार्य हेतु वर्ष १९४९ में 'भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद' (ICMR) की स्थापना हुई। इस संस्थान द्वारा देश के विश्वविद्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों शासकीय और अशासकीय अनुसंधान संस्थानों को अनुसंधान के लिए सहयोग, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता प्राप्त कराने का दायित्व सौंपा गया। विभिन्न रोगों पर अनुसंधान करने वाले २६ केंद्र संपूर्ण देश में शुरू हुए। इस संस्थान में किए गए अनुसंधान के फलस्वरूप क्षय रोग (टी.बी.) और कुष्ठरोग (कोढ़) पर नियंत्रण पाना संभव हुआ।

इसी क्षेत्र में उन्नत चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 'ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस' (AIIMS) संस्थान का गठन किया गया। इस संस्थान को चिकित्सा विज्ञान के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के शिक्षा का दायित्व सौंपा गया। चिकित्सा विज्ञान के अधिकाधिक संकायों के महाविद्यालय, जहाँ स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, अनुसंधान/शोधकार्य की उत्तम सुविधाएँ, सुसज्जित सार्वजनिक अस्पताल ये सभी इस संस्थान की विशेषता है। इस संस्थान द्वारा आम लोगों को उचित दामों में चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं। परिचारिकाओं के प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र महाविद्यालय खुलवाए गए तथा हृदयरोग, मस्तिष्क विकार और नेत्र रोगों पर उपचार करने हेतु सुपर स्पेशालिटी केंद्र खोले गए हैं। सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र का अधिक विकास करने हेतु वर्ष १९५८ में 'मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया' संस्थान का पुनर्गठन किया। इस संस्थान को चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता का निकष निर्धारण और निरीक्षण तथा उसकी जाँच करने का दायित्व सौंपा गया है।

क्या आप जानते हैं?

आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार, यूनानी और होमियोपैथी इन चिकित्सा प्रणालियों में अनुसंधान और विकास करवाने हेतु वर्ष १९६९ में 'सेंट्रल कौंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एंड होमियोपैथी' संस्थान की स्थापना की गई थी। वर्ष १९७९ में इस संस्थान को समाप्त कर तीन नए संस्थानों की स्थापना की गई।(१) सेंट्रल कौंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन (२) सेंट्रल कौंसिल फॉर रिसर्च इन होमियोपैथी (३) सेंट्रल कौंसिल फॉर रिसर्च इन योग एंड नेचुरल क्युअर।

इन संस्थानों को संबंधित चिकित्सा प्रणाली के अनुसार विभिन्न रोगों पर अनुसंधान कार्य कराना, उनका परीक्षण कराना, औषधियों का प्रमाणीकरण कराने का दायित्व सौंपा गया है।

कर्करोग (कैंसर) शिक्षा : 'एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एज्यूकेशन इन कैंसर' यह संस्थान टाटा मेमोरियल सेंटर की शाखा है। कर्करोग से संबंधित उपचार, अनुसंधान और कर्करोग से संबंधित शिक्षा प्राप्ति के लिए यह संस्थान राष्ट्रीय स्तर के केंद्र के रूप में कार्यरत है।

अनुसंधान संस्थान – कृषि

भारत के कृषि क्षेत्र में वर्ष १९०५ में ही अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को (इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट) वर्ष १९५८ में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। कृषि क्षेत्र का विकास, अनुसंधान/शोधकार्य, सुसज्जित प्रयोगशालाएँ, मृदा विज्ञान, कृषि विज्ञान, आर्थिक वनस्पति विज्ञान आदि विभागों द्वारा विश्वविद्यालय का कार्य प्रारंभ हुआ।

इस संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके मुख्यालय में पुस्तकालय है। यह पुस्तकालय देश का सबसे बड़ा कृषि से संबंधित पुस्तकालय है। गेहूँ, दलहन, पेराई की फसलें, शाक-सब्जी जैसी बातों पर अनुसंधान/शोधकार्य प्रारंभ हुआ। एक वर्ष में एक से अधिक फसलें लेने की प्रणालियों के विषय में यहाँ मौलिक अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ; यह इस संस्थान का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है। इसका लाभ किसानों को हुआ है।

अगले पाठ में हम महिलाओं के संदर्भ में कानून, महिलाओं का योगदान, अन्य दुर्बल वर्गों के संदर्भ में सरकार की भूमिका इनके बारे में अध्ययन करेंगे।

स्वाध्याय

१. दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखिए।

(१) ....वैज्ञानिक ने परम ८००० महासंगणक बनाया।
(अ) डॉ. विजय भटकर (ब) डॉ. आर. एच. दवे (क) पी. पार्थसारथी (ड) उपर्युक्त में से कोई नहीं

(२) ....संस्थान द्वारा 'जीवन शिक्षण' नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है।
(अ) बालभारती (ब) विद्या प्राधिकरण
(क) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग
(ड) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ

(३) आईआईटी शैक्षिक संस्थान निम्न क्षेत्र की शिक्षा प्रदान करने के लिए विख्यात है।
(अ) कृषि (ब) चिकित्सा (क) कुशल प्रबंधक (ड) अभियांत्रिकी

२. दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए।

(१) भारत के शैक्षिक क्षेत्र के निम्न व्यक्ति और उनके कार्यों को लेकर तालिका पूर्ण कीजिए।

व्यक्ति	कार्य
भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री	....
....	विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष
प्रा. सैयिद रऊफ	....
....	कोसबाड़ परियोजना

(२) 'नैशनल सेंटर फॉर एज्यूकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग' संस्थान की जानकारी अंतरजाल की सहायता से प्राप्त कीजिए और उसे प्रवाही तालिका के रूप में लिखिए।

३. निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट कीजिए।

(१) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।
(२) NCERT की स्थापना की गई।
(३) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किसानों को लाभ हुआ।

४. टिप्पणी लिखिए।

(१) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
(२) कोठारी आयोग
(३) भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर
(४) बालभारती

५. निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए।

(१) 'खड़िया-श्यामपट (ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड) योजना के अंतर्गत किन उपक्रमों का समावेश था?
(२) कृषि विकास में कृषि विद्यालय/महाविद्यालय कौन-सी भूमिका निभाते हैं?
(३) भारत के चिकित्सा क्षेत्र में हुई प्रगति को विविध उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए।
(४) अपने विद्यालय में आयोजित किए जाने वाले शालेय और सहशालेय उपक्रमों के विषय में जानकारी लिखिए।

उपक्रम

अपने विद्यालय में विज्ञान मेला का आयोजन कीजिए। इस मेला के माध्यम से 'जल शुद्धीकरण' के विषय में बोध जागृत करने हेतु प्रयास कीजिए।।

६ महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तीकरण

महिलाओं ने स्वतंत्रता युद्ध में बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया था। स्वातंत्र्योत्तर कालावधि में भी स्त्रियों का योगदान सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय रहा है। हम इस पाठ में उनके द्वारा दिए गए इसी योगदान का अध्ययन करेंगे। साथ ही, महिलाओं के संदर्भ में बनाए गए कुछ कानून तथा अन्य कमजोर वर्गों के संदर्भ में निर्मित कानून का अध्ययन करेंगे।

इसे मालूम कर लें।

प्रति हजार पुरुषों में स्त्रियों का अनुपात।

अ.क्र.	जनगणना वर्ष	स्त्रियों का अनुपात
१.	१९५१	९४६
२.	१९६१	९४१
३.	१९७१	९३०
४.	१९८१	९३४
५.	१९९१	९२७
६.	२००१	९३३

प्रति हजार पुरुषों में स्त्रियों का अनुपात क्यों घट रहा है, इसके कारणों की खोज कीजिए।

भारतीय स्त्रियों की परिस्थिति का अध्ययन करते समय ध्यान में आता है कि उनकी कई समस्याओं की जड़ पुरुषों की मानसिकता में छिपी हुई है। आज हम इक्कीसवीं शताब्दी में आ चुके हैं फिर भी पुरुषों की इस मानसिकता से हम मुक्त नहीं हो सके हैं। महात्मा गांधीजी के सिद्धांत पर विश्वास कर विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन में उन्होंने स्त्री शक्ति का उपयोग करवा लिया। स्त्री स्वयंसेविकाएँ भूदान का विचार लेकर संपूर्ण भारत में पहुँचीं। निजामशाही और सामंती व्यवस्था को चुनौती देने वाले तेलंगाना के किसानों के स्वतंत्रता युद्ध में स्त्रियों का उल्लेखनीय प्रतिभाग था। यह क्षेत्र बेगारमुक्त होने के कारण ही स्त्रियों को इस संकट से मुक्ति मिली।

स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण : जीवनावश्यक वस्तुओं की कमी और महँगाई का सामना सबसे अधिक स्त्रियों को करना पड़ता है। इन्हीं स्त्रियों ने वर्ष १९७२ में महाराष्ट्र में अपनी संगठित शक्ति के प्रदर्शन कराए थे। समाजवादी नेता मृणाल गोरे के नेतृत्व में मुंबई की महिलाओं ने बेलन मोर्चा निकाला था। ऐन दीवाली में तेल, घी, चीनी, सूजी, मैदा जैसी वस्तुओं की जबरदस्त कमी पैदा हो गई थी। मिट्टी का तेल महँगा हो गया था। फलतः महिलाओं ने इकट्ठे आकर हाथ में बेलन उठाया और जुलूस निकाला। इस आंदोलन को सफलता मिली और जनता महिलाओं की सामूहिक शक्ति के प्रकटीकरण से भली-भाँति परिचित हो गई।

मृणाल गोरे

चिपको आंदोलन: स्त्री शक्ति का रचनात्मक प्रकटीकरण वर्ष १९७३ में हुए चिपको आंदोलन द्वारा दिखाई दिया। हिमालय की तलहटी वाले जंगलों के पेड़ व्यापारिक उद्देश्य के लिए बड़ी मात्रा में काटे जाने वाले थे। इसके विरोध में चंडीप्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन चलाया। स्त्रियों ने हाथ में हाथ गूँफकर वृक्ष के चारों ओर घेरा डालने की पद्धति अपनाई। पेड़ों की कटाई न हो; इसके लिए वे जंगलों के पेड़ों से चिपक जातीं और पेड़ों को बचाने का प्रयास करतीं। इस प्रकार का स्वरूप इस आंदोलन का था। इसलिए इस आंदोलन को 'चिपको आंदोलन' कहते हैं। इस आंदोलन में स्त्रियों ने बड़ी मात्रा में

सुंदरलाल बहुगुणा

गौरादेवी

हिस्सा लिया था। इस परिसर की कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं का व्यापक सहभाग था। गौरी देवी कार्यकर्ती ने स्त्रियों में जागृति उत्पन्न की। उन्हें सुदेशा देवी, बचनी देवी का सहयोग प्राप्त हुआ।

शराब के विरोध में आंदोलन: वर्ष १९९२ में शराब के विरोध में आंध्र प्रदेश में 'शराबपान विरोध आंदोलन' प्रारंभ हुआ। कालांतर में इस आंदोलन को विभिन्न राज्यों में बहुत अच्छा समर्थन मिला। शराब पीने की लत से घर के कर्ता-धर्ता व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है और परिवार के अन्य सभी लोगों पर संकट आ जाता है। इसका सब से बड़ा आघात परिवार की स्त्रियों को लगता है। शराब पीने की लत से दुख, दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इस आंदोलन को आंध्र प्रदेश में हुए 'अरक' (अर्क) विरोध आंदोलन से लाभ प्राप्त हुआ।

आंध्र प्रदेश में सरकारी नीति के परिणाम स्वरूप अरक (स्थानीय शराब) विक्रेताओं ने गाँव-गाँव में अरक की दूकानें खोलीं। गाँवों की निर्धन, परिश्रमी जनता शराब की आदी बन गई थी। उसी समय गाँव-देहातों में साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा था। इस कार्यक्रम में 'सीतामा कथा' (सीता की कहानी) बताई जाती थी। इस कथा में बताया गया था कि सीता गाँववालों में जागृति पैदा कर किस प्रकार शराब की रोक-थाम करती है। वर्ष १९९२ में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दुबागुंटा गाँव में तीन युवा लड़के शराब के नशे में एक तालाब में डूबकर मर गए। इस घटना के बाद गाँव की सभी महिलाएँ इकट्‌ठी आईं। उन्होंने अरक बेचने वाली दूकाने बंद कर दीं। स्थानीय समाचारपत्र में यह समाचार आते ही गाँव-गाँव में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। यह आंदोलन संपूर्ण राज्य में फैल गया। परिणामतः सरकार ने शराब बिक्री के विरोध में कड़ी नीति अपनाई।

अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष : संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष १९७५ को 'अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष' के रूप में घोषित किया था। शांति, विकास और स्त्री-पुरुष समानता यह इस कार्यक्रम की त्रिसूत्री थी। भारत सरकार ने वर्ष १९७५ में डॉ. फुलरेणु गुहा की अध्यक्षता में महिला आयोग का गठन किया। स्त्रियों का सामाजिक स्थान, स्त्रियों के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों के परिणाम, स्त्रियों की शिक्षा और उसका प्रतिशत, शिक्षा के फलस्वरूप उनका विकास, नौकरी करने वाली महिलाओं की समस्याएँ, स्त्रियों की रोजगार के संदर्भ में वर्तमान स्थिति, उन्हें मिलने वाला वेतन (पुरुषों के संदर्भ में), स्त्री-पुरुष अनुपात, जन्म-मृत्यु दर, स्त्रियों की भूमिका जैसे सर्वांगीण मुद्‌दों के आधार पर सर्वेक्षण किया गया।

डॉ. फुलरेणु गुहा

इन सभी बातों पर विचार कर महाराष्ट्र में वर्ष १९७५ में 'स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति' की ओर से महिलाओं के लिए आयोजित राज्यव्यापी परिषद में सभी क्षेत्रों की महिलाओं ने सहभाग लिया था। वर्ष १९७८ में समिति का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। इस घोषण पत्र में लिंगभेद, जातिभेद, वर्णभेद जैसे विषमतापूर्ण घटकों के विरोध में संघर्ष प्रारंभ करने की नीति को स्वीकारा गया। इसी के परिणामस्वरूप, 'स्त्रीमुक्ति की ललकार' गीतसंग्रह, ज्योति म्हापसेकर का लिखा नुक्कड़ नाटक 'मुलगी झाली हो' (बेटी पैदा हुई जी) और मुखपत्र 'प्रेरक ललकारी' (प्रेरणादायी ललकार) जैसे उपक्रम प्रारंभ हुए। वर्ष १९७७ में पुणे में सौदामिनी राव द्‌वारा स्थापित 'स्त्रीमुक्ति आंदोलन समिति', 'बायजा' नामक द्‌विमासिक, औरंगाबाद में 'स्त्री उवाच', 'मैत्रीण', 'स्त्री अन्याय विरोधी मंच', कोल्हापुर में 'महिला दक्षता समिति', नाशिक में 'महिला हक्क', लातूर

में 'नारी प्रबोधन मंच' जैसे दल बन गए। संपूर्ण महाराष्ट्र में दहेज विरोधी संरक्षण समितियाँ स्थापित हुईं। धुले शहर में स्त्री अत्याचार विरोधी परिषद का आयोजन किया गया था।

स्त्रियों की समस्याओं के संदर्भ में विद्या बाल का 'नारी समता मंच' और 'मिळून साऱ्याजणी' (मिलकर हम सभी) पत्रिका, समाजवादी महिला सभा, क्रांतिकारी महिला संघटना, का भी कार्य महत्त्वपूर्ण रहा। महाराष्ट्र में चलने वाली रोजगार गारंटी योजना ने महिला सशक्तीकरण में सहयोग प्रदान किया।

प्रमिला दंडवते ने वर्ष १९७६ में दिल्ली में 'महिला दक्षता समिति' की स्थापना की। इस समिति की आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब में शाखाएँ खुल गईं। कम्यूनिस्ट पार्टी ने वर्ष १९८० में 'अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन' स्थापित किया।

प्रमिला दंडवते

इस संगठन की संपूर्ण भारत में शाखाएँ खोलने के प्रयास किए गए। संगठन ने दहेज, स्त्री भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा-अत्याचार जैसी समस्याओं पर संघर्ष प्रारंभ किया। महिलाओं से संबंधित विविध समस्याओं पर शोधकार्य शुरू हुआ। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई, टाटा समाज विज्ञान संस्था-मुंबई, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, शिवाजी विश्वविद्यालय-कोल्हापुर में महिला अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए। आलोचना और दृष्टि नाम के केंद्रों ने भी इस समस्या के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

महिलाओं के संदर्भ में कानून : वर्ष १९५२ के कानून के अनुसार भारत सरकार ने हिंदू स्त्रियों को गुजारा भत्ते का अधिकार दिया। पिता की संपत्ति में हिस्से का अधिकार दिया गया। स्त्री धन पर उसे अधिकार प्राप्त हुआ। बहुपत्नीत्व प्रणाली समाप्त हुई और पुरुषों की भाँति स्त्रियों को भी संबंध विच्छेद (तलाक) का अधिकार दिया गया। आगामी दशक में महिलाओं के विषय में एक कदम आगे बढ़ाने वाला कानून बना। वह कानून है, 'दहेज प्रतिबंधित कानून-१९६१'। इस कानून के अनुसार दहेज लेना अथवा माँगना फौजदारी अपराध माना गया। दहेज प्रथा का उन्मूलन कर सामाजिक आंदोलन को प्रोत्साहन दिया गया। इस कानून के कारण दहेज जैसी अनिष्ट प्रथाओं के कारण महिलाओं को दी जाने वाली यंत्रणाएँ कम हुईं। आगे चलकर महिलाओं को प्रसूति का अवकाश प्राप्त कराने वाला 'प्रसुति सुविधा अधिनियम' (मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट-१९६१) अस्तित्व में आया। इस अधिनियम द्‍वारा महिलाओं को प्रसूति के अवकाश का अधिकार प्राप्त हो गया।

दहेज प्रथा के विरोध में जागृति: यद्‍यपि भारत में दहेज प्रतिबंधित कानून लागू है फिर भी समाचारपत्रों में ऐसे समाचार अवश्य छपते हैं। जैसे- 'रसोई बनाते समय पल्लू में आग लगने से महिला की मृत्यु' अथवा 'कपड़े धोते समय पैर फिसलकर कुएँ में गिरने से महिला की मृत्यु'। इन घटनाओं की गहराई में जाकर जाँच-पड़ताल करने पर दहेज का कारण कई बार प्रकाश में आता है। इस प्रथा को लेकर पुलिस, प्रशासन, न्यायव्यवस्था ने भी अपनी भूमिकाएँ स्पष्ट की हैं। फलतः जनजागृति हुई है। इसी के परिणाम स्वरूप वर्ष १९८४ में 'दहेज प्रतिबंधित सुधार अधिनियमन' अस्तित्व में आया। वर्ष १९८८ में २२०९ महिलाएँ, वर्ष १९९० में ४८३५ और वर्ष १९९३ में ५३७७ महिलाएँ दहेज की शिकार बनीं। इन आँकड़ों को देखें तो दहेज समस्या की ज्वलंतता हमारी समझ में आ सकती है।

पारिवारिक न्यायालय (१९८४) : विवाह के पश्चात उत्पन्न होने वाले विवाद, घर-गृहस्थी से संबंधित समस्याएँ और कारण निर्माण होने वाले उसके प्रश्न, गुजारा भत्ता, एकल पालकत्व,

अलग रहना, संतानों का पालन पोषण और स्वामित्व जैसी पारिवारिक समस्याओं से संबंधित विवादों का हल निकालने के लिए पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए है। इस न्यायालय में गवाही, सबूतों की जाँच-पड़ताल करने के स्थान पर समझदारी और वकीलों के स्थान पर समुपदेशकों को प्रधानता दी गई है। मुआमलों को शीघ्रगति से परंतु न्याय प्रणाली के आधार पर हल करने पर बल दिया गया है।

गुजारा भत्ते का मुकदमा (१९८५) : यदि किसी विवाहित स्त्री से उसका पति संबंध विच्छेद (तलाक) कर देता है तो उस स्त्री का गुजारा होने हेतु उसके पति को उसे प्रतिमाह निश्चित राशि देनी पड़ती है। इसे गुजारा भत्ता कहते हैं। उच्चतम न्यायालय में मुहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम मुकदमे में न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि शाहबानो को गुजारा भत्ता माँगने का अधिकार है तथापि धार्मिक संगठनों ने इस निर्णय के विरुद्ध हल्ला मचाया। परिणाम स्वरूप संसद में 'मुस्लिम वुमेन एक्ट' (प्रोटेक्शन ऑफ राईटस ऑन डाइवोर्स) पारित हुआ।

सती प्रतिबंधित कानून : ४ सितंबर १९८७ को राजस्थान के देवरा गाँव में रूपकुँवर नाम की विवाहिता सती हो गई। वह अपनी इच्छा से सती नहीं हुई थी। उसे सती होने के लिए बाध्य किया गया था। उसका सती होना, सती प्रथा का उदात्तीकरण करना जैसी बातें गैरकानूनी थीं। मीना मेनन, गीता सेधू, सुजाता आनंदन, अनू जोसेफ, कल्पना शर्मा आदि नारी मुक्तिवादी कार्यकर्तियों और पत्रकारों ने इस कांड की जाँच-पड़ताल की। सरकार ने वर्ष १९८८ में कड़े प्रावधान कर 'सती प्रतिबंधित कानून' पारित किया।

मानवाधिकार रक्षा कानून: स्त्री और पुरुष पर होने वाले अन्याय को दूर किया जा सके, इसलिए वर्ष १९९३ में यह कानून बनाया गया। इसके लिए 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' का गठन किया गया। इसी आधार पर कुछ राज्यों में 'राज्य मानवाधिकार आयोग' की स्थापना की गई। इस कानून के अनुसार सामूहिक अत्याचार, संबंध विच्छेदित (तलाकशुदा) महिलाओं की सामाजिक दशा, महिलाएँ और सुरक्षित कार्य स्थान जैसे विभिन्न विषयों पर कानून ने प्रभावशाली भूमिका निभाकर महिलाओं पर होने वाले अन्याय को दूर करने में सहायता की है।

महिलाओं के लिए आरक्षण : ७३ वें और ७४ वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद और महानगरपालिकाओं (नगरनिगम) में महिलाओं के लिए एक तिहाई (१/३) स्थान आरक्षित रखे गए हैं। सरपंच, अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, महापौर (मेयर) जैसे पदों के लिए भी एक तिहाई (१/३) पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। देश में महाराष्ट्र के साथ-साथ १५ राज्यों में महिलाओं के लिए ५०% आरक्षण दिया गया है। इस प्रावधान के कारण महिलाओं को प्रशासन में प्रतिभागी बनने का अवसर प्राप्त होता है।

स्वतंत्रता के बादवाले समय में भारतीय संविधान ने स्त्री-पुरुष समता के सिद्धांत को स्वीकार किया है। फलस्वरूप मतदान जैसा

क्या आप जानते हैं ?

भारत की महिला मुख्यमंत्री

सुचेता कृपलानी (उत्तर प्रदेश), नंदिनी सत्पथी (ओडिशा), जयललिता (तमिलनाडु), मायावती (उत्तर प्रदेश), वसुंधरा राजे(राजस्थान), ममता बैनर्जी (प.बंगाल), राबड़ी देवी (बिहार), आनंदी बेन पटेल (गुजरात), शीला दीक्षित (दिल्ली), महबूबा मुफ्ती सईद (कश्मीर), उमा भारती (मध्य प्रदेश), राजेंद्र कौर भट्टल (पंजाब), सुषमा स्वराज्य (दिल्ली), शशिकला काकोड़कर (गोआ), सईदा अनवर तैमूर (असम), जानकी रामचंद्रन (तमिलनाडु) इन महिलाओं ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने - अपने प्रदेश का नेतृत्व किया है।

क्या आप जानते हैं ?

८ मार्च १८५७ को न्यूयॉर्क शहर में एक जुलूस निकला था। काम के घंटे कम करें और काम का उचित पारिश्रमिक मिले, पालना घर हों आदि माँगों के लिए निकला हुआ श्रमिक महिलाओं का जुलूस प्रथम जुलूस था। इन्हीं माँगों को लेकर ८ मार्च १९०९ को महिलाओं ने हड़ताल की। परिणामस्वरूप डेन्मार्क में हुए 'वुमेंस सोशलिस्ट इंटरनैशनल' की बैठक में यह दिन 'महिलाओं का संघर्ष दिवस' के रूप में घोषित हुआ। वर्ष १९७५ 'अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष' के रूप में संपन्न हुआ तो वर्ष १९७७ में तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र के आमसभा ने प्रस्ताव पारित कर ८ मार्च को 'विश्व महिला दिवस' के रूप में घोषित किया।

महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार महिलाओं को प्राप्त हुआ। पुरुषों के समान ही महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराए गए। कानून ने सती, दहेज, बहुपत्नीत्व जैसी अनिष्ट प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया। स्त्रियों के संबंध विच्छेद (तलाक) अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। उन्हें संपत्ति में भी कानूनी हिस्सा दिया गया। राजनीतिक सत्ता में महिलाओं को उचित साझेदारी देने के उद्‌देश्य से स्थानीय प्रशासन संस्थाओं में कतिपय स्थान आरक्षित रखे गए। इन सभी प्रावधानों के फलस्वरूप आज हमें दिखाई देता है कि महिलाएँ शिक्षित होकर अर्थार्जन करने लगी हैं। नारी मुक्ति विचार ने स्त्रियों में आत्मबोध उत्पन्न हो रहा है। शिक्षा, अर्थार्जन, प्रशासन, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में महिलाएँ बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने लगी हैं।

अनुसूचित जातियाँ : स्वातंत्र्योत्तर समय में हमारे संविधान ने स्वतंत्रता, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को अंगीकार किया है। उसी का अनुसरण करते हुए छुआ-छूत की प्रथा पर कानून ने प्रतिबंध लगाया है। संविधान के १७ वें अनुच्छेद के अनुसार छुआ-छूत प्रथा को समाप्त किया गया है और अछूत वर्ग का समावेश अनुसूचित जातियों में किया गया है। इन अनुसूचित जातियों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर वे अपना विकास साध्य कर सकें; इसके लिए उन्हें शिक्षा और नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिया गया है।

अनुसूचित जनजातियाँ : अनुसूचित जातियों की तरह ही देश के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समाज की भी कतिपय समस्याएँ हैं। आधुनिक सुधारों से दूर रहने के कारण इन वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पिछड़ी हुई है। वर्तमान समय में आदिवासी जनजातियों की स्थितियों में सुधार हो रहा है फिर भी वनोत्पादन और खेती के अतिरिक्त उनके पास आजीविका के अन्य साधन नहीं हैं। खेती के आधुनिक औजार उन तक पहुँचे नहीं हैं। परिणामस्वरूप खेती से प्राप्त होने वाली आय अत्यल्प होती है। उनकी खेती भी पहाड़ के ऊपर भूमि पर होती है। वह उपजाऊ नहीं होती है। निकृष्ट और अपर्याप्त भोजन के कारण पोषण व्यवस्थित नहीं हो पाता है। दुर्गम क्षेत्र के आदिवासियों को सही समय पर चिकित्सा की सहायता प्राप्त होना कठिन हो जाता है अतः आदिवासी जनजातियों को विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता है।

भारतीय संविधान में आदिवासियों की गणना 'अनुसूचित जनजातियों' में की जाती है। उन्हें विधि मंडल, शिक्षा, सरकारी सेवाओं आदि क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व दिया गया है।

घुमंतू और विमुक्त जातियाँ-जनजातियाँ

'घुमंतू जनजातियों' में उन जातियों-जनजातियों का समावेश होता है, जो अपनी आजीविका चलाने के लिए गाँव-गाँव घूमती रहती हैं। इस वर्ग के लोग पशुपालन और अन्य दूसरे स्वरूप के व्यवसाय कर अपनी जीविका चलाते हैं। अंग्रेजों ने इनमें से कुछ जनजातियों पर 'अपराधी जनजाति' इस प्रकार का ठप्पा लगाया था। अंग्रेजों ने वर्ष १८७१ के अपराध प्रतिबंधित कानून के अंतर्गत इन जनजातियों में से कुछ

प्रमुख वर्गों का उल्लेख ‘अपराधी जनजाति’ के रूप में किया था और उनके व्यवसाय तथा कार्यव्यापारों पर प्रतिबंध लगाया था।

स्वतंत्रता के पश्चात इस अन्यायकारी कानून को रद्द किया गया। इन जनजातियों पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए गए। ऐसी जनजातियों को ‘विमुक्त जनजातियों’ में समाविष्ट किया गया। उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इन जातियों को शैक्षिक संस्थानों और सरकारी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व दिया गया है।

अल्पसंख्यक : किसी समाज में जिन लोगों का समूह धार्मिक, भाषाई और वंश की दृष्टि से संख्या में कम होता है, उस समूह को अल्पसंख्यक कहते हैं। हमारे देश में विभिन्न धर्म, पंथ और भाषाएँ हैं। अतः भारत में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएँ भी पाई जाती हैं। इन सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वाह किया जा सके, अपनी वैशिष्टयपूर्ण भाषा का विकास कर सकें, इसके लिए संविधान ने नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए हैं। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी-अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने का अधिकार प्राप्त है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु उन्हें स्वतंत्र शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। उनकी उन्नति हेतु सरकार द्वारा विविध योजनाएँ चलाई जाती हैं।

अगले पाठ में हम भारत द्वारा स्वातंत्र्योत्तर समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में की गई प्रगति की जानकारी प्राप्त करेंगे।

स्वाध्याय

१. दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखिए ।

(१) वर्ष १९९२ में ....में शराब पान के विरोध में आंदोलन प्रारंभ किया गया।

(अ) महाराष्ट्र (ब) गुजरात (क) आंध्र प्रदेश (ड) उत्तराखंड

(२) भारत सरकार ने वर्ष १९७५ में .... की अध्यक्षता में महिला आयोग की स्थापना की।

(अ) डॉ. फुलरेणु गुहा (ब) उमा भारती (क) वसुंधरा राजे (ड) प्रमिला दंडवते

२. निम्न में से विसंगत जोड़ी पहचानिए और लिखिए ।

(१) सौदामिनी राव - नारीमुक्ति आंदोलन समिति
(२) विद्या बाल- नारी समता मंच
(३) प्रमिला दंडवते - महिला दक्षता समिति
(४) ज्योति म्हापसेकर - महिला आयोग

३. संकल्पना चित्र बनाइए।

महिलाओं के संदर्भ में कानून

४. अवधारणा स्पष्ट कीजिए।

(१) गुजारा भत्ता (२) अल्पसंख्यक

५. निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट कीजिए।

(१) नारी मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ।
(२) वर्ष १९८४ में दहेज प्रथा सुधार कानून बनाया गया।
(३) छुआ-छूत प्रथा पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगाया गया।
(४) संविधान ने अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए हैं।

६. निम्न प्रश्नों के उत्तर २५ से ३० शब्दों में लिखिए।

(१) चिपको आंदोलन की जानकारी लिखिए ।
(२) मानवाधिकार संरक्षण कानून की जानकारी लिखिए।

७. निम्न प्रश्न का उत्तर विस्तार में लिखिए।

महिलाओं की एकत्रित शक्ति विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने वाले परिवर्तन का निर्माण कर सकती है। इस कथन को विविध उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए।

उपक्रम

१. ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित की जाने वाली महिला सभाओं के कामकाज की जानकारी प्राप्त कीजिए।
२. विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं की जानकारीवाली संग्रहिका (portfolio) तैयार कीजिए।
३. महिला बचत गुट के कामकाज की जानकारी प्राप्त करके लिखिए।

७ विज्ञान और प्रौद्योगिकी

इस पाठ में हम स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किए हुए विकास कार्य का अध्ययन करेंगे। साथ ही, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कार्यरत महत्त्वपूर्ण संस्थानों और उनके योगदान का भी अध्ययन करेंगे।

भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग: भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण कर राष्ट्र की प्रगति साध्य करनी थी। इस विचार को लेकर उन्होंने १० अगस्त १९४८ को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में डॉ. होमी भाभा की नियुक्ति की गई। परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना और उसे बनाए रखना, इसके लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का निर्माण करना, नैनो टेक्नोलोजी को विकसित करना आदि परमाणु ऊर्जा आयोग के उद्देश्य थे। इस विभाग ने वर्ष १९५६ में परमाणु ऊर्जा पर चलने वाली भारत की प्रथम परमाणु भट्ठी 'अप्सरा' कार्यान्वित की।

डॉ. होमी भाभा

वर्ष १९६९ से परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने के लिए मुंबई के निकट तारापुर में परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई। थोरियम का उपयोग विद्युत निर्मिति के लिए तमिलनाडु के कल्पकम में 'रिएक्टर रिसर्च सेंटर' शुरू किया गया। परमाणु ऊर्जा के विकास में रिएक्टर्स की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है।

परमाणु ऊर्जा की निर्मिति के लिए 'भारी पानी' की आवश्यकता होती है। इस भारी पानी के कारखाने वड़ोदरा, तालचेर, तूतीकोरिन, कोटा आदि स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। परमाणु भट्ठियों के लिए आवश्यक भारी पानी (हेवी वॉटर) का देश के भीतर बड़ी मात्रा में उत्पादन और अनुसंधान करने हेतु 'हेवी वॉटर प्रोजेक्टस' संस्थान का गठन किया गया है। कालांतर में इस संस्थान का नामकरण 'हेवी वॉटर बोर्ड' रूप में हुआ।

जानकारी प्राप्त करें।

२८ फरवरी का दिन संपूर्ण भारत में 'विज्ञान दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

इस दिन आप विद्यालय में कौन- से उपक्रम चलाते हैं?

ध्रुव परमाणु भट्ठी: मुंबई के समीप तुर्भे में वर्ष १९८५ में पूर्णतः भारतीय बनावट की ध्रुव परमाणु भट्ठी प्रारंभ की गई। यूरेनियम धातु का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए ध्रुव परमाणु भट्ठी का बड़ी मात्रा में उपयोग होता है। तुर्भे केंद्र में लगभग ३५० किरणोत्सर्गी पदार्थों की निर्मिति की जाती है। उनका उपयोग उद्योग, कृषि और चिकित्सा क्षेत्रों में किया जाता है।

न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCIL) : परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने के लिए वर्ष १९८७ में इस कंपनी का गठन किया गया। कंपनी के उद्देश्य सुरक्षित, सस्ती और पर्यावरणीय दृष्टि से लाभदायी विद्युत उत्पादन का तकनीकी विज्ञान सिद्ध करना और उसे विकसित कर देश को आत्मनिर्भर बनाना है।

डॉ. होमी सेठना

परमाणु परीक्षण

पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण : पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण ऊर्जा का उपयोग शांति और स्वयंपूर्णता के लिए करना भारत की नीति है। इसी नीति का अनुसरण कर भारत

डॉ. राजा रामण्णा

ने १८ मई १९७४ को राजस्थान के पोखरण में प्रथम सफल परमाणु परीक्षण किया। चीन का परमाणु अस्त्रों से सुसज्जित होना और चीन के सहयोग से परमाणु अस्त्रों से सुसज्जित होने के लिए चल रही पाकिस्तान की छटपटाहट के कारण भारत को परमाणु परीक्षण करने का निर्णय लेना पड़ा। इस परीक्षण में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉ. होमी सेठना और भाभा पारमाणविक अनुसंधान केंद्र के निदेर्शक डॉ. राजा रामण्णा का महत्त्वपूर्ण योगदान था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 'परमाणु विस्फोट' परीक्षण का निर्णय लिया। मनुष्य बस्ती से अति दूर और भूगर्भ में; जहाँ आसपास पानी का संग्रह न हो; इन दो निकषों के आधार पर राजस्थान के पोखरण स्थान को चुना गया था।

क्या आप जानते हैं ?

वर्ष १९७४ में भारत ने पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण किया। फलस्वरूप अमेरिका ने अंतरिक्ष अनुसंधान, दूर संदेश वहन विज्ञान और प्रक्षेपणास्त्र विकास जैसे रक्षा विषयों से संबंधित तकनीकी विज्ञान भारत को देने से इनकार किया। अतः भारत ने अमेरिका पर निर्भर न रहते हुए अपने बल पर प्रक्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम विकसित करने की नीति अपनाई। इसी से भारत प्रक्षेपणास्त्र विकसित करने वाले अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, चीन और जर्मनी की पंक्ति में जा बैठा।

दूसरा परमाणु परीक्षण : ११ मई १९९८ को भारत ने अपनी परमाणु अस्त्रसज्जिता सिद्ध करने के लिए पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। इसी दिन तीन परमाणु परीक्षण किए गए। उनमें एक हाईड्रोजन बम का था। प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने आश्वस्त कराया, 'भारत प्रक्षेपणास्त्रों का पहले प्रयोग नहीं करेगा' परंतु अमेरिका ने भारत पर तत्काल आर्थिक प्रतिबंध लगाए।

प्रक्षेपणास्त्र विकास

पृथ्वी : वर्ष १९८८ में 'पृथ्वी' प्रक्षेपणास्त्र और वर्ष १९८९ में 'अग्नि' प्रक्षेपणास्त्र का सफल परीक्षण हुआ। संपूर्ण विश्व का ध्यान भारत के पारमाणविक प्रक्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम की ओर खिंचा गया।

डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

इंटिग्रेटेट गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम **(IGMDP)** के अंतर्गत प्रक्षेपणास्त्र विकास का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। उसके अनुसार 'रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान' **(DRDO)** ने प्रक्षेपणास्त्र निर्माण को प्रारंभ किया। ये सभी कार्य डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नेतृत्व में सफल हुए।

'पृथ्वी -१' जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल थलसेना को, 'पृथ्वी-२' वायुसेना को और 'पृथ्वी-३' नौसेना को सौंपी गई हैं। पृथ्वी प्रक्षेपणास्त्र की क्षमता पाँच सौ से हजार किलो विस्फोटक वहन कर ले जाने की थी। न्यूक्लियर

क्या आप जानते हैं ?

भारत सरकार के रक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ष १९५८ में 'रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान' (DRDO) की स्थापना हुई । रक्षा विभाग से संबंधित साधन, उपकरण और शस्त्र-अस्त्र के विषय में देश को आत्मनिर्भर बनाना इस संस्थान का उद्देश्य था। वर्ष १९८३ के पश्चात डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में इस संस्थान द्वारा अनेक प्रक्षेपणास्त्र (मिसाइलें) विकसित किए गए। प्रक्षेपणास्त्र (मिसाइल) निर्माण में डॉ. कलाम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। डॉ. कलाम को प्रक्षेपणास्त्र कार्यक्रम के जनक तथा 'मिसाइल मैन' कहा जाता है।

बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा पृथ्वी प्रक्षेपणास्त्र (मिसाइल) को १५० से ३०० किलोमीटर की दूरी तक का लक्ष्य साधना संभव हुआ है।

अग्नि : चीन और पाकिस्तान को भारत की प्रक्षेपणास्त्र सामर्थ्य का अनुमान हो; भारत की सीमा सुरक्षित रहे; इसलिए 'अग्नि-१' का परीक्षण किया गया। इस सामरिक प्रक्षेपणास्त्र का लक्ष्य ७०० किलोमीटर का था। आगे 'अग्नि-२' और 'अग्नि-३' की भी निर्मिति की गई।

आकाश, नाग प्रक्षेपणास्त्र : जमीन से आकाश में प्रहार करने के लिए वर्ष १९९० में 'आकाश' प्रक्षेपणास्त्र का निर्माण किया गया। ३० किलोमीटर की दूरी और ७२० किलो के विस्फोटक पराध्वनि की गति से ले जाने की क्षमता इस प्रक्षेपणास्त्र की है। शत्रु के पैटर्न टैंक नष्ट करने के लिए 'फायर एण्ड फरगेट' स्वरूप के 'नाग प्रक्षेपणास्त्र' तैयार किए गए। प्रक्षेपणास्त्र निर्मिति के कारण सैनिकी दृष्टि से भारत सुरक्षित हो गया है।

अंतरिक्ष अनुसंधान : केरल राज्य के थुंबा स्थित 'थुंबा इक्विटोरियल लांच सेंटर' से इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इस संस्था ने भारत के प्रथम आविष्कृत अग्नि रॉकेट का वर्ष १९६१ में सफल प्रक्षेपण किया।

वर्ष १९६९ में थुंबा में स्वदेशी बनावटवाले 'रोहिणी-७५' अग्नि रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसके बाद का सोपान अर्थात १९७५ में सोवियत यूनियन की सहायता से पहले भारतीय उपग्रह 'आर्यभट्ट' का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया।

इस सफलता से यह सिद्ध हो गया कि अंतरिक्ष में छोड़े जा सकने वाले उपग्रह की संरचना एवं निर्मिति देश में हो सकती है। भारतीय विशेषज्ञों को भूकेंद्र से उपग्रह की ओर संदेश भेजना, उपग्रह की ओर से आए संदेश को भूकेंद्र पर ग्रहण करना; इस तकनीकी विज्ञान को विकसित करने के लिए उपग्रह की कार्यशैली का मूल्यांकन करने हेतु उच्च प्रौद्योगिकी अवगत हो सकती है; ऐसा आत्मविश्वास हो गया।

इसरो (Indian Space Research Organisation) : अंतरिक्ष अनुसंधान के बुनियादी कार्यक्रम एवं अग्नि रॉकेट संबंधी उपक्रम सफलतापूर्वक साध्य कर लेने पर अंतरिक्ष क्षेत्र में अधिक अनुसंधान करने के लिए १५ अगस्त १९६९ को 'इसरो' की स्थापना की गई। इसरो का मुख्य कार्यालय बेंगलूरू में है। इसरो ने अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष तल कार्यान्वित किया।

भास्कर-१ : वर्ष १९७९ में पृथ्वी की सतह की विविध बातों का निरीक्षण दूर संवेदी तकनीकी द्वारा साध्य हो; इसके लिए इसरो द्वारा तैयार किया 'भास्कर-१' प्रायोगिक उपग्रह भारत ने सोवियत यूनियन से भेजा। देश के जल संग्रह, खनिज संग्रह, जलवायु इनका अनुमान लेकर देश के विकास के लिए दूर संवेदी तकनीकी विज्ञान उपयोगी सिद्ध होने वाला था। इस तकनीक की सहायता से भूगर्भ संबंधी, पर्यावरण संबंधी, वन संबंधी खींचे गए छायाचित्र महत्त्वपूर्ण थे। इस उपग्रह के माध्यम से प्राप्त जानकारी का उपयोग समुद्र विज्ञान (ओशनोग्राफी) में हुआ। वर्ष १९८१ में 'भास्कर-२९' यह उपग्रह सोवियत यूनियन से भेजा गया।

ऐपल: इसरो द्वारा पूर्णतः भारत में बनाया गया भारत का पहला दूरसंचार उपग्रह 'ऐपल' १९ जून १९८१ को 'फ्रेंच गियाना' से भेजा गया। 'ऐपल' के कारण शिक्षा के क्षेत्र में सहायता मिली। आपात्कालीन दूरसंचार सेवा की पूर्ति का उद्देश्य सफल हुआ।

इन्सेट (Indian National Satellite) : अगस्त १९८३ में 'इन्सेट-१ बी' उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ। इस कारण भारत के दूरसंचार, दूरदर्शन, आकाशवाणी, जलवायु का अनुमान बताना और अंतरिक्ष विभाग क्षेत्रों में क्रांति हो गई। इन्सेट के कारण देशभर के २०७ आकाशवाणी केंद्र एक-दूसरे से जोड़ना संभव हुआ। इस प्रणाली का उपयोग आपदाग्रस्तों की खोज तथा बचाव (जहाज अथवा विमान दुर्घटना के प्रसंग में), जलवायु का पूर्वानुमान,

तूफान की खोज तथा समीक्षा, टेलीमेडिसिन और शैक्षिक संस्थाओं को हो रहा है। इन्सेट प्रणाली की टेलीमेडिसिन सेवा के कारण ग्रामीण व दुर्गम भागों की जनता को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह तथा औषधोपचार सहज ही उपलब्ध हो सकते हैं। ग्रामीण और छोटे गाँवों के स्वास्थ्य केंद्रों को बड़े शहरों के सुपर स्पेशालिटी सेवावाले रुग्णालयों के साथ 'इन्सेट' द्‌वारा जोड़ा गया हैं।

प्रौद्‌योगिकी की प्रगति : रेल इंजन निर्माण करने वाला 'चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स' कारखाना बंगाल के बड़द्‌वान जिले के चित्तरंजन में स्थापित किया गया। इस कारखाने में वाष्प इंजन, डीजल और विद्‌युत इंजिन का निर्माण किया गया। वाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में प्रथम डीजल इंजन का निर्माण किया गया। यहीं से श्रीलंका, बांग्लादेश, तंजानिया और वियतनाम में इंजनों का निर्यात शुरू हुआ।

टेलेक्स सेवा: देश के एक भाग से दूसरे भाग में शीघ्रगति से टंकमुद्रित स्वरूप में संदेश वहन करने वाली टेलेक्स सेवा वर्ष १९६३ में केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने आरंभ की। वर्ष १९६९ में देवनागरी लिपि में टेलेक्स सेवा पहली बार दिल्ली में आरंभ हुई। बाद में उसका विस्तार पूरे भारत में हुआ। इस सेवा का उपयोग सभी क्षेत्रों में शुरू हुआ। वर्ष १९९० के बाद इंटरनेट का उदय हुआ और इस सेवा का महत्त्व समाप्त हो गया।

उपग्रहीय दूर संचार केंद्र: कृत्रिम उपग्रह की सहायता से देश के अंतर्गत 'दूरसंचार' (सैटेलाइट कम्यूनिकेशन) संभव हो, इसके लिए उपग्रह पर संदेश भेजने के लिए तथा उपग्रह से संदेश ग्रहण करने के लिए आवश्यक देशांतर्गत (डोमेस्टिक) उपग्रहीय दूरसंचार भूकेंद्र वर्ष १९६७ में अहमदाबाद के निकट 'जोधपुर टेकरा' में खड़ा किया गया। इसके कारण भारतीय वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों को भूकेंद्र खड़ा करने एवं उसकी कार्यप्रणाली का देशांतर्गत प्रशिक्षण देना सुलभ हो गया। वर्ष १९७० में पुणे के पास आर्वी में अंतर्देशीय दूरसंचार सेवा के लिए सुसज्जित भूकेंद्र खड़ा किया गया।

पिनकोड: १५ अगस्त १९७२ से भारतीय डाक व तार विभाग ने देश में छह अंकीय पोस्टल इंडेक्स कोड (पिनकोड) पद्‌धति शुरू की। डाक वितरण की कार्यक्षमता बढ़ाना; इसका उद्‌देश्य था। इस पद्‌धति में देश को नौ भागों में विभाजित किया गया। पिनकोड का पहला क्रमांक मुख्य विभाग को दर्शाता है। दूसरा क्रमांक उपविभाग, तीसरा क्रमांक उपविभाग का प्रमुख बाँटनेवाला जिला तो शेष तीन क्रमांकों द्‌वारा बाँटनेवाले स्थानीय डाकघर का स्थान सुनिश्चित किया गया। महाराष्ट्र के लिए ४०, ४१, ४२, ४३, ४४ ये पहले दो अंक हैं। १९८६ में डाक को शीघ्र गति से पहुँचाने के लिए 'स्पीड पोस्ट' सेवा शुरू हुई।

आईएसडी : (इंटरनैशनल सबस्क्राइबर डायल्ड टेलीफोन सर्विस) वर्ष १९७२ में मुंबई में 'ओवरसीज कम्यूनिकेशन्स सर्विस' की स्थापना कर अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार सेवा की व्यवस्था करने का काम शुरू हुआ। वर्ष १९७६ में मुंबई तथा लंदन इन दो शहरों के बीच सीधे दूरध्वनि संपर्क साधनेवाली आईएसडी सेवा आरंभ हुई। दूरध्वनि की तरह टेलेक्स, टेलीप्रिंटर, रेडियो छायाचित्र जैसी सेवाएँ प्रारंभ हुईं। वर्ष १९८६ में विदेश संचार निगम लिमिटेड (VSNL) ने इस क्षेत्र में और बड़ी छलांग लगाई। उससे पूर्व बड़े शहरों की दूरसंचार सेवा के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड स्थापित की गई सार्वजनिक कंपनी थी। १९९० के दशक में VSNL ने भारत में इंटरनेट सेवा प्रदान करनेवाली प्रमुख कंपनी के रूप में स्थान पा लिया। इस क्षेत्र में सैम पित्रोदा का योगदान महत्त्वपूर्ण है।

मोबाइल : २२ अगस्त १९९४ को भारत में मोबाइल सेवा आरंभ हुई। उस समय मोबाइल का हैंडसेट ४५ हजार रुपये का तथा कॉल दर प्रति मिनट १७ रुपये थी। वर्ष १९९९ में इस क्षेत्र में अनेक निजी कंपनियाँ आईं। इस कारण यह सेवा सस्ती होने लगी।

चर्चा करें ।

भ्रमणध्वनि (मोबाइल) प्रौद्योगिकी में हुए विविध परिवर्तनों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। उनके लाभ-हानि के बारे में चर्चा करें।

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL): वर्ष २००० में दूरसंचार विभाग की पुनर्रचना की गई। नीतिगत निर्णय की जिम्मेदारी दूरसंचार विभाग के पास रखते हुए ग्राहकों को प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करने के लिए 'भारत संचार निगम लिमिटेड' की स्थापना की गई। दूरध्वनि सेवा के साथ सेल्यूलर फोन, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड सेवाएँ उपलब्ध हुईं।

ऑयल एण्ड नैचरल गैस कमीशन (ओएनजीसी) : खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस भंडारों की खोज करना, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्ष १९५६ में खनिज तेल व प्राकृतिक गैस आयोग अर्थात 'ऑयल एंड नैचरल गैस कमीशन' (ओएनजीसी) की स्थापना हुई। असम राज्य के दिग्बोई के बाद गुजरात के अंकलेश्वर परिसर में खनिज तेल के भंडार मिले। आगे चलकर गुजरात के खंबायत की खाड़ी में खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं।

खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) ने वर्ष १९७४ में 'सागर सम्राट' इस ड्रीलशिप (सागरी छिद्रण यंत्र) द्वारा 'बॉम्बे हाई' परिसर में रूस अनुसंधानकर्ताओं की सहायता से तेल कुओं की खुदाई आरंभ की। यहाँ वर्ष १९७५ से खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस मिलना आरंभ हो गया। इसके बाद इस क्षेत्र में ८५०० से अधिक तेल कुएँ एवं प्राकृतिक गैस के ३३ कुएँ खोदे गए। इस कारण भारत के खनिज तेलों के कुल उत्पादन में इस क्षेत्र का हिस्सा कुल प्रतिशत ३८% तक पहुँच गया तथा देश के खनिज तेलों की कुल आवश्यकता में से १४ प्रतिशत आवश्यकता इस क्षेत्र के कारण पूरी हुई।

क्या आप जानते हैं?

कोकण रेल : वर्ष १९९८ में कोकण रेल शुरू हुई। गोआ, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र इन चार राज्यों में फैले लगभग ७६० किलो मीटर लंबे रेल मार्ग पर प्रौद्योगिकी के अनेक कीर्तिमान हैं। इस मार्ग पर कुल १२ सुरंगें हैं। इस मार्ग पर कारबुडे में बनी ६.५ किलोमीटर लंबी सुरंग सबसे बड़ी सुरंग है। इस मार्ग पर १७९ बड़े और १८१९ छोटे पुल हैं। उनमें से होनावर के निकट शरावती नदी पर बना २०६५.८ मी. लंबाई का पुल सबसे बड़ा पुल है। रत्नागिरी के पास पनवल नदी पर बना ६४ मीटर ऊँचा पुल सबसे ऊँचा पुल है। भूस्खलन होने वाले मार्ग पर इंजनों में सेन्सर्स बिठाए गए हैं।

रेल और प्रौद्योगिकी : आधुनिक भारत के इतिहास में रेल द्वारा अंगीकार किए गए प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान है।

रेल यात्रा की आरक्षण व्यवस्था में कार्यक्षमता, अचूकता और सूत्रबद्धता आए; इस दृष्टि से वर्ष १९८४ में दिल्ली में सबसे पहले संगणकीकृत आरक्षण व्यवस्था आरंभ की गई। इसी वर्ष कोलकता में मेट्रो रेल शुरू हुई।

इस प्रकार भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार उन्नति की है। नए- नए शोधकार्य किए हैं। भारत इक्कीसवीं शताब्दी का एक महत्त्वपूर्ण देश है। भारत ने प्रौद्योगिकी का उपयोग विश्व में शांति निर्माण करने के लिए ही किया है। भारत इक्कीसवीं शताब्दी में अग्रसर होने के उद्देश्य से यह कार्य कर रहा है।

भारत द्वारा उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में की गई प्रगति के विषय में हम अगले अध्याय में जानकारी प्राप्त करेंगे।

स्वाध्याय

१. (अ) दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखिए।

(१) परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में.........को चयनित किया गया।
(अ) डॉ. होमी भाभा
(ब) डॉ. होमी सेठना
(क) डॉ. ए.पी. जे. अब्दुल कलाम
(ड) डॉ. राजा रामन्ना

(२) इसरो द्वारा पूरी तरह से भारत में तैयार किया गया पहला दूरसंचार उपग्रह ....है।
(अ) आर्यभट्ट (ब) इन्सेट १ बी
(क) रोहिणी - ७५ (ड) ऐपल

(ब) निम्नलिखित में से असंगत जोड़ी पहचानिए।

(१) पृथ्वी - जमीन से जमीन पर वार करने वाला प्रक्षेपणास्त्र।
(२) अग्नि - जमीन से पानी में आक्रमण करने वाला प्रक्षेपणास्त्र।
(३) आकाश - जमीन से आकाश में आक्रमण करने वाला प्रक्षेपणास्त्र।
(४) नाग - शत्रु के पैटर्न टैंक नष्ट करने वाले प्रक्षेपणास्त्र।

२ (अ) भारत के विज्ञान, प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रगति की कालरेखा दशकानुसार तैयार कीजिए।

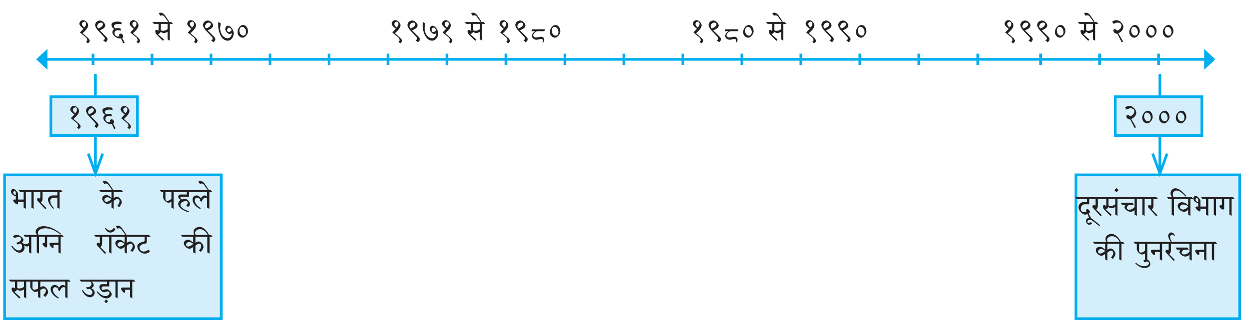

(ब) निम्नलिखित अवधारणाएँ स्पष्ट कीजिए।

(१) अंतरिक्ष अनुसंधान
(२) टेलेक्स सेवा

३. निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट कीजिए।

(१) पं. नेहरू ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की।
(२) भारत ने परमाणु परीक्षण करने का निर्णय लिया।
(३) अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए।

४. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर २५ से ३० शब्दों में लिखिए।

(१) पोखरण परमाणु परीक्षण की जानकारी लिखिए।
(२) भास्कर - १ उपग्रह किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है?

५. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए।

(१) आपके उपयोग में आने वाली कौन-कौन- सी सुविधाओं में उपग्रह प्रौद्योगिकी का प्रभाव दिखाई देता है?
(२) डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को 'मिसाइल मैन' क्यों कहा जाता हैं?
(३) संगणकीकृत रेल आरक्षण कैसे किया जाता है?
(४) कोकण रेल की क्या विशेषताएँ हैं, उन्हें लिखिए।

उपक्रम

(१) अंतरजाल की सहायता से 'थुंबा इक्वीटोरियल लांच सेंटर' की जानकारी प्राप्त कीजिए।
(२) आपके निकट के आकाशवाणी केंद्र/ दूरचित्रवाणी केंद्र पर जाइए और जानकारी प्राप्त कीजिए।

८ उद्‌योग तथा व्यापार

इस पाठ में हम स्वातंत्र्योत्तर कालखंड के उद्‌योग तथा व्यापार के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे।

भारत स्वतंत्र होने के बाद औद्‌योगिक विकास को गति देने के लिए वर्ष १९४८ में 'भारतीय औद्‌योगिक वित्त निगम' की स्थापना की गई। औद्‌योगिक परियोजनाओं को दीर्घावधि ऋण उपलब्ध करवा देना इसका उद्देश्य था। साथ ही; १९५४ में औद्‌योगिक क्षेत्र का अधिक विकास होने के लिए 'भारतीय औद्‌योगिक विकास निगम' की स्थापना की गई।

भारत के प्रमुख उद्‌योग

वस्त्रोद्‌योग : देश के कुल औद्‌योगिक उत्पादन में वस्त्रोद्‌योग का योगदान लगभग १४% है।

वस्त्रोद्‌योग में यंत्रकरघा और हथकरघा का समावेश होता है। हथकरघा उद्‌योग श्रमप्रधान है। 'टेक्सटाइल कमेटी एक्ट १९६३' के अनुसार वस्त्रोद्‌योग समिति की स्थापना की गई है। यह समिति देश के बाजारों और निर्यात के लिए तैयार किए जाने वाले वस्त्रों की गुणवत्ता निश्चित करने का कार्य करती है।

रेशम उद्‌योग : इस उद्‌योग का कार्य वस्त्रोद्‌योग मंत्रालय के अंतर्गत चलता है। बेंगलूरु की 'सेरिबायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी' में रेशम के कीड़ों की प्रजातियों और शहतूत के वृक्षों पर अनुसंधान किया जाता है। यह उद्‌योग प्रमुख रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर राज्यों में चलता है। इसी तरह; इस उद्‌योग का विस्तार आदिवासीबहुल राज्यों में भी किया जाता है।

पटसन (जूट) उद्‌योग : पटसन उत्पादन में भारत प्रमुख देश है। भारत से बड़ी मात्रा में पटसन का निर्यात होता है। पटसन से कपड़ा, बोरे, सुतली आदि वस्तुएँ बनाई जाती हैं।

क्या आप जानते हैं?

स्वबचत गुट तथा स्वयंसेवी संस्था (एन.जी.ओ.) की सहायता से बुनकरों की सहायता करने वाली 'मेगा क्लस्टर' योजना है। इसके अंतर्गत कच्चा माल, डिजाइन सामग्री, तकनीकी विकास तथा बुनकरों के कल्याण के लिए सहायता की जाती है।

हस्तशिल्प : यह श्रमप्रधान क्षेत्र है। अधिक रोजगार क्षमता, कम निवेश, अधिक लाभ, निर्यात को प्रधानता और अधिक विदेशी मुद्रा के कारण हस्तशिल्प क्षेत्र में शिल्पकारों को रोजगार मिला है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के कारीगरों को बाजार में काम उपलब्ध करवा देने के लिए ''दिल्ली हाट'' जैसी बाजार प्रणाली अनेक शहरों में शुरू की गई है। उनमें मुंबई भी एक शहर है।

वाहन उद्‌योग : वाहन उत्पादन में भारत प्रमुख देश है। भारत से चालीस देशों में वाहन निर्यात किए जाते हैं। भारत के वाहन उद्‌योग को 'सनराइज क्षेत्र' कहा जाता है। भारत का ट्रैक्टर उद्‌योग विश्व में सबसे बड़ा उद्‌योग है तथा विश्व के एक तिहाई ट्रैक्टरों का उत्पादन भारत में होता है। भारत के ट्रैक्टर तुर्किस्तान, मलेशिया और अफ्रीका महाद्वीप के देशों में निर्यात किए जाते हैं।

सीमेंट उद्‌योग : गृहनिर्माण और बुनियादी संरचना के विकास में सीमेंट उद्‌योग की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। तकनीकी ज्ञान से संबंधित सर्वाधिक प्रगत उद्‌योगों में यह उद्‌योग है। वर्तमान में भारत विश्व में सीमेंट निर्माण उद्‌योग में महत्त्वपूर्ण देश बन गया है।

चमड़ा उद्‌योग : यह भारत का सबसे बड़ा तथा निर्याताभिमुख उद्‌योग है।

नमक उद्‌योग : भारत नमक उद्‌योग में भी प्रमुख देश रहा है। भारत में नमक का वार्षिक

उत्पादन २०० लाख टन होता है। आयोडीनयुक्त नमक का उत्पादन ६० लाख टन होता है।

साइकिल उद्‌योग : साइकिल उत्पादन में भारत विश्व में अग्रसर है। पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में साइकिलों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। लुधियाना शहर देश का प्रमुख साइकिल उत्पादन केंद्र है। भारत नाइजीरिया, मेक्सिको, केनिया(केन्या), युगांडा, ब्राजील आदि देशों को साइकिल निर्यात करता है।

खादी तथा ग्रामोद्‌योग : ग्रामीण भाग के औद्‌योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए खादी तथा ग्रामोद्‌योग आयोग की स्थापना की गई। ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक उद्‌योग, हस्त उद्‌योग, कुटीरोद्‌योग तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध साधन सामग्री तथा मानव संसाधन का उपयोग में लाने वाले लघु उद्‌योगों का विकास हो तथा रोजगार निर्मिति के माध्यम से गाँव स्वावलंबी बनें; ये इस आयोग के प्रमुख उद्‌देश्य हैं।

कृषि उद्‌योग : भारत में पारंपरिक तथा आधुनिक पद्‌धति से कृषि की जाती है। कृषि के अनेक कार्य बैलों की सहायता से भी किए जाते हैं। उसी तरह जोताई, बोआई से लेकर कटाई, मँड़ाई आदि कार्य यंत्रों द्‌वारा किए जा रहे हैं।

भारत में ग्रामीण क्षेत्र का प्रमुख व्यवसाय कृषि और कृषि पर आधारित अन्य कार्य हैं। गाँवों-देहातों में कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय चलता है। कृषि के कार्य और कृषि उत्पादन पर ७०% समाज निर्भर है। कृषि उद्‌योग में पुरुषों के साथ महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है।

भारत में कृषि व्यवसाय विविध मौसमों में चलता है। खेतों में अनेक तरह की फसलें ली जाती हैं। प्रमुख रूप से ज्वार, गेहूँ, चावल, दाल, तिलहन का उत्पादन लिया जाता है। उसी के साथ-साथ कपास और गन्ना पर प्रक्रिया कर कपड़ा और शक्कर के उद्‌योग भी चलते हैं।

कृषि से ही फलों और शाक-सब्जियों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। वर्तमान में इनपर प्रक्रिया करने वाले अनेक उद्‌योग चल रहे हैं। कृषि से मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक और सहकारी संस्थाओं द्‌वारा किसानों को ऋण दिया जाता है। पंचायत समिति द्‌वारा कृषि संबंधी सुधार के लिए प्रशिक्षण योजना, कृषि सैर और किसान सम्मेलन जैसी योजनाएँ आयोजित की जाती हैं। कृषि औजारों, बीजों और खादों की आपूर्ति भी की जाती है। कृषि विश्वविद्‌यालय के विस्तार सेवा विभाग द्‌वारा किसानों को मृदा परीक्षण, फलोद्‌यान, नर्सरी, मत्स्य व्यवसाय, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय-भैंस पालन, दुग्ध व्यवसाय का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। जिला व्यवसाय मार्गदर्शन संस्था की ओर से भी मार्गदर्शन दिया जाता है। उत्पादित माल के संग्रह हेतु गोदाम (वेअर हाउस) निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

भारत खाद्‌यान्न उत्पादन और फसल पद्‌धति में आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत में टपक सिंचन और जैविक कृषि जैसी आधुनिक पद्‌धति से कृषि की जा रही है।

भारत सरकार की नीति : चौथी पंचवर्षीय योजना की नीति अवधि में कागज उद्‌योग, औषधीय उद्‌योग, मोटर ट्रैक्टर उद्‌योग, चमड़े की वस्तुएँ, वस्त्रोद्‌योग, खाद्‌य पदार्थ प्रक्रिया उद्‌योग, तेल, रंग, शक्कर आदि उद्‌योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

वर्ष १९७० की औद्‌योगिक अनुज्ञप्ति नीति के अनुसार पाँच करोड़ रुपयों से अधिक निवेश लगाने वाले सभी कारखाने भारी उद्‌योग क्षेत्र में लाना निश्चित किया गया। सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित न रखते हुए भारी उद्‌योग में निवेश करने की स्वतंत्रता बड़े औद्‌योगिक संस्थानों और विदेशी कंपनियों को देना भी निश्चित किया गया। इस नीति के अनुसार वर्ष १९७२ के अंत तक सरकारी पंजीयन कार्यालय में ३ लाख १८ हजार लघु उद्‌योग पंजीकृत किए गए।

खनिज संसाधन : देश के औद्योगिक विकास में लौह और पत्थर का कोयला इन दो खनिजों की उपलब्धता का बड़ा योगदान होता है। हमारे देश में लौह, मैंगनीज, कोयला, खनिज तेल आदि का पर्याप्त भंडार पाया जाता है।

वन संसाधन : वन संसाधन पर आधारित उद्योगों के लिए सरकार ने कुछ वन आरक्षित रखे हैं। वनों के रक्षण का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार, स्थानीय लोग, कर रहे हैं। निर्माण कार्य, कागज, अखबारी कागज, रेशम, माचिस, औषधीय वनस्पति, शहद, लाख, रंगकाम के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री आदि उद्योगों के लिए वन आवश्यक है।

मत्स्य उद्योग : नदी, नहर, तालाब, सरोवर जैसे मीठे पानी एवं सागरीय जल में मिलने वाली मछलियों से मत्स्योत्पादन होता है। इस व्यवसाय के संवर्धन के लिए बंदरगाहों का निर्माण, पुराने बंदरगाहों का विकास, मत्स्यबीज केंद्र, मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र तैयार किए गए हैं।

पर्यटन उद्योग : भारत को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्राप्त है। देश के कोने-कोने में विविध धर्मों के प्रार्थना स्थल, तीर्थ स्थली, नदियों के संगम, किले, गुफाएँ हैं। इसी लिए देश-विदेश के नागरिक भारत में पर्यटन हेतु वर्षभर आते रहते हैं। पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटकों के लिए आवास और यात्रा की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इन स्थानों पर विविध वस्तुओं की बिक्री और होटल व्यवसाय बड़ी मात्रा में चलता है।

पर्यटकों को संबंधित क्षेत्र की जानकारी देने के लिए कुछ स्थानों में मार्गदर्शक होते हैं। कुछ दुर्गम स्थलों तक वाहन पहुँच नहीं सकते, उन स्थलों पर वहाँ के स्थानीय लोग पारिश्रमिक लेकर पर्यटकों की सहायता करते हैं। इससे भी रोजगार निर्माण होता है।

व्यापार आयात – निर्यात : वर्ष १९५१ में योजना प्रारंभ होने के बाद औद्योगिक वस्तुओं और उनके लिए लगने वाले कच्चे माल का आयात बड़ी मात्रा में बढ़ने लगा। भारत में यंत्र सामग्री, लोहा, खनिज तेल, खादें और औषधियाँ आदि का आयात किया जाता है।

भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्यात को बढ़ावा दिया है। भारत के निर्यात में चाय, कॉफी, मसाले के पदार्थ, सूती कपड़ा, चमड़ा, जूता, मोती तथा मूल्यवान हीरे आदि वस्तुओं का समावेश होता है।

आंतरिक व्यापार : भारत का आंतरिक व्यापार रेलमार्ग, जलमार्ग, सड़क और विमान मार्ग से चलता है। मुंबई, कोलकाता, कोचीन, चेन्नई ये महत्त्वपूर्ण बंदरगाह हैं। आंतरिक व्यापार में कोयला, कपास, सूती कपड़ा, चावल, गेहूँ, कच्चा पटसन, लोहा, इस्पात, तिलहन, नमक, चीनी आदि वस्तुओं का समावेश होता है।

देश के उद्योग-धंधों में होने वाले विकास के कारण जीवन और रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठता है। रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो देश की प्रगति में इनकी सहायता होती है।

अगले पाठ में हम भारतीय लोगों के बदलते जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

स्वाध्याय

१. दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखिए।

(१) वर्ष १९४८ में .... उद्देश्य से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई।

(अ) औद्योगिक क्षेत्र का अधिक विकास होना आवश्यक है।

(ब) औद्योगिक परियोजनाओं को दीर्घ अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करवा देना आवश्यक है।

(क) रोजगार निर्मिति होनी चाहिए।

(ड) तैयार माल की गुणवत्ता निश्चित होनी चाहिए।

(२) भारत के ....उद्‌योग को 'सनराइज क्षेत्र' कहा जाता है।
(अ) पटसन (ब) वाहन
(क) सीमेंट (ड) खादी तथा ग्रामोद्‌योग

(३) वस्त्रोद्‌योग समिति का प्रमुख कार्य ....है।
(अ) कपड़ा उत्पादन करना।
(ब) वस्त्रों की गुणवत्ता निश्चित करना।
(क) वस्त्र निर्यात करना।
(ड) नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करवा देना।

(४) साइकिल उत्पादन में .... भारत का प्रमुख शहर है।
(अ) मुंबई (ब) लुधियाना
(क) कोचीन (ड) कोलकाता

(ब) निम्न में से विसंगत जोड़ी पहचानिए और लिखिए।

(१) भारतीय औद्‌योगिक वित्त निगम - औद्‌योगिक परियोजनाओं को दीर्घावधि के लिए ऋण उपलब्ध करवा देना।
(२) औद्‌योगिक विकास निगम - औद्‌योगिक क्षेत्र का विकास करना।
(३) वस्त्रोद्‌योग समिति - बुनकरों का कल्याण करना।
(४) खादी तथा ग्रामोद्‌योग आयोग - ग्रामीण क्षेत्र में औद्‌योगीकरण को बढ़ावा देना।

२. **(अ) पाठ की सहायता से संकल्पना चित्र तैयार कीजिए।**

(१) भारत के उद्‌योग
(२) भारत का आयात - निर्यात

(ब) निम्न अवधारणा स्पष्ट कीजिए।

भारत का आंतरिक व्यापार

३. **(अ) निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट कीजिए।**

(१) भारत में पर्यटन उद्‌योग बढ़ रहा है।
(२) भारतीय जनता के रहन - सहन का स्तर सुधर रहा है।

(ब) निम्न प्रश्नों के उत्तर २५ से ३० शब्दों में लिखिए।

(१) कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कौन-कौन-से प्रयत्न कर रही है?
(२) पर्यटन के क्षेत्र में नागरिकों के लिए रोजगार कैसे निर्माण होता है?
(३) भारत में वन संसाधन पर आधारित कौन-कौन-से व्यवसाय चलते हैं?
(४) भारत के चमड़ा उद्‌योग पर टिप्पणी लिखिए।

४. **चौखट पूर्ण कीजिए।**

भारत में आयात होने वाली वस्तुएँ	
भारत से निर्यात होने वाली वस्तुएँ	

उपक्रम

(१) सफल उद्‌योगपतियों के चित्र संग्रहित कीजिए।
(२) हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं में से कौन-सी वस्तुएँ परिसर में निर्मित होती हैं, कौन-सी वस्तुएँ बाहर से लाई जाती हैं, इसकी तालिका बनाइए।

९ बदलता जीवन : भाग १

अभी तक हमने वर्ष १९६१ से वर्ष २००० तक के कालखंड का अध्ययन किया। बीसवीं और इक्कीसवीं सदी में परिवर्तन की गति तीव्र है। मानव जीवन तेजी से बदल रहा है। पहले हम जिन बातों की कल्पना भी नहीं कर सके; वे बातें अब वास्तविकता में उतरी हैं। प्राचीन एवं मध्ययुग में धर्म मनुष्य की एक महत्त्वपूर्ण पहचान थी। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ज्यू (यहूदी) आदि धर्मों के सामने आधुनिकीकरण ने चुनौतियाँ खड़ी की हैं। हमारी पारंपरिक विचारधारा में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने यह परिवर्तन भारतीय संविधान के माध्यम से किया है।

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

हमारे संविधान के अनुसार कानून के सामने सभी भारतीय समान हैं तथा धर्म, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी नागरिकों को भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार के एकत्रित तथा संगठित होने का, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में मुक्त रूप से घूमने-फिरने का, रहने का तथा स्थायी तौर पर रहने का (जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में अपवाद), कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है। भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को अपनी स्वयं की भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संवर्धन करने का अधिकार है।

संविधान के इन प्रावधानों के कारण जातिव्यवस्था के ढाँचे पर आघात हुआ है। वंशपरंपरागत व्यवसाय की कल्पना कालबाह्य होने में सहायता मिली। जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन की शुरुआत हो गई। इन प्रावधानों का परिणाम यंत्रों पर भी किस प्रकार हुआ; यह निम्नलिखित चौखट से समझ में आ जाएगा।

क्या आप जानते हैं?

ब्रिटिशों के शासनकाल में रेल डिब्बों के चार प्रकार थे। फर्स्ट, सेकंड, इंटर और थर्ड क्लास जैसे चार वर्ग थे। तीसरे वर्ग के यात्रियों के लिए मामूली-सी सुविधा और उन यात्रियों की ओर देखने का नकारात्मक दृष्टिकोण; इस कारण यह वर्ग मानो भारतीय समाज व्यवस्था का प्रतीक ही बन चुका था। १९७८ के रेल बजट में तत्कालीन रेल मंत्री मधु दंडवते ने तीसरी श्रेणी की व्यवस्था समाप्त कर दी। बाद में पुणे-मुंबई के बीच 'सिंहगढ़ एक्सप्रेस', मुंबई-कोलकाता के बीच 'गीतांजलि एक्सप्रेस' ये वर्गरहित गाड़ियाँ प्रारंभ हुईं।

उपरोक्त प्रावधानों के कारण समाज में छोटे-बड़े परिवर्तन धीरे-धीरे होने लगे। अब होटल में सभी के लिए प्रवेश खुला है। धर्म, वंश, जाति, लिंग इन कारणों से प्रवेश नकारा नहीं जाएगा; ऐसी तख्तियाँ होटलों में हम देखते हैं।

पहले राजसत्ता के विरुद्ध विचार प्रकट करने की कुछ मर्यादाएँ थीं। अब भारतीय नागरिक समाचारपत्र अथवा भाषण और अन्य माध्यमों द्वारा सरकार के विरुद्ध विचार प्रकट कर सकते हैं। हमें अमान्य लगने वाली बातें हम बोल सकते हैं। यह बहुत बड़ा परिवर्तन स्वातंत्र्योत्तर कालखंड में हुआ है।

परिवार संस्था : स्वातंत्र्यपूर्व कालखंड में परिवार संस्था भारतीय समाज की एक प्रमुख पहचान थी। 'संयुक्त परिवार पद्धति का देश' के रूप में भारत संसार भर में पहचाना जाता

था। वैश्वीकरण की लहर में विभक्त परिवार पद्धति को बढ़ावा मिला है।

समाज कल्याण : कल्याणकारी राज्य स्थापित करना ही हमारा उद्देश्य है; यह भारत के संविधान में उल्लिखित है। ऐसा उल्लेख करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। भारतीय नागरिकों को पूर्ण रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएँ, शिक्षा एवं विकास के अवसर उपलब्ध करवा देना समाजकल्याण कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। भारतीय समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक विषमता बड़ी मात्रा में व्याप्त है। महिलाएँ, बच्चे, दिव्यांग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अल्पसंख्यकों तक विकास के अवसर पहुँचना आवश्यक है। स्वातंत्र्योत्तर कालखंड में सरकार के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके लिए भारत सरकार ने १४ जून १९६४ को समाज कल्याण मंत्रालय स्थापित किया। इस मंत्रालय के अंतर्गत पोषण और बालविकास, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक संरक्षण, स्त्री कल्याण एवं विकास के कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था राज्य स्तर पर भी की गई है।

अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ : वर्ष १९७१ की जनगणना के अनुसार देश में २२% लोग अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के थे। इन सबके लिए कानून बनाकर शैक्षिक छात्रवृत्ति एवं प्रतिनिधित्व देकर संसद, राज्य विधि मंडल और सरकारी सेवाओं में कुछ स्थान आरक्षित रखे गए हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य : प्रथम कर्तव्य के रूप में सरकार भारतीय जनता के रहन-सहन का स्तर बढ़ाए, उनका पोषण करें एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य भी सुधारे; ऐसा उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। केंद्र सरकार का स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्रालय इस संदर्भ में राज्य सरकार की सहायता करता है। छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, आदिवासियों एवं गरीब लोगों को प्राथमिक स्वरूप की स्वास्थ्य सेवाएँ तथा चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध करवा देने का उद्देश्य था। स्वास्थ्य के संदर्भ में भारत में एलोपैथी, यूनानी, होमियोपैथी, आयुर्वेद और प्राकृतिक उपचार पद्धतियों को मान्यता देकर नागरिकों का स्वास्थ्य उत्तम रखने का प्रयत्न शुरू किया गया है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों के कारण भारतीयों का जीवन अधिकाधिक चिंतारहित होने में सहायता मिली। वर्ष १९६२ में तमिलनाडु के वेल्लूर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में डॉ. एन. गोपीनाथ के नेतृत्व में भारत में 'ओपन हार्ट सर्जरी' सफलतापूर्वक की गई। इस कारण ऐसे उपचारों के लिए विदेश जाने की आवश्यकता नहीं रही।

'जयपुर फुट' की खोज से भारत के दिव्यांगों का जीवन बदल गया। १९६८ से पूर्व एकाध व्यक्ति जब दुर्घटनाग्रस्त होकर अपना पैर गँवा बैठता तो शेष जीवन उसे बहुत कठिनाई से गुजारना पड़ता था। इसपर उपाय के रूप में डॉ. प्रमोद सेठी ने कुशल कारीगर रामचंद्र शर्मा की सहायता से कृत्रिम हाथ, पैर, नाक, कान तैयार किए।

जयपुर फुट तकनीकी के उपयोग से तैयार किए गए कृत्रिम अंगों के कारण दिव्यांग रोगी नंगे पैर, ऊबड़-खाबड़ जमीन पर चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, खेतों में काम करना, पेड़ पर चढ़ना, पर्वतारोहण करना जैसे काम सहजता के साथ कर सकता है। इस कृत्रिम पैर में जूता पहनने की आवश्यकता न होने से जूते का खर्च बचता है। पैर मोड़ना एवं पालथी मारकर बैठना कृत्रिम पैर के कारण संभव हो गया है। पानी में तथा गीली अवस्था में काम करने के लिए ये पैर सुविधाजनक होते हैं।

मूत्रपिंड प्रत्यारोपण (किडनी ट्रान्सप्लांट) : यह शल्यक्रिया भारत में साध्य हो जाने से रोगियों के प्राण बचाने में डॉक्टरों को सफलता मिली है। वर्ष १९७१ से पूर्व इस तरह की शल्यक्रियाएँ भारत में बहुत-अधिक नहीं होती थीं। तमिलनाडु के वेल्लूर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में यह शल्यक्रिया वर्ष १९७१ में सफल

हुई। डॉ. जॉनी व डॉ. मोहन राव ने जीवित व्यक्ति द्‌वारा दान किए गए मूत्रपिंड का रोगी के शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया। अब अविकसित देशों के रोगी यह शल्यक्रिया करवाने के लिए भारत में आते हैं।

टेस्ट ट्यूब बेबी : भारत में पहले से ही परिवार व्यवस्था में संतान का होना महत्त्वपूर्ण माना जाता रहा है। संतान की इच्छा रखने वाले पति-पत्नी को संतानहीनता की समस्या को दूर करने के लिए वर्ष १९७८ से 'टेस्ट ट्यूब बेबी' इस तकनीकी का सहारा उपलब्ध हो गया। कोलकाता में डॉ. सुभाष मुखोपाध्याय की देख-रेख में 'टेस्ट ट्यूब बेबी' का प्रयोग सफल रहा। कृत्रिम गर्भधारणा तकनीक का यह प्रथम प्रयोग सफल रहा। इस तकनीकी के माध्यम से 'दुर्गा' नामक की बच्ची का जन्म हुआ। इस कारण संतान की इच्छा रखने वाले अभिभावकों की समस्या हल होने में सहायता मिली।

टीकाकरण : वर्ष १९७८ से पूर्व भारत में प्रतिवर्ष पैदा होने वाले दस बच्चों में से छह बच्चे जन्म के बाद पहले ही वर्ष में प्राणघाती बीमारियों की चपेटे में आ जाते थे। पोलियो, खसरा, धनुर्वात, क्षय, गलगंड और कुकुरखाँसी जैसे रोगों का उन्मूलन करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। वर्ष १९९५ में 'पल्स पोलियो' टीकाकरण अभियान चलाया गया। परिणाम स्वरूप पोलियो की रोक-थाम की जा सकी।

शहरीकरण :

शहर अथवा नगरीय क्षेत्रों में जनबस्तियों के केंद्रित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना नगरीकरण का महत्त्वपूर्ण कारण है। हवा, पानी, समूह जीवन के लिए आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक संस्था आदि घटकों का नगरीकरण पर परिणाम होता है।

स्वातंत्र्योत्तर भारत में मृत्यु दर का घटना, औद्‌योगीकरण, ग्रामीण भाग में रोजगारों की अनुपलब्धता, शहरों में रोजगार अवसर एवं व्यापार, स्थलांतरण नगरीय जनसंख्या वृद्‌धि के प्रमुख कारण हैं।

शहरों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना हो तो छोटे-छोटे गाँवों में रोजगार उपलब्ध करवाना, आर्थिक विकास का संतुलन साधना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, महानगरों की होने वाली वृद्‌धि को नियंत्रित करना, ग्रामीण तथा नगरीय भागों में आवश्यक सेवाएँ एवं सुविधाएँ उपलब्ध करवाना जैसे उपाय हैं।

ग्रामीण भाग

स्वतंत्र या सामूहिक रूप से बोई जाने वाली भूमि के पास रहने वाले किसानों की बस्ती को गाँव कहते हैं। कृषि की खोज किए जाने पर गाँव अस्तित्व में आए। भारत की देहात पद्‌धति विरल जनबस्ती की पद्‌धति है। आसपास फैली हुई खेती की भूमि और बीच में बसे हुए घरों की घनी बस्ती भारतीय देहातों की प्रमुख विशेषता है। ग्रामीण समुदाय बड़ा भी रहा तब भी नगरीय समुदाय की तुलना में वह काफी छोटा गुट होता है। गाँव से छोटा गुट बस्ती है।

संपूर्ण भारत की ग्राम रचना एक जैसी नहीं है। प्रांतीय स्वरूप और स्थलीय विशेषता के अनुसार उसमें अंतर दिखाई देता है।

स्वातंत्र्योत्तर कालखंड : ग्रामविकास की दृष्टि से सामूहिक विकास योजना आरंभ की गई। उसके माध्यम से कृषि तकनीक को बदलना, जल सिंचाई बढ़ाना, शिक्षा का प्रसार करना, भूमि सुधार कानून मंजूर करना जैसी योजनाएँ बनाई गईं। इन योजनाओं के अनुसार कृषि उपज बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रसार करना उद्देश्य था। ग्रामीण भाग में आर्थिक विकास को वरीयता देने का निश्चय किया गया। इसके लिए सरकार ने ग्राम पंचायतों के माध्यम से ये कार्य आरंभ किए। ग्राम पंचायत की संरचना में सभी जातियों-जनजातियों के लोगों को समाहित करने की शुरुआत की गई। इसके लिए ग्रामपंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधिकार बढ़ाए गए।

बदलता आर्थिक जीवन : पहले ग्रामीण जीवन

आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर था। गाँव के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर थे। कारीगरों को उनके काम के मेहनताने के रूप में कृषि उत्पादन बाँट दिया जाता था। अब यह परिस्थिति बदल चुकी है। ग्रामीण भाग को कृषि और कृषि संबधी पूरक धंधों से जोड़ा गया है, तो नगरीय समाज कृषितर उत्पादन व सेवा व्यवसायों से जुड़ गया है।

ग्रामीण विकास : भारत में वर्ष १९६१ में ८२% लोग ग्रामीण भाग में रहते थे तो १९७१ में यह अनुपात ८०.१ % था। अनाज एवं अन्य कच्चे माल का उत्पादन कर शहरों की जरूरतों को पूरा करना, शहर के औद्योगिक विभागों को श्रमिकों की आपूर्ति करना, प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल करना ये सारे काम ग्रामीण भाग आज तक करता आया है। इस कारण आर्थिक व्यवसायों का विकास करना, सामाजिक आवश्यकताओं एवं सुविधाओं का विकास करना, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं वैचारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना ये तीन महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ ग्रामीण विकास के संदर्भ में हैं। भूमि सुधार एवं जल सिंचाई परियोजनाओं को गति प्रदान करना आवश्यक है।

सामाजिक आवश्यकता एवं सुविधा : सार्वजनिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं की ओर प्रधानता क्रम से ध्यान देना आवश्यक है। पेयजल की बारहोंमासी सुविधा, स्वच्छतागृह, बंद नालियाँ, सँकरी सड़कें, ग्रामीण भागों में बिजली, औषधोपचार की असुविधा जैसी समस्याओं से ग्रामीण भाग आज भी घिरा हुआ है। प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक स्तरीय सुविधा की उपलब्धता का अभाव, मनोरंजन केंद्रों एवं वाचनालयों की संख्या कम होने कारण ग्रामीण भाग की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत की प्रथम चार पंचवर्षीय योजनाओं में समूह विकास योजना को महत्त्वपूर्ण स्थान था। महाराष्ट्र राज्य ने इस योजना के अंतर्गत प्रभावशाली काम किया है। महाराष्ट्र में वर्ष १९६२ में जिला परिषदों की स्थापना की गई। वर्ष १९७०-७१ में महाराष्ट्र में सकस आहार (पौष्टिक भोजन) योजना शुरू की गई। कुएँ खोदना एवं नलों द्वारा जलापूर्ति करना; इसके लिए 'ग्रामीण जलापूर्ति योजना' शुरू की गई। वर्ष १९७१ के अंत में १६७७ लघु बाँध परियोजनाओं के काम पूर्ण किए गए।

ग्रामीण विद्युतीकरण : ग्रामीण भाग में विकास हेतु बिजली की नितांत आवश्यकता होती है। कृषि में जलापूर्ति हेतु स्वचलित पंप लगते हैं। दूध एवं अंडे जैसे नाशवान पदार्थ टिकाए रखना, फल एवं शाक-सब्जी टिकाए रखना, खाद परियोजना चलाना, विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु रात में बिजली का होना, पंखा, दूरदर्शन जैसे यंत्रों के लिए बिजली लगती है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में तीन हजार देहातों में विद्युतीकरण किया गया। वर्ष १९७३

वैश्वीकरण से पूर्व के समय में ग्रामीण व नगरीय समाज

ग्रामीण समुदाय	नगरीय समुदाय
कृषि एवं संलग्न धंधों को वरीयता।	कृषितर उत्पादन एवं सेवा व्यवसायों को वरीयता।
छोटा आकार, भाषा संस्कृति व परंपरा एकविधि।	बड़ा आकार, भाषा, संस्कृति तथा परंपरा बहुविधि।
प्राथमिक स्वरूप का व्यवसाय, बाहरी लोगों को ग्रामीण व्यवसाय में समाहित करने की बजाय गाँव से उन्हें शहर भेजनेवाला।	बड़े-बड़े व्यवसाय तथा विश्वस्तर के लिए उत्पादन। अन्य भागों से आने वालों को समाहित करने वाला।
अनुवांशिक व्यवसाय की मात्रा अधिक।	अनुवांशिक व्यवसाय की मात्रा दोयम।
परिवार प्रमुख एवं परिवार व्यवस्था को वरीयता संयुक्त परिवार पद्धति।	परिवार को दोयम स्थान। व्यक्ति को वरीयता। संयुक्त परिवार पद्धति का विघटन।

में यह संख्या १,३८,६४६ देहातों तक पहुँच गई। वर्ष १९६६ से पंप एवं नलकूपों को अधिक बिजली देने की योजना बनाई गई। वर्ष १९६९ में 'ग्रामीण विद्‌युतीकरण निगम' स्थापित किया गया। इसी से आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्‌युतीकरण सहकारी संस्थाएँ अस्तित्व में आईं।

औद्‌योगिक विकास : ग्रामीण और औद्‌योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु 'ग्रामोद्‌योग नियोजन समिति' की स्थापना की गई। वर्ष १९७२ के अंत तक इस योजना में एक लाख छह हजार लोगों को रोजगार मिला।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थिति में रहने वाले विशेष बुद्‌धिमान विद्‌यार्थियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सातारा, औरंगाबाद, नाशिक एवं चिखलदरा में विद्‌या निकेतन नाम से छात्रावास माध्यमिक विद्‌यालय आरंभ किए। कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार महाराष्ट्र में राहुरी, अकोला, परभणी एवं दापोली में कृषि विश्वविद्‌यालय शुरू किए गए। महाराष्ट्र द्‌वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को देखते हुए यूनेस्को ने वर्ष १९७२ में साक्षरता प्रसार गौरव का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार महाराष्ट्र को प्रदान दिया।

इस प्रकार स्वातंत्र्योत्तर समय के आरंभ में उत्पन्न हुई बाधाओं को पार करते हुए भारत ने विकास का लक्ष्य साधने की शुरुआत की। अगले पाठ में हम अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति का अध्ययन करेंगे।

स्वाध्याय

१. दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखिए।

(१) डॉ. एन. गोपीनाथ के नेतृत्व में भारत के .... शहर में पहली ओपन हार्ट सर्जरी सफल हुई।
(अ) चेन्नई (ब) वेल्लूर
(क) हैदराबाद (ड) मुंबई

(२) 'जयपुर फुट' के जनक के रूप में .... को पहचाना जाता है।
(अ) डॉ. एन. गोपीनाथ
(ब) डॉ. प्रमोद सेठी (क) डॉ. मोहन राव
(ड) इनमें से कोई नहीं

२. निम्नलिखित में से असंगत जोड़ी को पहचानिए एवं लिखिए।

(१) डॉ. एन. गोपीनाथ - ओपन हार्ट शिल्पकार
(२) रामचंद्र शर्मा - कुशल कारीगर
(३) डॉ. सुभाष मुखोपाध्याय - टेस्ट ट्यूब बेबी
(४) डॉ. मोहन राव - पोलियो

३. निम्नलिखित अवधारणा स्पष्ट कीजिए।

(१) परिवार संस्था (२) जयपुर फुट तकनीक
(३) शहरीकरण (४) बदलता आर्थिक जीवन

४. निम्नलिखित कथन कारण सहित स्पष्ट कीजिए।

(१) पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया गया।
(२) ग्रामीण जलापूर्ति योजना शुरू की गई।

५. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर २५ से ३० शब्दों में लिखिए।

(१) संविधान के अनुसार किन बातों के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है?
(२) समाज कल्याण कार्यक्रम के कौन-से उद्देश्य हैं?
(३) ग्रामीण विकास के संदर्भ में कौन-सी चुनौतियाँ हैं?

६. सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत में हुई मुख्य गतिविधियों की संक्षेप में समीक्षा कीजिए।

उपक्रम

आपके परिसर के किसी वरिष्ठ/ बुजुर्ग व्यक्ति से निम्नलिखित मुद्‌दों के आधार पर साक्षात्कार कीजिए।

- घरों की रचना में हुए परिवर्तन।
- कृषि के संदर्भ में हुए परिवर्तन।
- वाहनों की उपलब्धता।

१० बदलता जीवन : भाग २

इस पाठ में हम भाषा, खेल, नाटक, सिनेमा, समाचारपत्र और दूरदर्शन क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे।

भाषा : भारत में हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मल्यालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और सिंधी ये भाषाएँ महत्त्वपूर्ण हैं। ये भारतीय भाषाओं की बोली भाषाएँ भी हैं। उनकी संख्या अब कम हो रही है। समय रहते उनका संवर्धन किया जाना चाहिए अन्यथा यह अनमोल थाती नष्ट हो जाएगी। यद्‌यपि ऐसा है; फिर भी हिंदी सिनेमा के माध्यम से सर्वत्र पहुँची हिंदी भाषा ने भाषाई दृष्टि से देश को जोड़ने का काम किया है।

क्या आप जानते हैं?

वर्ष १९६१ का नागालैंड का भाषाई विवरण निम्न प्रकार से है।

भाषा और जनसंख्या का अनुपात

अंगामी-३३७६६	सेमा-४७४३९
लोथा-२६५६५	अेओ-५५९०४
रेंगमा-५७८६	चारवेसंग-३३९
खेजा-७२९५	संगतम पोचुरी-२७३६
संगतम-१५५०८	कौनियाक-४६६५३
चांग-११३२९	फोम-१३३८५
यीमचुंग्रे-१०१८७	खीमनुंगम-१२४३४
जेलियंग सेमी-६४७२	लियांगमे-२९६९
कुकी चीरू-११७५	मकवरे-७६९
तिखिर-२४६८	

इस विविधता का परिणाम कोहिमा आकाशवाणी केंद्र पर हुआ। इस केंद्र को २५ भाषाओं से प्रसारण करना पड़ता था। इनमें अंग्रेजी, हिंदी, नागा बोली और अन्य १६ नागा भाषाओं का समावेश है।

वर्ष १९९० के पश्चात प्रारंभ हुए वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण भारत में 'अंग्रेजी' भाषा का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। अंग्रेजी रोजी-रोटी की भाषा बनती जा रही है। नौकरी के अनेक अवसर अंग्रेजी भाषा के कारण उपलब्ध होने लगे हैं।

खोजें भला।

महाराष्ट्र की बोली भाषाओं की जानकारी विविध साधनों के आधार पर (कोश, गूगल, विकीपीडिया, अनुसंधान कर्ताओं के लेख) खोजें।

अंग्रेजी सीखने में भारतीय लोग आगे हैं। परंतु इस प्रक्रिया के कारण प्रादेशिक भाषाओं का अस्तित्व खतरे में न पड़े, इसकी सावधानी रखनी होगी।

खेल : स्वातंत्र्यपूर्व काल में खेलकूद के क्षेत्र में गिने-चुने खेलों के ही नाम लिए जाते थे। कुछ खिलाड़ियों ने इसमें परिवर्तन करने का काम किया। इस कारण खेल और खिलाड़ी दोनों भी बड़े हो गए। इसमें महत्त्वपूर्ण नाम गीत सेठी का है। बिलियर्ड्‌स खेल में स्नूकर नाम के खेल प्रकार में गीत सेठी ने विश्व प्रविणता प्राप्त की। उसने अपनी आयु के १५ वें वर्ष में बिलियर्ड्‌ की कुमार राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत ली। इसके बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन्होंने अजेय पद प्राप्त किए। उन्होंने वैश्विक व्यावसायिक प्रतियोगिता में पाँच बार, वैश्विक शौकिया बिलियर्ड्‌ प्रतियोगिता में तीन बार विजेता पद प्राप्त किया। उन्होंने इस खेल को लोकप्रियता दिलवाई। समाचारपत्रों में इस खेल की खबरें छपकर आने में फरेरा और सेठी का यह खेलप्रताप कारण है। भारत के उद्‌योन्मुख खिलाड़ियों को उन्होंने नया क्षेत्र उपलब्ध करवा दिया।

वर्ष १९८३ में कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में ऐतिहासिक विजय हासिल की और इस खेल ने देशभर में बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की। इसी साल सुनील गावसकर ने टेस्ट मैचों में सर्वाधिक शतकों

का कीर्तिमान बनाया। वर्ष १९८५ में भारत ने 'बेन्सन एंड हेजेस' क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता पद प्राप्त किया। परिणामस्वरूप भारत के सभी राज्यों में न्यूनाधिक मात्रा में क्रिकेट खेल खेला जाने लगा। देशी खेल पिछड़ गए। क्रिकेट को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ। क्रिकेट को केंद्र में रखकर कुछ सिनेमाओं का निर्माण भी किया गया। दूरदर्शन पर पूर्ण पाँच दिवसीय और एक दिवसीय खेलों का प्रसारण आरंभ हुआ।

सुनील गावस्कर

एशियाड और ओलिंपिक प्रतियोगिताओं में भारत सहभागी था। वर्ष २००० के ओलिंपिक में करनाम मल्लेश्वरी ने भारोत्तलन(वेट लिफ्टिंग) पदक प्राप्त किया। ओलिंपिक में पदक पाने वाली वह पहली भारतीय महिला है। हॉकी, तैराकी, तीरंदाजी, भारोत्तलन, टेनिस, बैडमिंटन जैसी प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व बढ़ने लगा।

करनाम मल्लेश्वरी

नाटक और सिनेमा : नाटक और सिनेमा भारतीयों के जीवन के महत्त्वपूर्ण घटक हैं। पहले नाटक खूब समय तक, कभी-कभी तो रातभर चलते थे। वर्तमान काल में नाटक का स्वरूप, तकनीक, समय बदल गया है। अलग-अलग क्षेत्र के लोग नाटक में सम्मिलित होने लगे हैं। संगीत रंगभूमि का महत्त्व पहले की तुलना में कम हो चला है। पौराणिक तथा ऐतिहासिक विषयों के बदले राजनैतिक और सामाजिक विषयों को प्रधानता मिलने लगी है।

सिनेमा के क्षेत्र में कृष्ण-धवल सिनेमा के बाद रंगीन सिनेमा का युग आया। मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी सिनेमा का स्थान अतुलनीय है। समकालीन परिस्थिति का चित्रण सिनेमा में उभरने लगा। सिनेमा के चित्रण स्थल देश के बाहर जाने लगे। देश-विदेश के विविधतापूर्ण स्थान लोगों को दीखने लगे। विदेशी भाषा की फिल्में अनुवादित होने लगीं। अंग्रेजी सिनेमा के प्रदर्शन के समय परदे पर हिंदी अनुवाद दीखने लगे हैं। हिंदी फिल्में वैश्विक फिल्मों से प्रतियोगिता करने लगीं। हिंदी सिनेमा संसार भर में पहुँच गया। राजनीति, समाजनीति, उद्योग, प्रौद्योगिकी के प्रतिबिंब सिनेमा में उभरने लगे। ३-४ घंटे चलने वाला सिनेमा डेढ़ घंटे पर आ गया। एक परदा और एक थिएटर की अवधारणा बदल गई। अब बहुपरदा और फिल्म संकुल मल्टीप्लेक्स थिएटर अस्तित्व में आ गए। इस कारण एक ही फिल्म १०० सप्ताह तक चलने का चलन समाप्त होकर अब एक ही फिल्म एक ही समय में देश-विदेश में हजारों थिएटरों में दीखने लगी। इस कारण सिनेमा का आर्थिक स्वरूप बदल गया। सिनेमा निर्माण को उद्योग का दर्जा प्राप्त हो गया। यह उद्योग करोड़ों लोगों को समाहित करने लगा। प्रादेशिक भाषा के सिनेमा उद्योगों पर बहार छा गई।

समाचारपत्र : बदलती जीवन शैली का प्रभाव समाचारपत्रों और प्रसार माध्यमों पर पड़ा। इन माध्यमों का प्रभाव व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन पर भी पड़ा। स्वातंत्र्योत्तर समय में रोजमर्रा की गतिविधियों की ताजा खबरें देना, विज्ञापन प्रकाशित करवाकर उद्योग व्यवसाय को बढ़ावा देना, जनमत तैयार करना, रचनात्मक कामों के लिए जनमत प्रभावित कर नेतृत्व करना, प्रबोधन करना, सरकारी व्यवस्था पर अंकुश रखना जैसे विविध उद्देश्यों के लिए समाचारपत्र कृष्ण-धवल रंगों में ही प्रकाशित होते थे।

आगे समय बदला और समाचारपत्र रंगीन हुए। पहले तहसील अथवा जिले के मुखपत्र के रूप में पहचाने जाने वाले समाचारपत्रों को बड़ी मात्रा में राज्यस्तरीय शृंखला स्वरूप के पत्रों का सामना करना पड़ रहा है। समाचारपत्र अब ज्यादा ही सक्रिय होने लगे हैं। अकाल पीड़ितों के

लिए कोष इकट्ठा करना, बाढ़ पीड़ितों के लिए धन एकत्रित करना, आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के बुद्धिमान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना तथा प्रायोजित करना जैसे विविध माध्यमों से समाचारपत्र हमारे जीवन का अविभाज्य अंग हो गए हैं।

दूरदर्शन : भारत में स्वातंत्र्योत्तर समय में दूरदर्शन का आगमन हुआ। आरंभ में कृष्ण-धवल दिखाई देने वाला दूरदर्शन कालांतर में रंगीन हो गया। आरंभ में गिने-चुने कार्यक्रम और निर्धारित समय में ही मनोरंजन करना दूरदर्शन का स्वरूप था। आगे चलकर शैक्षिक उपक्रम, समाचार, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री के दौरों के विस्तृत समाचार, खबरें; इस प्रकार एक-एक उपक्रम बढ़ता गया। रामायण और महाभारत धारावाहिकों के समय बहुसंख्य लोग दूरदर्शन के सामने बैठे रहते थे। इस माध्यम की लोकप्रियता का संकेत इन धारावाहिकों ने दिखा दिया। वर्ष १९९१ के इराक युद्ध का सजीव प्रसारण सीएनएन चैनल ने संसार भर में किया। इस चरण पर भारत के न्यूज चैनलों का विश्व ही बदल गया। वर्ष १९९८ में स्टार (सेटेलाइट टेलीविजन एशिया रीजन) निजी उद्योग समूह भारत में आया। इससे आरंभिक काल में प्रचलित भारत का नीरस, एकतरफा, प्रचारक स्वरूप के समाचारों का विश्व ही बदल गया।

भाषा, प्रस्तुतीकरण की तकनीक से सुसज्जित स्टूडियो और ओबी (आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग) वैनों का उपयोग किए जाने से इन चैनलों ने इस क्षेत्र को विस्तार दिया। फलस्वरूप समाचार प्रस्तुति में खुलापन और विविधता आई। देश का कोना-कोना जोड़ा गया। इसका परिणाम राजनीति पर भी हुआ। पूरा देश बदलने लगा।

अब तक हमने आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन किया। अगले वर्ष 'इतिहास' विषय का व्यावहारिक विश्व में उपयोजन कैसे करना है; इसका हम अध्ययन करेंगे। इतिहास दैनिक जीवन का भाग कैसे हो सकता है; यह हम देखेंगे।

स्वाध्याय

१. दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखिए।

(१) भारत ने .... के नेतृत्व में विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता जीती।
(अ) सुनील गावसकर (ब) कपिल देव
(क) सईद किरमानी (ड) संदीप पाटिल

(२) वैश्वीकरण प्रक्रिया के कारण ....भाषा का महत्त्व बढ़ रहा है।
(अ) पंजाबी (ब) फ्रेंच
(क) अंग्रेजी (ड) हिंदी

२. निम्नलिखित तालिका की जानकारी पूर्ण कीजिए।

१.	भारत की महत्त्वपूर्ण भाषाएँ	....
२.	ओलिंपिक प्रतियोगिता में पदक प्राप्त खिलाड़ी	....
३.	आपका देखा हुआ बाल सिनेमा	....
४.	विविध समाचारों का प्रसारण करने वाले न्यूज चैनलों के नाम	....

३. निम्नलिखित कथन कारण सहित स्पष्ट कीजिए।

(१) भारत में सर्वत्र न्यूनाधिक मात्रा में क्रिकेट खेला जाने लगा।
(२) सिनेमा का आर्थिक स्वरूप बदल रहा है।

४. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर २५ से ३० शब्दों में लिखिए।

(१) भारतीय भाषाओं की 'बोली भाषाओं' का संवर्धन करना क्यों आवश्यक है?
(२) समाचारपत्रों के बदलते स्वरूप को स्पष्ट कीजिए।
(३) दूरदर्शन माध्यम में कौन-से परिवर्तन हुए हैं?

उपक्रम

(१) अंतरजाल की सहायता से दादासाहब फालके के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। दादासाहब फालके पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों की सूची तैयार कीजिए।
(२) लोकतंत्र का चौथा स्तंभ 'समाचारपत्र' इस विषय पर विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता आयोजित कीजिए।

राजनीति शास्त्र

भारत और विश्व

अनुक्रमणिका

क्र.	पाठ के नाम	पृष्ठ क्रमांक
१.	विश्वयुद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियाँ	५७
२.	भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा	६५
३.	भारत की सुरक्षा व्यवस्था	७२
४.	संयुक्त राष्ट्र	७७
५.	भारत तथा अन्य देश	८४
६.	अंतरराष्ट्रीय समस्या	९१

आठवीं कक्षा तक नागरिक शास्त्र के रूप में पढ़ाया जाने वाला विषय नौवीं कक्षा से राजनीति शीर्षक से हम पढ़ेंगे। नागरिक शास्त्र की तरह राजनीति में भी हम अपने राजनीतिक जीवन का अध्ययन करेंगे। यह अध्ययन अब अधिक व्यापक और गहरा होगा। राजनीतिक जीवन में जिस प्रकार स्थानीय शासन, संविधान, संविधान के मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांतों आदि का समावेश होता है, उसी प्रकार देश की शासन व्यवस्था, राज्य प्रशासन, नीति निर्धारण, लोकतंत्र, विविध आंदोलनों का समावेश होता है। सरकार के निर्णय, सरकार की नीतियाँ, सरकार द्वारा किया जाने वाला सत्ता का उपयोग इन सबका सामान्य व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता रहता है। राजनीति शास्त्र इन सभी मुद्दों का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति से अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन द्वारा आपको राजनीतिक गतिविधियाँ, राजनीतिक विचारधाराएँ और राजनीतिक प्रक्रिया का आकलन अधिक अच्छी तरह से होगा। इस आकलन का लाभ किसी भी क्षेत्र में काम करने और प्रावीण्य प्राप्त करने में होगा।

क्षमता विधान

अ.क्र.	घटक	क्षमता
१.	१९४५ से विश्व – महत्त्वपूर्ण विचारधाराएँ	✻ शस्त्र स्पर्धा के कारण अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा निर्माण होता है; इसका बोध होना। ✻ शीतयुद्धोत्तर समय के वैश्विक गतिविधियों का विश्लेषण करना। ✻ वैश्वीकरण को भारत द्वारा दिए गए प्रतिसाद की जानकारी प्राप्त करना। ✻ वैश्वीकरण के संदर्भ में विविध देशों की परस्परावलंबिता को समझकर उस संबंध में चर्चा करना।
२.	भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा	✻ विदेश नीति का अर्थ बताना। ✻ विदेश नीति के उद्देश्यों के संबंध में आदरभाव रखना । ✻ विविध घटनाओं की सहायता से स्वतंत्र भारत की विदेश नीति स्पष्ट करना। ✻ भारत हमेशा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रधानता देता है, यह जानकारी विकसित करना।
३.	भारत की सुरक्षा व्यवस्था	✻ भारत की संरक्षण प्रणाली का स्वरूप समझना। ✻ सैन्य तथा अर्ध सैन्य बलों के कार्यों का वर्गीकरण करना। ✻ मानवी सुरक्षा की अवधारणा स्पष्ट करना। ✻ आंतरिक सुरक्षा के संबंध में आने वाली चुनौतियों की समझ होना। ✻ एकाध चुनौती का अध्ययन कर उसकी शोध पत्रिका तैयार करना।
४.	संयुक्त राष्ट्र	✻ संयुक्त राष्ट्र एक महत्त्वपूर्ण वैश्विक संगठन है, यह बताना। ✻ संयुक्त राष्ट्र शांति की रक्षा करता है, इसे विशद करना। ✻ सभी राष्ट्रों के विकास हेतु शांति आवश्यक है, इसका बोध विकसित करना। ✻ संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में परिवर्तन होने की आवश्यकता स्पष्ट करना।
५.	भारत और अन्य देश	✻ भारत के भौगोलिक स्थान तथा उससे भारत के अंतर्गत तथा विदेश नीति पर होने वाला परिणाम स्पष्ट करना। ✻ पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध हो, यह विचार दृढ़ होना। ✻ प्रादेशिक सहयोग हेतु अस्तित्व में होने वाले संगठनों के संबंध में कारण मीमांसा करना। ✻ भारत तथा अन्य देशों के अर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों की समीक्षा करना।
६.	अंतरराष्ट्रीय समस्या	✻ विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को मानवाधिकार प्राप्त होते हैं, यह विचार विकसित करना। ✻ भारतीय संविधान तथा कानून द्वारा मानवाधिकार का संरक्षण कैसे होता है; यह जानना। ✻ पर्यावरण ह्रास यह एक वैश्विक समस्या है; यह बोध विकसित करना। ✻ शरणार्थी कौन है? यह स्पष्ट करना।

१ विश्वयुद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियाँ

चलो, थोड़ी दोहराई करेंगे !

पिछली कक्षाओं में नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों में हमने स्थानीय शासन संस्था, भारत का संविधान और अपने देश की शासन प्रणाली अथवा सरकार की संरचना का अध्ययन किया। इस कक्षा में अब हम भारत के विश्व से होने वाले संबंध देखने वाले हैं। भूगोल के अध्ययन से आपको विश्व की भौगोलिक संरचना समझी होगी। इतिहास के अध्ययन से ऐतिहासिक कालखंड की वैश्विक गतिविधियाँ समझ में आई होंगी। अब हम राजनीति शास्त्र के अध्ययन से भारत और विश्व के बीच के संबंध और महत्त्वपूर्ण वैश्विक समस्याएँ समझेंगे।

हम सभी अलग-अलग कारणों से, सुविधाओं के लिए समाज के व्यक्तियों, संस्थाओं तथा संगठनों पर निर्भर होते हैं। हमारा सामाजिक जीवन एक-दूसरे पर अवलंबित होता है, इसमें एक-दूसरे का परस्पर सहयोग बहुत महत्त्वपूर्ण होता है, यह हमने देखा है। यह जैसा व्यक्ति और समाज के बारे में है उसी तरह विविध राष्ट्रों के बारे में भी है। भारत की तरह विश्व में अनेक स्वतंत्र देश हैं । उनमें निरंतर कुछ-न-कुछ आदान-प्रदान चलता रहता है, व्यवहार होते रहते हैं। ये सभी स्वतंत्र देश एक-दूसरे से अनुबंध भी करते हैं। इन सभी स्वतंत्र तथा प्रभुत्व संपन्न देशों की मिलकर एक व्यवस्था तैयार होती है। हम इसे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कहते हैं। इस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की विशेषताएँ हम समझेंगे।

परस्परावलंबन : विश्व के सभी देश किसी न किसी कारणों से एक-दूसरे पर अवलंबित होते हैं। राष्ट्र कितना ही बड़ा, समृद्ध और विकसित क्यों न हो; वह कभी भी सभी बातों में स्वयंपूर्ण नहीं हो सकता। बड़े राष्ट्रों को भी उनके जैसे अन्य बड़े और छोटे राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए परस्परावलंबन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का अर्थात आज की वैश्विक व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य है ।

मेरी समस्याएँ...

* व्यक्ति और राष्ट्र के परस्परावलंबन में भला क्या अंतर होता है?
* धनवान देश और निर्धन देश क्या ऐसा कोई विभाजन होता है?
* जैसे देश का प्रशासन संविधान के अनुसार चलता है, वैसे ही क्या वैश्विक स्तर पर कोई संविधान होता है?
* अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त रहता है?

विदेश नीति द्वारा अंतरराष्ट्रीय संबंध : प्रत्येक राष्ट्र अपने अंतर्गत व्यवहार के लिए तथा अन्य राष्ट्रों से कैसे व्यवहार करें इस विषय में नीति निर्धारित करता है। ऐसी नीति को विदेश नीति कहते हैं। भारत की विदेश नीति का हम अगले अध्याय में विस्तार से अध्ययन करेंगे।

करके देखिए ।

एक माह के समाचारपत्र संकलित कर उनमें विदेश से संबंधित समाचारों का संकलन कीजिए। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर उन समाचारों का वर्गीकरण कीजिए तथा उनकी प्रदर्शनी आयोजित करवाएँ।

(अ) विदेश के महत्त्वपूर्ण पदों के व्यक्तियों द्वारा हमारे देश में दी गई भेंट।

(ब) अपने देश और अन्य देशों में हुए अनुबंध।

(क) हमारे देश में आयोजित कोई अंतरराष्ट्रीय परिषद।

(ड) पड़ोसी देशों के संदर्भ में गतिविधियाँ।

पृष्ठभूमि : हम आज जिस विश्व में रह रहे हैं, उसने अनेक घटनाओं, गतिविधियों द्वारा आकार पाया है। इसीलिए हमें वर्तमान विश्व को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। पिछली शताब्दी में दो विश्वयुद्ध हुए; यह हमें मालूम ही है। ये दो विश्वयुद्ध पिछली शताब्दी की सबसे महत्त्वपूर्ण घटनाएँ थीं। उनके कारण विश्व बदला। विश्व में नए प्रवाह, नए विचार आए। इन विश्वयुद्धों के कारण और क्या हुआ यह समझ लेंगे।

प्रथम विश्वयुद्ध : वर्ष १९१४ से १९१८ के बीच प्रथम विश्वयुद्ध हुआ। यूरोप महाद्वीप के महत्त्वपूर्ण देश इसमें शामिल थे। तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय अथवा वैश्विक व्यवस्था में यूरोप को बहुत महत्त्व प्राप्त था। प्रथम विश्वयुद्ध में बहुत बड़ी मात्रा में जन तथा धन की हानि हुई। युद्ध में सहभागी राष्ट्रों को बड़ा आर्थिक घाटा सहन करना पड़ा। युद्ध में सहभागी न होने वालों को भी युद्ध की मार सहन करनी पड़ी। विजित तथा पराजित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई।

प्रथम विश्वयुद्ध में सहभागी राष्ट्र

मित्र राष्ट्र	मध्यगत राष्ट्र
ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका	जर्मन,ऑस्ट्रिया-हंगेरी, ऑटोमन साम्राज्य, बल्गेरिया

इस तरह के युद्ध पुनः न हों इसके लिए कोई उपाय योजना करनी चाहिए; ऐसा सभी राष्ट्रों को लगने लगा तथा उसी के परिणामस्वरूप राष्ट्रसंघ नामक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई। अंतरराष्ट्रीय समस्या हल करने हेतु चर्चा तथा समझौता करने का यह एक महत्त्वपूर्ण मंच बन गया। राष्ट्रसंघ की मुख्य जिम्मेदारी युद्ध टालना मानी गई।

प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त होने के बाद यूरोप में तथा यूरोप के बाहर भी अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दिए। जैसे, यूरोप के पूर्वी साम्राज्य ध्वस्त हुए तथा नए राष्ट्र अस्तित्व में आए।

यूरोप के अनेक देशों की अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में आवासीय बस्तियाँ थीं। इन आवासीय बस्तियों में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन आरंभ हो गए। इन आंदोलनों ने यूरोपीय राष्ट्रों के वर्चस्व के सम्मुख बड़ी चुनौती दी।

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद शांति प्रस्थापित करने हेतु राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ। परंतु राष्ट्रसंघ युद्ध रोकने में सफल नहीं रहा। जर्मनी, इटली, स्पेन आदि देशों में तो तानाशाही शासन व्यवस्था अस्तित्व में आई। इन सभी घटनाओं की परिणति द्वितीय विश्वयुद्ध में हुई।

प्रथम विश्वयुद्ध में सहभागी भारतीय सैनिक

विचार करें और लिखें ।

जर्मनी में हिटलर की तानाशाही का उदय हुआ। जर्मनी की लोकतांत्रिक परंपरा मजबूत होती तो क्या हुआ होता? तानाशाही शासन व्यवस्था अस्तित्व में न आए; इसलिए हमें कौन-कौन-सी सावधानियाँ लेनी चाहिए।

आपको क्या लगता है ?

युद्ध पर प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रसंघ का गठन हुआ, परंतु युद्ध रोकने में राष्ट्रसंघ विफल रहा। राष्ट्रसंघ को युद्ध टालने हेतु कौन-सी उपाय योजना करनी चाहिए थी?

द्वितीय विश्वयुद्ध : वर्ष १९३९ से १९४५ के बीच द्वितीय विश्वयुद्ध हुआ। प्रथम विश्वयुद्ध की तुलना में द्वितीय विश्वयुद्ध अधिक संहारक सिद्ध हुआ। वह अधिक व्यापक तो था ही; परंतु इस युद्ध में अधिक उन्नत तकनीकी का उपयोग किया गया था। युद्ध में सहभागी हुए राष्ट्रों पर फिर एक बार आर्थिक संकट टूट पड़ा।

संसार – राजनीतिक (प्रमुख देश)

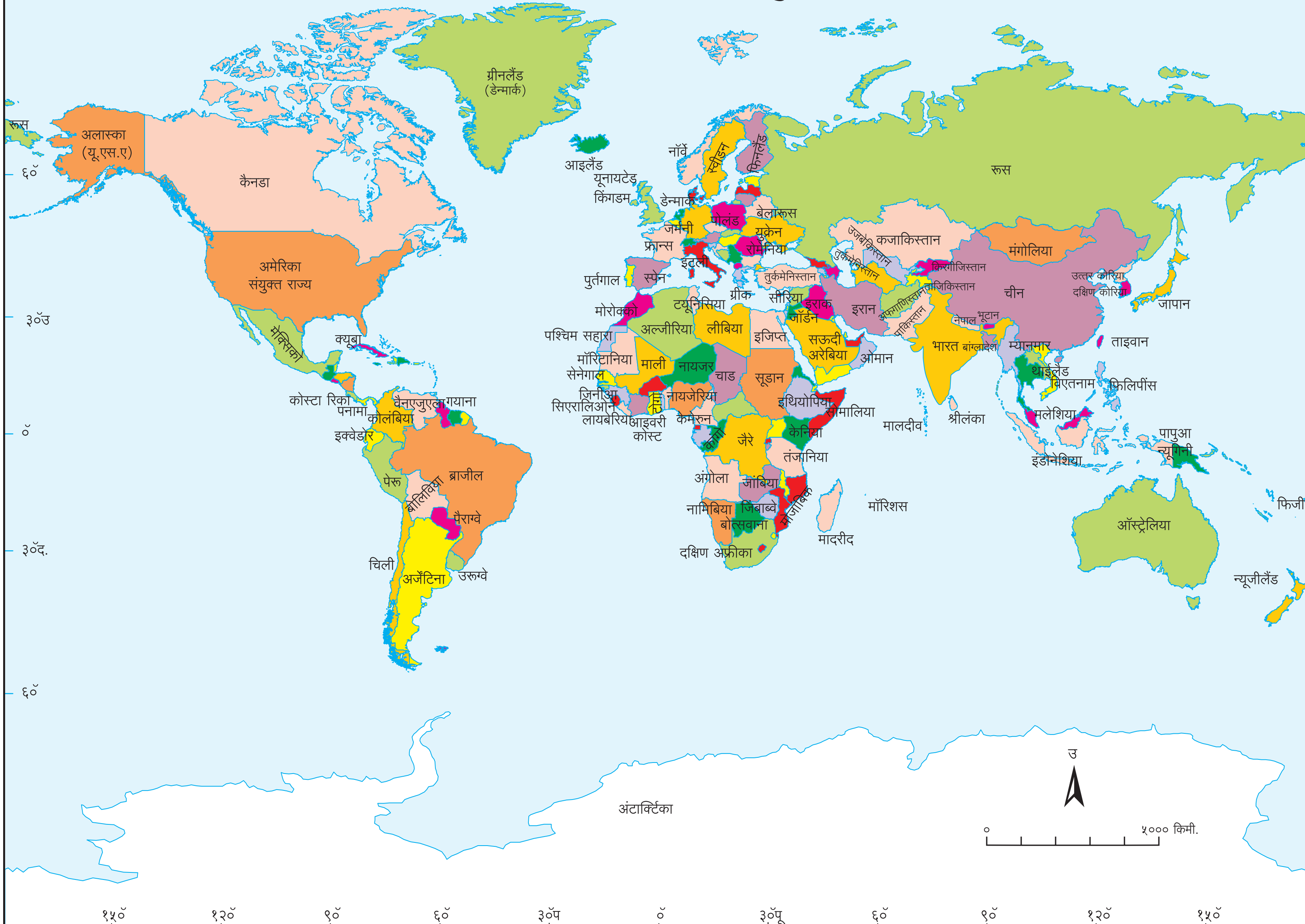

लेखन करें...

वर्ष १९३९ से १९४५ के बीच द्वितीय विश्वयुद्ध चला। इसी कालावधि में भारत में कौन-सी गतिविधियाँ चल रही थीं।

विश्वयुद्ध का भारत पर का प्रभाव पड़ा?

द्वितीय विश्वयुद्ध में सहभागी राष्ट्र

मित्र राष्ट्र	ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कैनडा, न्यूजीलैंड, भारत, सोवियत यूनियन, चीन, अमेरिका
अक्ष राष्ट्र	जर्मनी, जापान, इटली

द्वितीय विश्वयुद्ध में अमेरिका का महत्त्वपूर्ण सहभाग था। अमेरिका ने अणुबम का निर्माण किया था। युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी इन दो शहरों पर क्रमशः ६ और ९ अगस्त १९४५ को अणुबम गिराए। यूरोप में जर्मनी की हुई हार के बाद तथा एशिया में जापान की हार के बाद द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के समय में विश्व स्तर पर जो अनेक घटनाएँ घटीं उनमें एक महत्त्वपूर्ण घटना शीतयुद्ध का आरंभ होता है। वर्ष १९४५ ते १९९१ तक का प्रदीर्घ समय शीतयुद्ध से व्याप्त था। इस कालखंड के कुछ परिवर्तनों की हम समीक्षा करेंगे।

शीतयुद्ध : दूसरे विश्वयुद्ध में मित्र रहे अमेरिका तथा सोवियत यूनियन युद्ध समाप्त होते ही परस्पर प्रतियोगी बन गए। उनके आपसी सहयोग का स्थान प्रतिद्वंद्विता ने ले लिया। यह प्रतिद्वंद्विता वैश्विक राजनीति में ४०-४५ वर्षों तक चलती रही। इन दोनों देशों में प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ पर युद्ध की ज्वाला कभी भी धधक सकेगी; इतना तनाव उनके संबंधों में उत्पन्न हुआ था। प्रत्यक्ष युद्ध नहीं पर युद्ध के लिए पूरक जैसी तनावपूर्ण परिस्थिति का वर्णन शीतयुद्ध के रूप में किया जाता है । इस कालावधि में अमेरिका तो महासत्ता थी ही पर सोवियत यूनियन ने भी आण्विक प्रक्षेपणास्त्रों की निर्मिति कर अपनी सैन्य सामर्थ्य बढ़ाकर महासत्ता बनने का प्रयत्न किया। अमेरिका तथा सोवियत संघ इन दो महासत्ताओं का संघर्ष, सत्ता स्पर्धा, शस्त्रस्पर्धा, विचार प्रणाली के बीच के भेद, एक दूसरे को शह और मात देने की वृत्ति; इन सभी बातों के कारण ही शीतयुद्ध शुरू हो गया था।

शीतयुद्ध के परिणाम

- **सैन्य संगठनों का निर्माण :** शीतयुद्ध की कालावधि में दोनों महासत्ताओं ने सैन्य संगठनों का निर्माण किया। उनमें सम्मिलित होने वाले राष्ट्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन-उन महासत्ताओं ने ली। नाटो (NATO : North Atlantic Treaty Organization) अमेरिका के नेतृत्ववाला सैन्य संगठन था। उसी प्रकार वर्साय समझौता यह सोवियत संघ के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन था।

आपको क्या लगता है?

* तकनीकी विज्ञान में हुई प्रगति और अंतरराष्ट्रीय शांति इनमें क्या कोई संबंध होता है?
* मानव कल्याण के लिए तकनीकी विज्ञान का उपयोग कैसे किया जा सकेगा?

- **विश्व का द्विध्रुवीकरण :** शीतयुद्ध काल में विश्व के अधिकांश देश दो महासत्ताओं के गुटों में शामिल हुए थे । राष्ट्रों का इस तरह दो गुटों में विभाजन होना अर्थात द्विध्रुवीकरण होना है। इससे शीतयुद्ध का प्रभाव बढ़ गया। तनाव का क्षेत्र फैल गया।
- **शस्त्रास्त्र स्पर्धा :** एक-दूसरे को शह और मात देने के लिए महासत्ता बहुत बड़ी मात्रा

करके देखिए।

क्यूबा का संघर्ष (१९६२) शीतयुद्ध काल की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना थी। इस संघर्ष के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए।

क्या आप जानते हैं?

वर्ष १९१७ में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई और उसी से सोवियत संघ अस्तित्व में आया। अल्पावधि में ही सोवियत संघ अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महासत्ता के रूप में उभर आया। परंतु अमेरिका और सोवियत संघ में अतिमतभेद थे। जैसे -

* अमेरिका पूँजीवाद का समर्थन करने वाला लोकतांत्रिक राज्य था, तो सोवियत संघ समाजवाद और एकपक्षीय तानाशाही का समर्थन करने वाला राज्य था। दोनों महासत्ताओं को विश्व में अपना वर्चस्व बढ़ाना था। अमेरिका को पूँजीवाद का प्रसार करना था तो सोवियत संघ को समाजवाद का।
* अपना वर्चस्व बढ़े; इस उद्‌देश्य से दोनों महासत्ताओं ने छोटे राष्ट्रों को अपने-अपने गुट में खींचने के प्रयत्न प्रारंभ किए। परिणामस्वरूप यूरोप का वैचारिक स्तर पर विभाजन हुआ। पश्चिम यूरोप तथा वहाँ के देश अमेरिका के गुट में शामिल हुए तो पूर्व यूरोप के देश सोवियत संघ के गुट में शामिल हुए। इन महासत्ताओं ने अपने-अपने गुट के राष्ट्रों को सैन्य तथा आर्थिक सहायता देने की नीति स्वीकार की।

में शस्त्रों का निर्माण करने लगे। अधिक से अधिक विध्वंसक प्रक्षेपणास्त्र बनाने के संदर्भ में आवश्यक तकनीकी ज्ञान अवगत करने हेतु प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। किंतु इन प्रक्षेपणास्त्रों की होड़ में वैश्विक शांति खतरे में आ जाएगी; इसका आभास दोनों महासत्ताओं को हो जाने के कारण प्रक्षेपणास्त्रों के नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के प्रयास भी इसी समय में हुए।

- **प्रादेशिक संगठनों का निर्माण :** महासत्ताओं की होड़ में विकासशील राष्ट्रों ने एक-दूसरे की सहायता करने के लिए प्रादेशिक स्तर पर संगठनों का निर्माण किया। उन्हें आर्थिक विकास महत्त्वपूर्ण लगता था। यूरोप के देशों ने यूरोपीय आर्थिक संघ का निर्माण किया तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने (सिंगापुर, थाइलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपींस आदि) एशियन (ASEAN) संगठन का निर्माण किया।
- **गुटनिरपेक्षतावाद :** शीतयुद्‌ध की शुरुआत हो जाने पर उस कालावधि में एक ओर विश्व का द्‌विध्रुवीकरण हो रहा था पर उसी के साथ-साथ कुछ देशों को महासत्ताओं की स्पर्धा में सम्मिलित नहीं होना था। ऐसे राष्ट्रों ने महासत्ताओं की स्पर्धा से दूर रहने की नीति स्वीकार की, इसे गुटनिरपेक्षतावाद कहते हैं। गुटनिरपेक्षतावाद शीतयुद्‌ध काल का एक महत्त्वपूर्ण आंदोलन था।

गुटनिरपेक्षतावाद आंदोलन : द्‌वितीय विश्वयुद्‌ध के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्‌वीपों में स्वतंत्र हुए नए देशों ने गुटनिरपेक्षता विचार का समर्थन किया। यह एक महत्त्वपूर्ण आंदोलन था। वर्ष १९६१ में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के अध्यक्ष मार्शल टीटो, इजिप्त के अध्यक्ष गमाल अब्दुल नासेर, इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष डॉ. अहमद सुकार्नो और घाना के प्रधानमंत्री क्वामे नख्रुमा के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई।

गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन का मूल्यांकन: गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन ने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और वंशवाद का विरोध किया है। इस आंदोलन ने अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्ण मार्ग से हल करने को प्रोत्साहन दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में भारत ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। बाद के काल में भी इस आंदोलन को भारत ने

सक्रिय समर्थन दिया है। शीतयुद्ध समाप्त हो जाने पर भी इस आंदोलन का महत्त्व कम नहीं हुआ।

गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन मानवतावाद, वैश्विक शांति तथा समानता जैसे शाश्वत मूल्यों पर आधारित है। इस आंदोलन ने अल्पविकसित राष्ट्रों को एकत्रित होने के लिए प्रेरित किया है।

शांतिमय मार्ग से अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने हेतु इस आंदोलन ने प्रोत्साहन दिया। निरस्त्रीकरण, मानवाधिकारों का संवर्धन के संबंध में आग्रहपूर्ण भूमिका अपनाते हुए गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन ने गरीब तथा अविकसित राष्ट्रों की समस्याएँ दृढ़ता के साथ रखीं। आंदोलन ने एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था **(NIEO)** की माँग की।

संक्षेप में कहा जाए तो शीतयुद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी गुटनिरपेक्षतावादी आंदोलन का महत्त्व कम नहीं हुआ। इस आंदोलन ने अल्पविकसित राष्ट्रों को एकत्र आने के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन ने आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के अनेक वैचारिक प्रवाह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में लाए। इन राष्ट्रों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सम्मान के साथ खड़े होने का एक नया विश्वास दिया।

शीतयुद्ध का अंत : वर्ष १९४५ से वैश्विक राजनीति में प्रभावशाली रहा शीतयुद्ध बाद में समाप्त हो गया। शीतयुद्ध का अंत पिछली शताब्दी के अंत की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना थी। शीतयुद्ध के समाप्त होने में अनेक बातें जिम्मेदार थीं। जैसे –

(१) सोवियत संघ ने आर्थिक उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया। देश की अर्थव्यवस्था पर लगाए गए नियंत्रण को शिथिल किया।

(२) सोवियत संघ के तत्कालीन अध्यक्ष मिखाइल गोर्बाचेव ने 'पेरेस्त्रोईका' (पुनर्रचना) और 'ग्लासनोस्त' (खुलापन) नीतियों पर अमल किया। इन नीतियों के कारण माध्यमों पर से नियंत्रण कम हुआ। राजनैतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए अर्थात इस क्षेत्र में पुनर्रचना की गई। इससे लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा मिला।

(३) पूर्वी यूरोप के सोवियत संघ के प्रभाववाले देशों द्वारा पूँजीवादी और लोकतांत्रिक मार्ग अपनाने के कारण वहाँ की शासन सत्ताएँ बदल गईं।

(४) सोवियत संघ का विघटन हुआ। फलतः अनेक नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ। रूस सोवियत संघ का बड़ा देश था।

ऐसा क्यों?

- नाटो संगठन आज भी अस्तित्व में है,पर उसका स्वरूप अब सैनिकी नहीं है। इस संगठन में कितने देश हैं, खोजिए।

शब्द सुझाएँ ।

एक ही महासत्ता होती है तथा उसपर जब अनेक देश निर्भर होते हैं तो उस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को हम एकध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। दो महासत्ताओं में हुए राष्ट्रों के विभाजन को द्विध्रुवीकरण कहते हैं।

जब अनेक देश महासत्ता के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में उभरते हैं तब उस व्यवस्था को क्या कह सकेंगे?

'युद्ध में निहित स्वार्थ' इस विषय पर निबंध लिखें। इसके लिए नीचे कुछ मुद्दे दिए हैं। उनपर चर्चा कीजिए।

* कोई भी समस्या चर्चा तथा समझौते से हल की जी सकती है।
* युद्ध के कारण समस्या हल नहीं होती।
* युद्ध के कारण विकास अवरुद्ध होता है।

शीतयुद्धोत्तर विश्व

सोवियत संघ के विघटन के साथ शीतयुद्ध समाप्त हुआ। किसी समय महासत्ता रहे इस सोवियत संघ के विघटन से विश्व की राजनीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जैसे –

- वैश्विक राजनीति में अमेरिका ही एकमात्र महासत्ता के रूप में शेष रहा।
- राष्ट्रों में व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण हुआ। पूँजी, श्रम, बाजार, सूचना इनका विश्व भर में प्रसार हुआ। लोगों में विचारों और कल्पनाओं का भी मुक्त संचार होने लगा।
- सभी राष्ट्रों ने व्यापारिक संबंधों को प्रधानता देने का निश्चय किया जिससे अन्य राष्ट्रों की सहायता करने की कल्पना पिछड़ गई। इसके बदले आर्थिक संबंध प्रस्थापित करने के प्रयास होने लगे। अर्थात पहले अपने किसी विरोधी राष्ट्र को 'शत्रु राष्ट्र' कहा जाता था इसलिए अब उसके बदले 'स्पर्धक राष्ट्र' की अवधारणा सामने आई।
- संयुक्त राष्ट्र संघ की जिम्मेदारी में वृद्धि हुई। वैश्विक शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्रों को अधिक ठोस प्रयास करने पड़ रहे हैं।
- पर्यावरण की रक्षा, मानवाधिकारों का संरक्षण, स्त्री-पुरुष समानता, प्राकृतिक आपदा का सामना इन मुद्दों को वैश्विक स्वरूप प्राप्त हुआ।

वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? : शीतयुद्ध के बाद व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में खुलापन आया। इससे पूर्व कहे अनुसार पूँजी, श्रम, बाजार और सूचनाओं का विश्व भर में संचार होने लगा। विश्व भर के लोगों में विचारों एवं कल्पनाओं का आदान-प्रदान बढ़ गया। सूचना एवं प्रौद्योगिकी में हुई क्रांति से विश्व की घटनाएँ और गतिविधियाँ सुदूर मालूम होने लगीं। देशों की सीमा रेखाओं का पहले जितना महत्त्व नहीं रहा। इन सभी प्रक्रियाओं को वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण के जैसे कुछ लाभ हुए हैं वैसे ही कुछ हानियाँ भी हुई हैं। जैसे विविध राष्ट्रों की अर्थ व्यवस्था एक दूसरे से जुड़ जाने से व्यापार बढ़ा, आर्थिक एकत्रीकरण बढ़ा, बाजारों में माल की उपलब्धता बढ़ी; परंतु इसी के साथ-साथ गरीब और अमीर राष्ट्रों के बीच की दूरी कम नहीं हुई।

इस अध्याय में हमने वर्ष १९४५ से वैश्विक गतिविधियों का अध्ययन किया। शीतयुद्धकालीन विश्व, उसकी शस्त्रस्पर्धा तथा निरस्त्रीकरण का प्रयास समझा। वैश्वीकरण के अर्थ का अध्ययन भी किया। अगले अध्याय में हम भारत की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे।

खोजिए और सहभागी हों !

पर्यावरण रक्षा के लिए किन्हीं दो वैश्विक संगठनों की जानकारी प्राप्त कीजिए। आपको उनके उद्देश्य मान्य हों तो उनमें सहभाग के अवसर कौन-से हैं; यह खोजिए।

स्वाध्याय

१. दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए।

(१) स्वतंत्र व प्रभुत्व संपन्न देशों की मिलकर निर्माण होने वाली व्यवस्था –
(अ) राजनीतिक व्यवस्था
(ब) अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था
(क) सामाजिक व्यवस्था
(ड) इनमें से नहीं

(२) राष्ट्रसंघ की मुख्य जिम्मेदारी –
(अ) युद्ध टालना
(ब) उपनिवेशवाद की स्वतंत्रता
(क) राष्ट्र की अर्थव्यवस्था संभालना
(ड) निरस्त्रीकरण करना

(३) .... इस घटना के कारण शीतयुद्ध समाप्त हुआ।
(अ) संयुक्त राष्ट्र की स्थापना
(ब) सोवियत संघ का विघटन
(क) सैन्य संगठनों का निर्माण
(ड) क्यूबा का संघर्ष

२. निम्न कथन सत्य हैं या असत्य कारण सहित स्पष्ट कीजिए।

(१) प्रथम विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ।
(२) शीतयुद्ध के कारण विश्व का एकध्रुवीकरण हुआ।
(३) मिखाईल गोर्बाचेव की नीतियों के कारण लोकतंत्रीकरण के लिए पोषक वातावरण बना।

३. निम्नलिखित अवधारणा स्पष्ट कीजिए।

(१) शीतयुद्ध (२) गुटनिरपेक्षतावाद
(३) परस्परावलंबन (४) द्विध्रुवीकरण
(५) वैश्वीकरण

४. निम्नलिखित विषयों पर अपना मत व्यक्त कीजिए।

(१) राष्ट्रसंघ को द्वितीय विश्वयुद्ध टालने के लिए कौन-सी उपाययोजना करनी चाहिए थी?
(२) शीतयुद्ध के काल में गुटनिरपेक्षतावाद आवश्यक था।
(३) शीतयुद्ध के कारण मानव कल्याण की ओर दुर्लक्ष हुआ।
(४) वर्तमान में अमेरिका के प्रतिद्वंद्वी के रूप में किन देशों का महासत्ता के रूप में उदय हो सकता है?

५. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए।

(१) निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्धों की तुलना कीजिए।

मुद्दे	प्रथम विश्वयुद्ध	द्वितीय विश्वयुद्ध
१. कालखंड		
२. सहभागी राष्ट्र		
३. परिणाम - (राजनीतिक तथा आर्थिक)		
४. युद्धोत्तर स्थापित हुए अंतरराष्ट्रीय संगठन		

(२) शीतयुद्ध का अंत होने के लिए कौन-सी बातें कारण बनीं?
(३) शीतयुद्ध के समाप्त होने के बाद वैश्विक राजनीति में कौन-से महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए?

उपक्रम

१. विश्व के विविध राष्ट्र एक-दूसरे पर अवलंबित होते हैं, उदाहरणसहित स्पष्ट कीजिए।
२. समाज में 'वसुधैव कुटुंबकम्' इस मूल्य को स्थापित करने के लिए आप क्या करने वाले हैं; इसकी कक्षा में चर्चा कीजिए।

२ भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा

इस अध्याय में हम नया क्या सीखेंगे?

अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, उसका स्वरूप और पिछली शताब्दी के शीतयुद्ध तथा उसके परिणाम आदि को समझ लेने के बाद अब हम उनसे संबंधित अन्य विषयों का परिचय प्राप्त करेंगे। इसके अनुसार विदेश नीति का अर्थ, उसे प्रभावित करने वाले घटक, साथ ही भारत की विदेश नीति के स्वरूप को जानेंगे।

विदेश नीति

अर्थ तथा महत्त्व : सभी देश अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के घटक होते हैं। उनमें से कोई भी राष्ट्र सभी अर्थों में स्वयंपूर्ण नहीं होता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में परस्परावलंबन होता है यह हमारी समझ में आया है, किंतु यह परस्परावलंबन कुछ गिने-चुने देशों के लाभ अथवा हितों के लिए नहीं होना चाहिए। वह प्रत्येक राष्ट्र के हित के लिए हो; इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। कौन-से राष्ट्र के साथ मित्रता करें, कौन-से गुट में शामिल हो या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कौन-सी भूमिका ले आदि के संबंध में प्रत्येक देश को निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसे निर्णय बहुत सोच समझकर लेने पड़ते हैं। इसी वैचारिक चौखट को विदेश नीति कहते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र तथा प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र अपनी-अपनी विदेश नीति निर्धारित करते हैं। इसलिए राष्ट्रों के विदेशी संबंधों का अध्ययन करने वाली अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति को बहुत महत्त्व प्राप्त रहता है।

क्या आप जानते हैं ?

जब हमें किसी देश का अध्ययन करना होता है तो उस देश के संविधान और विदेश नीति को समझना आवश्यक होता है।

राष्ट्रीय हित संबंध : विदेश नीति से क्या तात्पर्य है; यह हमने संक्षेप में समझा। राष्ट्रीय हित और विदेश नीति का बहुत ही निकट का संबंध होता है। राष्ट्रीय हित संबंधों का संवर्धन विदेश नीति द्‌वारा किया जाता है। इसलिए विदेश नीति का विस्तृत अध्ययन करने से पूर्व हमें राष्ट्रीय हित संबंधों का अर्थ तथा उसका महत्त्व समझना चाहिए।

राष्ट्रीय हित संबंध से तात्पर्य अपने देश की स्वतंत्रता और प्रभुत्व संपन्नता को सुरक्षित रखने के लिए की जाने वाली उपाय योजना है। अपना आर्थिक विकास साधकर अपनी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का भी राष्ट्रीय हित संबंधों में समावेश होता है। अपने राष्ट्र के लिए क्या लाभप्रद और उचित हैं; इसका विचार कर जब निर्णय लिए जाते हैं तब उसे राष्ट्रीय हित संबंधों का संवर्धन कहा जाता है। इस अर्थ में किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय हित संबंधों में निम्न घटकों का समावेश होता है।

- अपने देश की स्वतंत्रता, प्रभुत्व संपन्नता तथा अखंडता की रक्षा करना अर्थात संरक्षण सर्वोच्च राष्ट्रीय हित है।
- आर्थिक विकास भी एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय हित है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर राष्ट्र को अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना भी कठिन होता है। इसलिए सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक विकास को भी महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय हित माना जाता है।

राष्ट्रीय हित संबंध और विदेश नीति : रक्षा और आर्थिक विकास के विषय राष्ट्रीय हित हैं। अतः उनका संवर्धन हो; इस दृष्टि से विदेश नीति बनाई जाती है। इसलिए राष्ट्रीय हित संबंध उद्‌देश्य माने जाते हैं तो विदेश नीति उन्हें प्राप्त

करने का साधन मानी जाती है। परिस्थिति और समय के अनुसार राष्ट्रीय उद्देश्यों में परिवर्तन

चलो, चर्चा करें।

परिस्थिति और कालानुसार विदेश नीति में परिवर्तन होता है, फिर भी कुछ देशों की विदेश नीति कुछ शाश्वत मूल्यों पर आधारित होती है। जैसे, भारत की विदेश नीति अंतरराष्ट्रीय शांति, मानवाधिकार, सुरक्षितता इन मूल्यों पर आधारित है। उसे प्राप्त करने के लिए विदेश नीति में कौन-से प्रावधान होने चाहिए, ऐसा आपको लगता है?

होते रहते हैं। उसी के अनुसार राष्ट्रीय हित संबंधों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों का प्रतिबिंब विदेशी नीति में दिखाई देता है। इसीलिए विदेश नीति प्रवाही होती है।

विदेश नीति निश्चित करने वाले घटक: अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में किस राष्ट्र के साथ किस प्रकार के संबंध रखे जाएँ; यह विदेश नीति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, परंतु विदेश नीति निर्धारण के समय अनेक घटकों का उसपर परिणाम होता है।

१. देश का भौगोलिक स्थान : आपने पृथ्वी का भूगोलक अर्थात ग्लोब देखा होगा अथवा विश्व का राजनैतिक मानचित्र देखा होगा। इसके आधार पर किसी भी राष्ट्र का भौगोलिक स्थान आपको दिखाई देता है। कुछ देश अन्य देशों से बहुत दूर हैं तो कुछ राष्ट्रों के आसपास कई पड़ोसी राष्ट्र हैं। कुछ राष्ट्रों को समुद्री तट प्राप्त हैं तो कुछ राष्ट्रों के पास भरपूर खनिज संसाधन है। संक्षेप में विदेश नीति निर्धारण करते समय देश का आकार, जनसंख्या, भूमि की गुणवत्ता, देश का समुद्री किनारा, प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता इन सभी बातों का विचार करना पड़ता है।

२. राजनैतिक व्यवस्था : लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संसद को विदेश नीति के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विदेश नीति संबंधी विषयों पर संसद में चर्चा होती है। विपक्ष प्रश्न पूछकर विदेश नीति पर नियंत्रण रख सकता है।

संघराज्य व्यवस्थावाले देशों को विदेश नीति निर्धारण करते समय घटक राज्यों का भी विचार करना पड़ता है क्योंकि पड़ोसी राष्ट्रों की गतिविधियों का घटक राज्यों पर प्रभाव पड़ता है, जैसे श्रीलंका की गतिविधियों का तमिलनाडु पर और बांग्लादेश की गतिविधियों का पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों पर परिणाम होता है।

ऐसा क्यों करना पड़ता है?

शांति एवं स्थिरता का जितना महत्त्व हमारे देश में होता है; उतना ही महत्त्व पड़ोसी देशों में भी होता है। इसीलिए पड़ोसी राष्ट्र में लोकतंत्र का निर्माण हो; इसके लिए भारत को प्रयास करने पड़ते हैं।

३. अर्थव्यवस्था : आधुनिक समय में किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का विदेश नीति निर्धारित करने में बहुत महत्त्व प्राप्त हो गया है। सभी राष्ट्रों में आर्थिक विकास सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य बन गया है। इस कारण अर्थ व्यवस्था का विदेश नीति पर दो प्रकार से परिणाम होता है।

(१) देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने हेतु अन्य राष्ट्रों से प्रस्थापित किए जाने वाले आर्थिक संबंध, आयात-निर्यात, वैश्विक व्यापार में सहभाग आदि बातें विदेश नीति तय करती है।

(२) वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में आर्थिक सुरक्षा के मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षा की तरह महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। आर्थिक सुरक्षा जितनी मजबूत

क्या आप सहमत हैं ? सहमत हैं तो क्यों और सहमत नहीं हैं तो क्यों ? विस्तार से लिखिए।

राष्ट्र की आर्थिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए केवल गरीबी दूर करने पर बल न देते हुए संपत्ति और क्रय शक्ति बढ़ाने के प्रयत्न करने चाहिए।

होगी; राष्ट्र को उतने ही सामर्थ्यवान राष्ट्र की मान्यता मिलती है। मजबूत अर्थव्यवस्थावाले देश कम परावलंबी होते हैं तथा वे स्वतंत्रतापूर्वक विदेश नीति का निर्धारण कर सकते हैं।

४. राजनीतिक नेतृत्व : विदेश नीति निर्धारण में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेशमंत्री, रक्षामंत्री, वित्तमंत्री, गृहमंत्री का सहयोग होता है। विदेश नीति की निरंतरता बनाए रखकर उसे सुधारने का प्रयत्न इन पदों के व्यक्ति करते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षतावाद को बढ़ावा दिया। अटलबिहारी वाजपेयी ने भारत-चीन संबंध सुधारने में बड़ा योगदान दिया है।

सूची पूर्ण कीजिए ।

नीचे कुछ नेताओं के नाम तथा उनके द्‌वारा दिए गए योगदान के संबंध में जानकारी दी गई है, जैसे –

लालबहादुर शास्त्री : ताश्कंद समझौता

इस रूप में निम्न सूची पूर्ण कीजिए।

(अ) इंदिरा गांधी : ....

(ब) राजीव गांधी : ....

(क) अटलबिहारी वाजपेयी : ....

निम्नलिखित नीतियों का समर्थन करने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं?

(अ) .... पूर्व की ओर देखिए।

(ब) .... अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत में निवेश बढ़ाने के प्रयत्न।

५. प्रशासनिक घटक : विदेश नीति के निर्माण में विदेश मंत्रालय, विदेश सचिव, विदेशों में स्थित दूतावास, राजनैतिक अधिकारी आदि प्रशासनिक घटकों का समावेश होता है। यद्‌यपि विदेश नीति संबंधी अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री तथा उनका मंत्रिमंडल लेता है फिर भी निर्णय तक पहुँचने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था सहायता करती है। विदेश नीति के लिए आवश्यक जानकारी एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना, उसपर आधारित योग्य सलाह देना आदि काम प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। उसी के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आप क्या करेंगे?

आप विदेश सचिव के पद पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चीन की यात्रा करने वाले हैं। विदेश सचिव के रूप में विदेश मंत्रालय की ओर से आप प्रधानमंत्री को चर्चा के लिए कौन-से विषय सुझाएँगे?

भारत की विदेश नीति

विदेश नीति संबंधी प्राथमिक जानकारी लेने के बाद अब हम भारत की विदेश नीति के संबंध में जानेंगे।

वर्ष १९४७ में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और तभी से भारत ने स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति निर्धारण की शुरुआत की। भारतीय संविधान के नीति निदेशक सिद्‌धांतों में शासन विदेश नीति को कैसे निर्धारित करें; इस विषय में प्रावधान किया गया है। नीति निदेशक सिद्‌धांतों में धारा ५१ के अनुसार विदेश नीति की एक व्यापक चौखट स्पष्ट की गई है। उसके अनुसार भारत अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रधानता दे, अपनी अंतरराष्ट्रीय समस्या अथवा विवाद

भारतीय संविधान की धारा ५१

- अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना।
- राष्ट्रों में परस्पर न्याय तथा सम्मानपूर्ण संबंध प्रस्थापित करना।
- अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय कानून और समझौता के संबंध में आदर भाव बढ़ाना।
- मध्यास्थ प्राधिकरण की सहायता से अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिमय तरीके से हल करना।

शांति के मार्ग से हल करे। अन्य राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण संबंध रखे तथा अंतरराष्ट्रीय कानून का आदर करे, यह भी हमारी विदेश नीति का उद्देश्य माना गया है। भारत की अब तक की विदेश नीति इसी चौखट में विकसित हुई है।

भारतीय विदेश नीति के कुछ और उद्देश्य निम्नानुसार :

* पड़ोसी देशों के साथ एवं अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध निभाते समय अपने देश की सुरक्षा बाधित न हो; इसकी सावधानी बरतना। राष्ट्र की भौगोलिक सीमारेखाएँ सुरक्षित रहें; इस विषय में कोई समझौता न करना।
* भारत की एकता तथा एकात्मता का संरक्षण करना।
* दूसरे देशों में निवास करने वाले हमारे नागरिकों के हितों की रक्षा करना; इस जिम्मेदारी को संबंधित देशों के भारतीय दूतावास निभाते हैं।
* भारत के आर्थिक विकास के लिए विदेशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध स्थापित करना।

भारत की विदेश नीति की समीक्षा : भारत की विदेश नीति की समीक्षा हम दो चरणों में करेंगे। पहला चरण स्वतंत्रता से लेकर वर्ष १९९० तक का माना जा सकेगा। दूसरा चरण वर्ष १९९० के बाद से आज तक का होगा।

भारत की विदेश नीति : आरंभिक चरण

पं. नेहरू ने आरंभिक समय में भारत की विदेश नीति का प्रारूप तैयार किया। भारत की विदेश नीति के द्‌वारा उन्होंने उपनिवेशवाद का विरोध किया। अंतरराष्ट्रीयवादी भूमिका लेकर वैश्विक शांति तथा सुरक्षा को प्रधानता दी। इस समय की भारत की विदेश नीति पर तीन बातों का प्रभाव था। (१) सभी अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों का आकलन किसी भी सत्ता के दबाव बिना, स्वतंत्र रूप से करने का प्रयत्न किया। शांति बनाए रखना हमेशा ही भारतीय विदेश नीति की विशेषता रही है।

(२) पाकिस्तान और चीन इन देशों की ओर से उत्पन्न होने वाले खतरों पर भी विचार किया गया।

(३) आत्मनिर्भरता का आग्रह और उसपर होने वाला विदेश नीति का बल; यह भी तत्कालीन विदेश नीति का वैशिष्ट्य था।

आरंभिक काल में भारत ने अपनी विदेश नीति के द्‌वारा एशिया महाद्‌वीप के देशों के साथ संबंध सुधारने के प्रयास किए। एशियाई राष्ट्रों के सहयोग से विकास साध्य करने और अपनी स्वतंत्रता को अबाधित रखने का प्रयत्न इस कालखंड में हुआ। प्रादेशिक या क्षेत्रीय विकास की यह कल्पना आगे अफ्रीका तक विस्तारित हुई, परंतु कुछ अफ्रो-एशियाई देश अमेरिका और सोवियत संघ के शीतयुद्‌धकालीन सैन्य संगठनों के सदस्य हो गए। इस कारण प्रादेशिक विकास की प्रक्रिया रुक गई। इसके बाद जो देश शीतयुद्‌ध के सैन्य संगठनों में सम्मिलित नहीं हुए उन्होंने गुटनिरपेक्षतावाद नीति को समर्थन दिया। शांति और स्वतंत्रता ये दो सिद्‌धांत गुटनिरपेक्षतावादी नीति के मूलभूत सिद्‌धांत बन गए।

इस कालखंड में भारत को पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हुए संघर्ष का सामना करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान में कश्मीर समस्या को लेकर वर्ष १९४७-४८ और १९६५ में युद्ध हुए। वर्ष १९७१ में तीसरे युद्ध के कारण पाकिस्तान अलग होकर स्वतंत्र बांग्ला देश का निर्माण हुआ।

१९७० के दशक में भारत की विदेश नीति में एक प्रकार की स्थिरता थी। दक्षिण एशिया में एक प्रबल प्रादेशिक सत्ता के रूप में भारत का उदय हुआ था। वर्ष १९७४ में भारत ने परमाणु परीक्षण कर परमाणु अनुसंधान क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध की लेकिन वर्ष १९८० से कुछ परिवर्तनों की शुरुआत हुई। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से सार्क संगठन की स्थापना की गई। चीन के साथ संबंध सुधारने हेतु भारत ने बातचीत आरंभ की। रक्षा विभाग के सहयोग के लिए अमेरिका के साथ भारत ने लेन-देन की शुरुआत की।

पहला चरण : ई.स. १९४७ से १९९०

* शीतयुद्ध की पृष्ठभूमि में भारत ने गुटनिरपेक्षतावाद को स्वीकार किया। इस कारण सभी राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना, विकास के लिए विविध राष्ट्रों से उचित सहायता लेना, इसे तत्कालीन समय में प्रधानता प्राप्त थी। गुटनिरपेक्षतावाद नीति के कारण भारत को अपने विकास के लिए दोनों महासत्ताओं से सहायता प्राप्त करना संभव हुआ।
* इस कालखंड में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर बल दिया गया था। इसके लिए तकनीकी विज्ञान को आयात किया गया। इसके लिए सोवियत संघ, फ्रांस और जर्मनी आदि देशों ने भारत की सहायता की।

भारत की विदेश नीति में पंडित नेहरू का योगदान :

- वैश्विक या अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों का हम स्वतंत्र रूप से आकलन करें यही उनकी भूमिका थी।
- उन्होंने शांति नीति का समर्थन किया।

इस कालखंड में भारत को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनमें पाकिस्तान के साथ संघर्ष और बांग्लादेश का निर्माण तथा चीन के साथ संघर्ष का समावेश था।

वर्ष १९७४ में भारत ने परमाणु परीक्षण कर परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध की।

दूसरा चरण : वर्ष १९९१ से आज तक

* भारत के दूसरे चरण की विदेश नीति अधिक व्यापक और गतिशील बनी। शीतयुद्धोत्तर काल में राजनैतिक और सैनिकी संबंधों की प्रधानता नहीं रही। विदेश नीति में आर्थिक मामले, व्यापार, शिक्षा और तकनीकी ज्ञान जैसे अनेक पहलुओं का समावेश हुआ। वर्ष १९९१ के बाद भारत ने आर्थिक व्यवस्था पर लदा सरकारी नियंत्रण कम कर आर्थिक उदारीकरण नीति स्वीकार की। इस कारण सुलभता से पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। वैश्विक व्यापार में हमारी सहभागिता बढ़ गई। आर्थिक विकास की दर वृद्धि के प्रयास होने लगे।

क्या आप खोज सकेंगे ?

* आर्थिक विकास दर से क्या तात्पर्य है?
* भारत, नेपाल, भूटान आर्थिक विकास दर की तालिका तैयार कीजिए।

* वर्ष १९९० के बाद के दशक में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ अर्थात सिंगापुर, थाइलैंड, विएतनाम आदि राष्ट्रों के साथ हमारे आर्थिक संबंध अधिक मजबूत हो गए। इजराइल, जापान, चीन, यूरोपीय संघ के साथ हमारा लेन-देन अधिक बढ़ गया।

* अंतरराष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर अनेक आर्थिक संगठनों में भारत का सहभाग बढ़ गया, जैसे जी-२० तथा BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa)।

BRICS
INDIA 2016

ब्रिक्स - बोध चिह्न

करके देखिए ।

भारत और अमेरिका में अनेक बातों में समानता है। जैसे-दोनों देशों में लोकतंत्र है। ऐसी ही समानता दिखाने वाली अन्य बातें खोजें और उसपर एक प्रकल्प तैयार कीजिए।

* अमेरिका के साथ हमारे संबंध अधिक दृढ़ हुए हैं। एक-दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ा है। अंतरराष्ट्रीय समूह में भारत का स्थान ऊँचा उठा है।

* भारत की परमाणु नीति भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। परमाणु शक्ति का अर्थ और उसके उपयोग इसका अध्ययन आपने इतिहास, भूगोल अथवा रसायन विज्ञान विषयों में किया होगा। परमाणुशक्ति का महत्त्व ध्यान में रखते हुए भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद ही परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी। इसके लिए परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु आयोग स्थापित किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉ. होमी भाभा थे। ऊर्जा का निर्माण उसका मुख्य उद्‌देश्य था, फिर भी सैन्य क्षमता निर्माण करना भी एक उद्‌देश्य था। इसके अनुसार वर्ष १९७४ में भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। वर्ष १९९८ में दूसरा परमाणु परीक्षण कर भारत ने परमाणु हथियार का निर्माण किया है। परमाणु हथियारों का वहन करने वाले प्रक्षेपणास्त्र भी हमने तैयार किए हैं तथा इसके लिए वायु सेना और नौसेना भी सक्षम किए गए हैं।

क्या आप जानते हैं?

परमाणु हथियार अत्यंत विनाशकारी होते हैं। इसलिए उनका उपयोग कभी न हो इसके लिए निरंतर प्रयत्न करना आवश्यक होता है। परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने के लिए प्रमुख रूप से दो समझौते किए गए। (१) परमाणु प्रसार प्रतिबंध समझौता (NPT) (२) सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों का प्रतिबंध समझौता (CTBT)। इन दोनों समझौतों की शर्तें केवल बड़े देशों के लिए ही लाभकारी होने के कारण तथा विकासशील देशों पर कठोर प्रतिबंध लगाने वाली होने के कारण इस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए।

करके देखिए ।

परमाणु हथियारों का निर्माण करने वाले देशों की संख्या अधिक से अधिक हो रही है। परमाणु का प्रसार रोकने हेतु आपकी कक्षा की ओर से एक निवेदन तैयार कीजिए। समाचारपत्र में उसे प्रकाशित करने के लिए प्रयत्न कीजिए।

अब भारत एक परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र है; परंतु हमने एक जिम्मेदार परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र की भूमिका स्वीकार की है। निरस्त्रीकरण के प्रयत्नों को भारत हमेशा समर्थन दे रहा है। क्योंकि विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित रहें; यही भारत की भूमिका है।

विदेश नीति की इस प्रकार समीक्षा करने के बाद हम अगले अध्याय में भारत की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन करेंगे।

स्वाध्याय

१. दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए।

(१) परमाणु ऊर्जा आयोग स्थापित करने का मुख्य उद्‌देश्य .... था।
(अ) सैन्य क्षमता निर्माण करना
(ब) परमाणु परीक्षण करना
(क) परमाणु प्रसार रोकना
(ड) ऊर्जा की निर्मिति

(२) विश्व के सभी राष्ट्रों का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्‌देश्य .... बना है।
(अ) आण्विक विकास (ब) आर्थिक विकास
(क) परमाणु परीक्षण (ड) सुरक्षा व्यवस्था

(३) भारत की विदेश नीति में प्रमुख रूप से निम्नलिखित बात महत्त्वपूर्ण है।
(अ) आर्थिक उदारीकरण नीति
(ब) परस्परावलंबन
(क) गुटनिरपेक्षतावाद
(ड) आण्विक विकास

(४) वर्ष १९७४ में भारत ने .... में परमाणु परीक्षण किया।
(अ) श्रीहरिकोटा (ब) थुंबा
(क) पोखरण (ड) जैतापुर

२. निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य कारण सहित स्पष्ट कीजिए।

(१) पं. नेहरू ने भारत-चीन संबंध सुधारने में बड़ा योगदान दिया।
(२) अटलबिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने में अगुवाई की।

३. निम्नलिखित अवधारणा स्पष्ट कीजिए।

(१) भारत की विदेश नीति
(२) राष्ट्रीय हित संबंध
(३) वैश्विक शांति

४. परमाणु शस्त्रों की संपन्नता के कारण वैश्विक शांति के लिए खतरा निर्माण हो गया है। इस संबंध में आपको क्या लगता है?

५. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए।

(१) भारत की विदेश नीति किन मूल्यों पर आधारित है?
(२) भारत-चीन संबंध सुधारने के लिए किस-किस ने योगदान दिया?
(३) भारत की विदेश नीति के उद्‌देश्य लिखिए।

६. निम्न अवधारणा चित्र तैयार कीजिए।

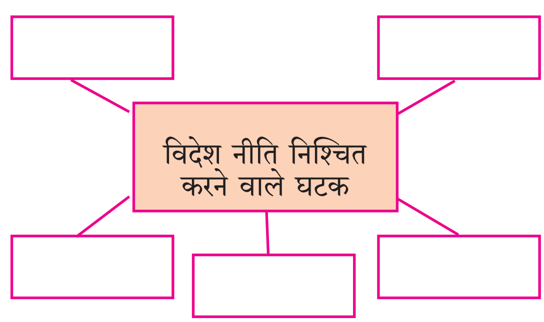

उपक्रम

प्राचीन काल में भारत के किन-किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे, इसकी जानकारी प्राप्त कीजिए।

३ भारत की सुरक्षा व्यवस्था

चलो दोहराई करेंगे !

पिछले अध्याय में हमने भारत की विदेश नीति के संबंध में अध्ययन किया। विदेशी आक्रमण और आंतरिक अव्यवस्था से संरक्षण करना, सीमारेखा सुरक्षित रखना ये राष्ट्र के प्राथमिक हित संबंध होते हैं यह भी हमें समझ में आ गया। इसके लिए प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करता है। भारत ने भी ऐसी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था निर्माण की है तथा इस अध्याय में हम उसके स्वरूप और सुरक्षा व्यवस्था के समक्ष आने वाले आहवानों पर विचार करेंगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा माने क्या?

अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों की बनी है। यद्‌यपि प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र एक-दूसरे को सहयोग देते हैं तो भी कभी-कभी उनमें संघर्ष होता ही है। विविध राष्ट्रों में सीमारेखा संबंधी विवाद होते हैं तो कभी-कभी पानी के बँटवारे को लेकर उनमें संघर्ष निर्माण होता है। अंतरराष्ट्रीय समझौता का पालन न करना, एक-दूसरे से निरंतर स्पर्धा करना, पड़ोसी देशों से निर्वासितों के जत्थे आना ये संघर्ष के कुछ अन्य कारण हो सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रों में परस्पर विरोधी हित संबंध निर्माण हो जाने पर उनके निराकरण समझौते, चर्चा के आधार पर किए जाते हैं परंतु जब ऐसे प्रयत्न अधूरे जान पड़ते हैं, तब कोई राष्ट्र युद्‌ध का भी विचार करता है। एक राष्ट्र द्‌वारा दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करना उस राष्ट्र की प्रभुत्व संपन्नता को चुनौती देना इस कारण उस राष्ट्र की सुरक्षा के सम्मुख खतरा निर्माण होता है। आक्रमक राष्ट्रों के सैन्य सामर्थ्य के कारण इस तरह की चुनौतियाँ निर्माण हो जाती हैं। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र की प्रभुत्व संपन्नता और अस्तित्व की रक्षा करना यह शासन का प्रथम कर्तव्य और जिम्मेदारी होने से राज्य को अपनी सुरक्षा व्यवस्था कायम तत्पर और अद्‌यतम रखनी पड़ती है, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कहते हैं।

बताइए तो?

क्या आप भारत और पड़ोसी देशों के संदर्भ में परस्पर पूरक और परस्पर विरोधी हित संबंधों के कुछ उदाहरण बता सकते हैं?

राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षित रखने के उपाय

- राष्ट्र की सुरक्षा का संबंध भौगोलिकता के साथ जोड़ा हुआ है। भोगोलिक दृष्टि से अधिक निकट होने वाले राष्ट्र की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा निर्माण होने की संभावना होती है। हमारी सीमारेखाओं पर मँड़राने वाला खतरा कौन-सा है तथा वह किसकी ओर से है, यह पहचानना महत्वपूर्ण है।
- इस खतरे को दूर रखना हो तो इसके लिए राष्ट्र को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी पड़ती है। आधुनिकी तकनीकी ज्ञान स्वीकार करते हुए खतरे के संबंध में अनुमान लगाना, शस्त्रास्त्रों का निर्माण, रक्षा दल का आधुनिकीकरण तथा उसे अद्‌यतम करना आदि मार्गों का अवलंब किया जाता है।
- युद्‌ध के मार्ग से संघर्ष का निराकरण करना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सावधानी रखना अधिक तनावपूर्ण और अंतरराष्ट्रीय शांति पर

विचार कीजिए और बताइए।

शस्त्र सामर्थ्य के संबंध में सभी देश समान स्तर पर नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि हमें शस्त्र कटौती की नीति वैश्विक स्तर पर चलानी हो तो क्या करना होगा?

क्या आपको उचित लगता है?

सैन्यशक्ति बढ़ाने के प्रयत्न में राष्ट्र एक-दूसरे से हथियारों की होड़ शुरू करते हैं। हथियारों की होड़ के कारण असुरक्षा की भावना अधिक ही बढ़ जाती है। असुरक्षा की भावना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ाती है। इस खतरे को टालने के लिए हथियारों की होड़ नहीं अपितु हथियारों की कटौती की आवश्यकता है।

परिच्छेद पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

प्रत्येक राष्ट्र को शांति और समझौता के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संघर्ष हल करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए विविध राष्ट्रों में बातचीत और लेन-देन बढ़ाना चाहिए। विविध राष्ट्रों में जितना अधिक परस्परावलंबन होगा शांति और सुरक्षा उतनी ही अधिक बढ़ेगी। इससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने हेतु चर्चा तथा समझौते के लिए अलग-अलग माध्यम और मंच उपलब्ध होंगे। आर्थिक हानि के भय से राष्ट्र युद्ध टालने का प्रयास करेंगे।

१. उपर्युक्त परिच्छेद से कौन-सा संदेश मिलता है?

२. विविध राष्ट्रों में बातचीत किस प्रकार बढ़ सकती है?

३. आर्थिक हानि और युद्ध इनमें कौन-सा संबंध है?

खतरा पैदा करने वाला होता है इसलिए अन्य राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त कर कुछ राष्ट्र राष्ट्रीय सुरक्षा पर आने वाले खतरे को कम करने का प्रयत्न करते हैं।

भारत की सुरक्षा व्यवस्था : भारत की सुरक्षा व्यवस्था में संरक्षण करने वाली थल सेना, नौसेना और वायु सेना इन तीनों सेनाओं का समावेश है। भारत की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी थल सेना पर होती है तो सागरीय सीमाओं की रक्षा नौसेना करती है। भारतीय हवाई सीमा और आकाश के रक्षण की जिम्मेदारी वायु सेना की होती है। इन तीनों सेनाओं पर रक्षा मंत्रालय का नियंत्रण होता है। भारत की थल सेना बहुत बड़ी है तथा वह विश्व की सातवें क्रमांक की मानी जाती है। थल सेना के प्रमुख को थल सेनाध्यक्ष या 'जनरल' कहा जाता है। नौसेना प्रमुख को 'एडमिरल' और वायु सेना प्रमुख को 'एयर चीफ मार्शल' कहते हैं। इन तीनों प्रमुखों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं।

थल सेना

नौसेना

वायु सेना

खोजिए तो समझेगा.....

सैनिक शासन माने क्या?

क्या ऐसे शासन में लोकतंत्र होता है?

भारत के राष्ट्रपति सभी रक्षा दलों के प्रमुख (Supreme Commander of the Defence Forces) होते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना रक्षा दलों को युद्ध अथवा शांति संबंधी निर्णय लेना संभव नहीं होता। राष्ट्रपति नागरी सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकतंत्र में नागरी नेतृत्व को सैनिकीय नेतृत्व से श्रेष्ठ माना जाता है।

भारत की सुरक्षा व्यवस्था की तीनों सेनाएँ अद्‌यतम हो इसके लिए अनेक उपाय योजनाएँ की जाती हैं। इसके लिए कुछ अनुसंधान संस्थाएँ भी स्थापित की गई हैं। सुरक्षा दलों के सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को अपने काम उत्तम ढंग से करने आए इसके लिए देश में अनेक प्रशिक्षण संस्थाएँ भी हैं। जैसे, पुणे की नैशनल डिफेंस अकादमी, दिल्ली का नैशनल डिफेंस कॉलेज आदि।

अर्ध सैन्य बल : भारत के रक्षा दलों की सहायता के लिए अर्ध सैन्य बल होते हैं। वे पूर्णतः सैनिकी नहीं होते और नागरी भी नहीं होते इसलिए उन्हें 'अर्ध सैन्य बल' कहा जाता है। रक्षा दलों की सहायता करना उनका प्रमुख काम होता है। सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force), तटरक्षक दल (Coast Guard), केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल (Central Reserve Police Force), शीघ्र कृति बल (Rapid Action Force) इन सभी का अर्ध सैन्य बलों में समावेश होता है।

रेल स्थानक, तेलसंग्रह, जलसंग्रह आदि महत्त्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्ध सैन्य बलों की होती है। इसी तरह प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदाओं का प्रबंधन करने में इनका सहभाग होता है। शांति काल में देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी अर्ध सैन्य बलों पर होती है।

सीमा समीप के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना निर्माण करना, तस्करी रोकना, सीमा पर गश्त देना ये काम सीमा सुरक्षा बल करता है।

भारत के सागरीय तटों की रक्षा करने हेतु तटरक्षक दल की निर्मिति की गई है। भारत की सागरी सीमा में मछली मार व्यवसाय को सुरक्षा देना, सागरी मार्ग से चोरी छिपे होने वाले व्यापार को रोकना आदि काम तटरक्षक दल करता है।

कानून एवं सुव्यवस्था रखने के काम में विविध राज्यों के प्रशासन की सहायता करने का काम केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल करता है।

बम विस्फोट, दंगा-फसाद इनके कारण देश की सुरक्षा के लिए खतरा निर्माण हो जाने पर तीव्र गति से हलचल कर जनजीवन को सामान्य करने का काम शीघ्र कृति बल करता है।

विद्‌यार्थियों में अनुशासन तथा सैन्य शिक्षा की अभिरुचि निर्माण हो इस हेतु से राष्ट्रीय छात्र सेना अर्थात एन.सी.सी. की स्थापना की गई है। इसमें विद्‌यालय, महाविद्‌यालय के विद्‌यार्थी सहभागी हो सकते हैं।

गृहरक्षक दल: स्वातंत्र्य पूर्व काल में गृहरक्षक दल (होम गार्ड) संगठन की स्थापना की गई। गृहरक्षक दल में सहभागी होकर नागरिक देश की सुरक्षा में सहायक बन सकते हैं। बीस से पैंतीस वर्ष आयु गुट के कोई भी स्त्री-पुरुष नागरिक इस दल में भरती हो सकते हैं।

पुलिस की तरह सार्वजनिक सुरक्षा रखना, दंगा-फसाद तथा बंद के दौरान दूध, पानी आदि जीवनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना, परिवहन की व्यवस्था करना, भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की सहायता करना आदि काम इस दल को करने पड़ते हैं।

भारत की सुरक्षा के सामने चुनौतियाँ

- स्वतंत्रता से आज तक भारत की सुरक्षा को पाकिस्तान और चीन इन राष्ट्रों ने खतरा निर्माण करने का प्रयत्न किया है। भारत और पाकिस्तान में अनेक विवादास्पद प्रश्न हैं, जैसे- कश्मीर की समस्या, पानी के बँटवारे को लेकर विवाद, घुसपैठ की समस्या, सीमा विवाद आदि। चर्चा और समझौता के जरिए भारत इन प्रश्नों को हल करने का निरंतर प्रयत्न कर रहा है। (भारत पाकिस्तान संबंध के विषय में आप अध्याय ६ में अधिक अध्ययन कर सकते हैं।)
- एशिया महाद्वीप में भारत और चीन महत्त्वपूर्ण देश हैं। वर्ष १९६२ में चीन के

साथ हमारा युद्ध भी हुआ है। भारत के पड़ोस में होने वाले राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न चीन द्वारा किए जाने के कारण भारत-चीन संबंधों में तनाव है। सीमा रेखा के संबंध में भी भारत और चीन में विवाद है।

- भारत की सुरक्षा को केवल बाहर के राष्ट्रों की ओर से ही खतरा नहीं है अपितु आंतरिक क्षेत्रों से भी सुरक्षा के लिए खतरा निर्माण करने का प्रयत्न हो रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में अब बाह्य सुरक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा जैसा अंतर महत्त्वपूर्ण नहीं रह गया। धर्मवाद, प्रांतवाद, वैचारिक भिन्नता, वंशवाद, आर्थिक आदि पर आधारित अनेक विद्रोही आंदोलन, अंतर्गत क्षेत्रों में अस्थिरता निर्माण करते हैं। जैसे-नक्सलवादी आंदोलन।
- आतंकवाद भारत की अंतर्गत सुरक्षा के संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती है। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। आतंकवाद नष्ट हो इसके लिए भारत प्रयत्नशील है।

मानवी सुरक्षा

राष्ट्रीय सुरक्षा की कल्पना में शीतयुद्ध के बाद के काल में परिवर्तन हुआ है तथा वह अधिक व्यापक हो गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा का तात्पर्य केवल देश की सुरक्षा नहीं बल्कि उसमें रहने वाले नागरिकों की भी सुरक्षा ऐसा नया विचार उसमें आया है क्योंकि देश की सुरक्षा अंततः नागरिकों के लिए ही होती है। इसीलिए नागरिकों को केंद्र स्थान में रखकर सुरक्षा का नए सिरे से विचार करना ही मानवी सुरक्षा है। मानवी सुरक्षा में सभी प्रकार के खतरों से मनुष्य की रक्षा करना, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ तथा विकास के अवसर प्राप्त कर देना अपेक्षित है।

निरक्षरता, दरिद्रता, अंधविश्वास, पिछड़ापन दूर कर सबको सम्मान के साथ जीने के लिए अनुकूल परिस्थिति निर्माण करना इसका समावेश भी मानवी सुरक्षा में होता है। अल्पसंख्यक तथा दुर्बल घटकों के अधिकारों की रक्षा भी मानवी सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

मानवी सुरक्षा में आने वाली चुनौतियाँ

(१) मानवी सुरक्षा में आने वाली सबसे बड़ी चुनौती है आतंकवाद। आतंकवाद का लक्ष्य ही सामान्य, निरपराध मनुष्य होते हैं। उनके मन में आतंक अथवा भय निर्माण कर उनमें असुरक्षा की भावना निर्माण करना ही आतंकवाद का हेतु होता है। अतः मानवी सुरक्षा के लिए आतंकवाद नष्ट करना आवश्यक है।

चर्चा कीजिए।

- क्या आपको लगता है कि मानवी सुरक्षा के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही उपयुक्त है? चर्चा में आप कौन-से बिंदु रखेंगे?
- मानवी सुरक्षा के लिए पारिवारिक स्तर पर कौन-से प्रयत्न किए जा सकते हैं?

(२) पर्यावरण में आए परिवर्तन तथा प्रदूषण के कारण भी मानव जीवन के लिए खतरा निर्माण हुआ है। एड्स, डेंग्यू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, इबोला जैसे रोगों ने बड़ी चुनौतियाँ पैदा की हैं। ऐसे रोगों से मानव की रक्षा भी मानवी सुरक्षा का घटक माना जाता है।

आपको क्या लगता है?

समाज में बढ़ता हिंसाचार मानवी सुरक्षा के लिए खतरा निर्माण करता है। हिंसाचार न बढ़े इसलिए सभी स्तरों पर शांति प्रक्रिया निर्माण कैसे की जा सकेगी?

भारत की सुरक्षा व्यवस्था के स्वरूप का अध्ययन हमने इस अध्याय में किया। राष्ट्रीय सुरक्षा से मानवी सुरक्षा, ऐसा सुरक्षा संबंधी कल्पना में हुए परिवर्तन को भी हमने इस अध्याय में समझा। अगले अध्याय में हम संयुक्त राष्ट्र संघ इस अंतरराष्ट्रीय संगठन का अध्ययन करने वाले हैं। मानवी सुरक्षा के लिए वह कौन-सी उपाय योजना करता है, यह समझेंगे।

स्वाध्याय

१. दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए।

(१) भारत के ·········· सुरक्षा विभाग के प्रमुख होते हैं।
(अ) प्रधानमंत्री (ब) राष्ट्रपति
(क) रक्षामंत्री (ड) राज्यपाल

(२) भारत के सागरी किनारों की रक्षा की जिम्मेदारी वाला दल –
(अ) थल सेना (ब) तटरक्षक दल
(क) सीमा सुरक्षा बल (ड) शीघ्र कृति बल

(३) विद्यार्थियों में अनुशासन तथा सैन्य शिक्षा की रुचि निर्माण करने के लिए ············ की स्थापना की गई।
(अ) बी.एस.एफ. (ब) सी.आर.पी.एफ.
(क) एन.सी.सी. (ड) आर.ए.एफ.

२. निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य कारण सहित स्पष्ट कीजिए।

(१) मानवी सुरक्षा के लिए आतंकवाद को नष्ट करना आवश्यक है।
(२) प्रत्येक राष्ट्र स्वयं के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करता है।
(३) भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी विवादास्पद प्रश्न नहीं हैं।

३. टिप्पणी लिखिए।

(१) शीघ्र कृति बल के कार्य
(२) मानवी सुरक्षा (३) गृहरक्षक दल

४. अपना मत व्यक्त कीजिए।

(१) भारत की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित कौन-से दल में आप सहभागी होना पसंद करेंगे? क्यों?
(२) 'शांति के लिए परमाणु शक्ति' इस नीति के संबंध में अपना मत व्यक्त कीजिए।

५. संक्षेप में उत्तर लिखिए।

(१) राष्ट्र की सुरक्षा को किन बातों से खतरा निर्माण होता है?
(२) सीमा सुरक्षा बल के कार्य लिखिए।
(३) मानवी सुरक्षा से क्या तात्पर्य है?

६. दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए।

(१) सुरक्षा दल संबंधी निम्न तालिका पूर्ण कीजिए।

सुरक्षा दल का नाम	कार्य	प्रमुख	वर्तमान कार्यरत प्रमुख का नाम
थल सेना	--------	----	--------
-----	--------	एडमिरल	--------
----	भारत की हवाई सीमा तथा आकाश की रक्षा करना।	----	--------

(२) 'भारत की सुरक्षा के सम्मुख चुनौतियाँ' अवधारणा निम्न आकृति की सहायता से दर्शाएँ।

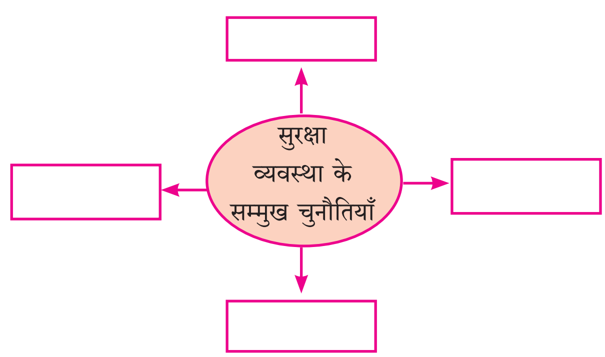

उपक्रम

'भारत की सुरक्षा के सम्मुख चुनौतियाँ' इस विषय पर विद्यालय में चर्चासत्र आयोजित कीजिए।

४ संयुक्त राष्ट्र

इस अध्याय में नया क्या सीखने वाले हैं? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा हो इसलिए संयुक्त राष्ट्र नामक अंतरराष्ट्रीय संगठन स्थापित किया गया। इस संगठन के उद्देश्य, तत्त्व, रचना और शांति रक्षा की उसकी भूमिका इनका अध्ययन प्रस्तुत अध्याय में करना है।

संयुक्त राष्ट्र : पार्श्वभूमि

बीसवीं शताब्दी के आरंभ में दो विश्वयुद्ध हुए। इन विश्वयुद्धों के कारण बड़ी मात्रा में जीवित एवं धन हानि हुई। इस कारण वैश्विक शांति स्थापित करने हेतु एक कार्य प्रणाली निर्मित की जानी चाहिए इस दृष्टि से प्रथम विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्रसंघ और द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र इनकी अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद स्थापित हुए राष्ट्रसंघ को अधिक सफलता नहीं मिल पाई। किंतु दूसरे विश्वयुद्ध में अणुबम का उपयोग होने के बाद इस तरह के विनाशकारी युद्ध रोकने चाहिए यह सभी राष्ट्रों की सामूहिक जिम्मेदारी है, यह विचार सामने आया। दूसरा विश्वयुद्ध समाप्त होने के बाद इस तरह की भावना सभी राष्ट्रों में निर्माण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की गई।

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का कालक्रम

दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान १४ अगस्त १९४१ को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के अध्यक्ष फ्रैंकलिन डी. रुजवेल्ट इन दोनों में एटलांटिक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार युद्ध समाप्त हो जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा निर्माण करने हेतु एक स्थायी व्यवस्था निर्माण करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय पर वर्ष १९४४ और १९४५ में हुए मित्र राष्ट्रों की परिषद में विस्तृत चर्चा की गई तथा उसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय संगठन स्थापित करने के समझौता का मसौदा तैयार किया गया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वर्ष १९४५ में पचास राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने विस्तारपूर्वक चर्चा कर संयुक्त राष्ट्र की सनद तैयार की। इस सनद पर हस्ताक्षर कर युद्ध समाप्त होते ही २४ अक्तूबर १९४५ को 'संयुक्त राष्ट्र' संगठन की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों का संगठन है।

बताइए तो?

- क्या युद्ध काल में हुई परिषद में भारत सहभागी हुआ था?
- संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में कौन-सा दिन मनाया जाता है?

संयुक्त राष्ट्र संगठन के उद्देश्य

संयुक्त राष्ट्र विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। आरंभ में केवल ५० देश इस संगठन के सदस्य थे। आज यह संख्या १९३ हो गई है। ये सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एकत्रित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कुछ निश्चित उद्देश्य हैं। संक्षेप में कहा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संगठन विश्वशांति के लिए आवश्यक सभी उपाययोजना करता है।

- राष्ट्रों में मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करना।
- अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों को शांति पूर्ण मार्ग से हल कर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाना।
- मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता का संरक्षण तथा संवर्धन करना।

इसी के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग बढ़ाना भी संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य है।

प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों के राजनैतिक विशेषाधिकारों

का आदर करना, दूसरे देश पर आक्रमण न करना, अंतरराष्ट्रीय कानून तथा समझौते का पालन करना सभी सदस्य राष्ट्रों का कर्तव्य है।

संयुक्त राष्ट्र प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों द्वारा एकत्रित होकर निर्माण किया गया संगठन है। अतः वह कुछ तत्त्वों या नियमों पर आधारित है। संक्षेप में ये तत्त्व निम्न प्रकार से हैं।

संयुक्त राष्ट्र के तत्त्व

१. सभी सदस्य राष्ट्रों का स्तर समान होगा। भौगोलिक आकार, आर्थिक तथा सैन्य शक्ति के आधार पर राष्ट्रों के बीच भेदभाव नहीं किया जाता।

२. संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों को एक-दूसरे की स्वतंत्रता और भौगोलिक एकात्मता का आदर करना होगा।

३. सभी सदस्य राष्ट्र अपने अंतरराष्ट्रीय विवाद, पारस्परिक विवाद शांतिपूर्ण मार्ग से हल करें।

क्या निम्न प्रश्नों के उत्तर देंगे?

- क्या अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा निर्माण हो जाने पर संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र हस्तक्षेप कर सकता है?
- मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रता के संवर्धन के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कौन-से कदम उठाए हैं?

संयुक्त राष्ट्र की रचना : संयुक्त राष्ट्र की सनद में इस संगठन की रचना तथा कार्य प्रणाली के संबंध में जानकारी दी गई है।

संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंग अथवा शाखाएँ हैं।

(१) आमसभा (२) सुरक्षा परिषद (३) आर्थिक और सामाजिक परिषद (४) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (५) न्यास मंडल (६) सचिवालय।

संयुक्त राष्ट्र – आमसभा

इन छह शाखाओं के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के कार्य में सहायता करने वाली संयुक्त राष्ट्र की अनेक संलग्न संस्थाएँ हैं। उन्हें विशेष कार्यात्मक संस्था कहते हैं। विशिष्ट कार्यक्षेत्र में काम करने वाली ये संस्थाएँ विश्व के राष्ट्रों को उन कार्यों में सहायता करती हैं। अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन (ILO), अन्न तथा कृषि संगठन (FAO), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), विश्व बैंक (WB), अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF), संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष (UNICEF), संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संघ (UNESCO) ऐसी कुछ महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ हैं।

आमसभा : संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश आमसभा के सदस्य होते हैं। देश अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, सभी सदस्य राष्ट्रों का स्थान और स्तर समान होता है। अर्थात प्रत्येक राष्ट्र के पास एक मत होता है। प्रतिवर्ष सितंबर से दिसंबर की कालावधि में आमसभा का अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में पर्यावरण, निरस्त्रीकरण जैसे महत्त्वपूर्ण वैश्विक विषयों पर चर्चा होती है। आमसभा के निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। ये निर्णय प्रस्ताव के स्वरूप में होते हैं। अर्थात आमसभा केवल प्रस्ताव पारित करती है। कानून नहीं बनाती। सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को एकत्रित होकर चर्चा करने के लिए, महत्त्वपूर्ण वैश्विक प्रश्नों पर नीति निर्धारण करने हेतु एक मंच के रूप में आमसभा का महत्त्व है।

आमसभा के कार्य

(१) सुरक्षा समिति के अस्थायी सदस्यों का चयन करना।

(२) सुरक्षा परिषद के साथ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करना।

(३) संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक अनुमान पत्र को मान्यता देना।

संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंग्रेजी, फ्रैंच, रूसी, स्पैनिश, चीनी और अरबी संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषाएँ हैं।

सुरक्षा परिषद : सुरक्षा परिषद में कुल १५ सदस्य होते हैं। उनमें से ५ सदस्य स्थायी और १० सदस्य अस्थायी स्वरूप के होते हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव प्रति दो वर्षों में आमसभा करती है। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। उन्हें नकाराधिकार का अधिकार है। किसी भी महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए ५ स्थायी सदस्य और कम से कम ४ अस्थायी सदस्यों का 'हाँ' करना आवश्यक होता है। स्थायी सदस्यों में से किसी भी सदस्य ने यदि नकाराधिकार का उपयोग किया अर्थात विरोध में मत दिया तो निर्णय लिया नहीं जा सकता।

सुरक्षा परिषद के कार्य

(१) अंतरराष्ट्रीय शांति एव सुरक्षा प्रस्थापित रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। अंतरराष्ट्रीय संघर्ष की परिस्थिति में संघर्ष समाप्त कर शांति प्रस्थापित करने के लिए प्रयत्न करना, आर्थिक प्रतिबंध लादना अथवा आक्रमक राष्ट्रविरोध में सैनिकी कार्रवाई करने का निर्णय लेना इनमें से कोई एक विकल्प सुरक्षा परिषद सुझाती है।

(२) सुरक्षा परिषद शस्त्रास्त्र नियंत्रण के लिए योजना तैयार करने का काम करती है।

(३) आमसभा के साथ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का चयन करने में सुरक्षा परिषद का सहभाग होता है।

सुरक्षा परिषद की रचना में परिवर्तन हो और उसका स्वरूप अधिक लोकतांत्रिक हो इस दृष्टि

से वर्तमान में संशोधन सुझाए जा रहे हैं। सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता प्राप्त हो इसके लिए भारत प्रयत्नशील है।

आर्थिक तथा सामाजिक परिषद : संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक नीतियों में समन्वय बनाए रखना इस परिषद का मुख्य उद्देश्य है। इस परिषद में कुल ५४ सदस्य होते हैं। आमसभा इनका चयन करती है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल ३ वर्षों का होता है तथा प्रति वर्ष एक तिहाई सदस्य नए सिरे से चुने जाते हैं। परिषद में बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं।

कार्य

(१) वैश्विक स्तर पर दरिद्रता, बेरोजगारी, आर्थिक तथा सामाजिक विषमता जैसे प्रश्नों पर चर्चा करना तथा उपाय सुझाना।

(२) स्त्रियों के प्रश्न, महिला सशक्तीकरण, मानवाधिकार, मूलभूत स्वतंत्रता, वैश्विक व्यापार, स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे प्रश्नों पर चर्चा कर निर्णय लेना।

(३) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक तथा शैक्षिक सहयोग प्रस्थापित करने का प्रयत्न करना।

(४) संयुक्त राष्ट्र से संलग्न विविध संगठनों के कामों में सूत्रबद्धता और समन्वय रखना।

सचिवालय : संयुक्त राष्ट्र के प्रशासकीय कामकाज सँभालने का दायित्व सचिवालय पर है। सचिवालय के प्रमुख को महासचिव कहते हैं। उनका चयन आमसभा और सुरक्षा परिषद करती है। उनका कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है।

कार्य

(१) जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, निरस्त्रीकरण जैसे वैश्विक प्रश्नों पर अंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करना।

(२) आमसभा तथा सुरक्षा परिषद की सभा आयोजित करना।

(३) जानकारी संकलन करना।

(४) प्रसार माध्यमों को जानकारी की आपूर्ति करना।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय : अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अर्थात संयुक्त राष्ट्र की न्यायालयीन शाखा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड देश में 'द हेग' में है। न्यायालय में कुल १५ न्यायाधीश होते हैं। उनका चयन आमसभा और सुरक्षा परिषद करती है। प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल ९ वर्षों का होता है।

कार्य

(१) संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में दो या अधिक राष्ट्रों के आपसी विवाद मिटाना।

(२) अंतरराष्ट्रीय कानून का उचित अर्थ लगाना।

(३) संयुक्त राष्ट्रसंघ की विविध शाखाओं या संलग्न संस्थाओं को कानून संबंधी प्रश्नों पर सलाह देना।

लेखन कीजिए।

* अब तक के महासचिवों के नाम लिखिए।
* क्या महासचिव को महासत्ता का नागरिक होना बंधनकारी है?
* किस राष्ट्र के नागरिकों को महासचिव पद के लिए प्रधानता दी जाती है?
* वर्तमान महासचिव कौन हैं तथा वे किस देश के हैं?

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय : अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय अंतरशासकीय संगठन है और एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण है, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड देश में 'द हेग' में है। वंश संहार, युद्धकालीन अपराध और मानवतावाद के विरुद्ध अपराध जैसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता उपस्थित करने वाले गंभीर अपराध में समाहित व्यक्ति के अपराधों की जाँच करना और उस पर मुकदमा (अभियोग) चलाने का काम यह न्यायालय करता है।

न्यासी मंडल : दूसरे विश्वयुद्ध के बाद के काल में जो प्रदेश या उपनिवेश अविकसित थे, उनके विकास का दायित्व कुछ विकसित राष्ट्रों पर सौंपा गया था। उन विकसित राष्ट्रों द्वारा ऐसे प्रदेशों के विकास में सहायता करना तथा उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने तथा वहाँ लोकतंत्र की स्थापना करने में सहायता करना अपेक्षित था और उनका उत्तरदायित्व न्यासी मंडल को सौंपा गया था। इस न्यासी मंडल का कार्य अब समाप्त हो चुका है।

न्यासी मंडल का कार्य १ नवंबर १९९४ को पलाऊ देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद समाप्त हो गया। पलाऊ फिलिपीन्स राष्ट्र के ५०० मीटर पूर्व में स्थित प्रशांत महासागर का एक द्वीप है।

स्थायी स्वरूप के विकास उद्देश्यः

संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों ने वर्ष २००० में एकत्रित होकर नए स्थायी स्वरूप के विकास उद्देश्य निश्चित किए। उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

- गरीबी व भूख का निर्मूलन करना।
- प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना।
- स्त्री सशक्तीकरण करना, बालमृत्यु की दर कम करना।
- गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देना।
- एड्स, मलेरिया आदि रोगों से लड़ना।
- पर्यावरण की रक्षा और विकसित तथा विकासशील देशों में सहयोग बढ़ाना।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निश्चित कालावधि निर्धारित की गई।

यूनिसेफ और यूनेस्को की सहायता से भारत ने स्थायी स्वरूप के विकास उद्देश्यों के लक्ष्य को प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है।

संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष अर्थात यूनिसेफ (UNICEF) यह संयुक्त राष्ट्र की संलग्न संस्था है। छोटे बच्चों को पौष्टिक आहार तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए यूनिसेफ कार्य करती है। यूनिसेफ की सहायता से भारत में बाल कुपोषण की समस्या पर उपाययोजना करने के लिए विविध कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं।

यूनेस्को (UNESCO) इस संयुक्त राष्ट्र से संलग्न इस संस्था की सहायता से शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में सहयोग बढ़ाकर विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयत्न किया है।

संयुक्त राष्ट्र और शांति रक्षा

संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संघर्ष को शांतिपूर्ण मार्ग से हल करना है। इस उद्देश्य को साध्य करने के लिए कौन-से मार्ग अपनाए जाए, यह संयुक्त राष्ट्र की सनद में कहा गया है। जिन राष्ट्रों में संघर्ष है उन राष्ट्रों को मान्य हो ऐसा कोई मध्यस्थ नियुक्त करना, न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग करना, संघर्ष सुलझाने के लिए मध्यस्थी प्राधिकरण स्थापित करना, आवश्यकता होने पर सैन्य शक्ति का उपयोग करना तथा पुनः संघर्ष न हो इसकी सावधानी रखना आदि मार्गों का इसमें समावेश है। आधुनिक काल में आतंकवाद, वंशवाद तथा धार्मिक संघर्ष के कारण मानवीय सुरक्षा के लिए खतरा निर्मित हो गया है। अतः संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा के कार्य को महत्त्व प्राप्त हो गया है। संघर्षग्रस्त प्रदेश में पुनः हिंसा न भड़के तथा शीघ्रतिशीघ्र सामान्य स्थिति निर्माण हो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र प्रयत्न करता है। जैसे-विद्यालय आरंभ करना, जनता में मानवाधिकार के संबंध में जागृति निर्माण करना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुविधा निर्माण करना, चुनाव लेना आदि।

* शिक्षकों की सहायता से युगोस्लाविया, नामिबिया, कंबोडिया, सोमालिया, हैती, थाइलैंड आदि राष्ट्रों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाई गई शांति रक्षा मुहिम की जानकारी प्राप्त कीजिए।
* संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के लिए सेना भेजने में कौन-से राष्ट्र अग्रसर हैं, इसकी सूची तैयार कीजिए।

भारतीय शांति सैनिक

संयुक्त राष्ट्र की शांति रक्षा : संघर्षग्रस्त प्रदेशों में स्थायी रूप में शांति निर्माण हो इसके लिए पोषक परिस्थिति निर्माण करने का काम इस उपक्रम द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक संघर्षग्रस्त प्रदेशों में शांति निर्माण करने की दिशा में सहायता करते हैं। संघर्षग्रस्त प्रदेश में सुरक्षा के साथ ही राजनैतिक तथा शांति स्थिरता के लिए सहायता की जाती है।

संपूर्ण विश्व में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो अनेक काम किए जाते हैं उनमें शांतिरक्षा एक काम है। इसकी पूरक अन्य कृतियों में निम्नलिखित बातों का समावेश है।

* संघर्ष प्रतिबंध और मध्यस्थ।
* प्रत्यक्ष शांति की स्थापना।
* शांति रक्षा के उपायों पर अमल करना।
* शांति स्थिरता।

संयुक्त राष्ट्र और भारत

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से पूर्व जो विविध परिषद हुई थीं उनमें भारत सहभागी हुआ था। निःउपनिवेशीकरण, निरस्त्रीकरण, वंशभेद जैसे अनेक प्रश्न संयुक्त राष्ट्र के मंच पर प्रस्तुत करने में भारत का सहभाग था। संयुक्त राष्ट्र में वर्ष १९४६ में वर्णद्वेष की समस्या प्रस्तुत करने वाला भारत पहला देश था। संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख अविकसित और विकासशील राष्ट्रों की समस्या पर हुई चर्चा में भारत ने स्थायी अगुवाई की है। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में सहभागी होने के लिए भारत ने हमेशा अपनी सेना भेजी है। इतना ही नहीं तो भारत ने केवल स्त्री सैनिकों की सेना भी भेजी है। अंतरराष्ट्रीय संघर्ष शांतिपूर्ण मार्ग से हल हो इसके लिए भारत प्रयत्नशील है, इससे यही दिखाई देता है।

स्वाध्याय

१. दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए।

(१) निम्नलिखित में से कौन-सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी रूप से सदस्य नहीं है?

(अ) अमेरिका (ब) रूस
(क) जर्मनी (ड) चीन

(२) भारत में बालकुपोषण की समस्या पर उपाय योजना करने हेतु विविध कार्यशाला आयोजित करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्थान।

(अ) यूनिसेफ (ब) यूनेस्को
(क) न्यास मंडल (ड) रेडक्रॉस

(३) संयुक्त राष्ट्र संगठन के वर्तमान सदस्य राष्ट्रों की संस्था –

(अ) १९० (ब) १९३

(क) १९८ (ड) १९९

२. निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य सकारण स्पष्ट कीजिए।

(१) आमसभा वैश्विक समस्याओं पर चर्चा करने का मंच है।

(२) संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों का स्तर समान नहीं होता।

(३) सुरक्षा परिषद में चीन द्‌वारा नकाराधिकार का उपयोग करने पर भी प्रस्ताव पारित हो सकता है।

(४) संयुक्त राष्ट्र के कार्य में भारत ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

३. निम्नलिखित अवधारणा स्पष्ट कीजिए।

(१) नकाराधिकार

(२) यूनिसेफ

४. संक्षेप में उत्तर लिखिए।

(१) संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना के कारण लिखिए।

(२) संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना कौन-सी भूमिका निभाती है?

(३) संयुक्त राष्ट्र के उद्‌देश्य लिखिए।

५. दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए।

(१) संयुक्त राष्ट्र की घटक शाखाओं के संबंध में जानकारी देने वाली निम्न तालिका पूर्ण कीजिए।

क्र.	शाखा	सदस्य संख्या	कार्य
१.	आमसभा		
२.	सुरक्षा समिति		
३.	अंतरराष्ट्रीय न्यायालय		
४.	आर्थिक तथा सामाजिक परिषद		

(२) संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का कालक्रम निम्न कालरेखा पर दर्शाएँ।

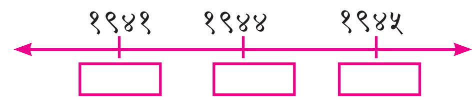

(३) संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में निम्न वृक्ष तालिका पूर्ण कीजिए।

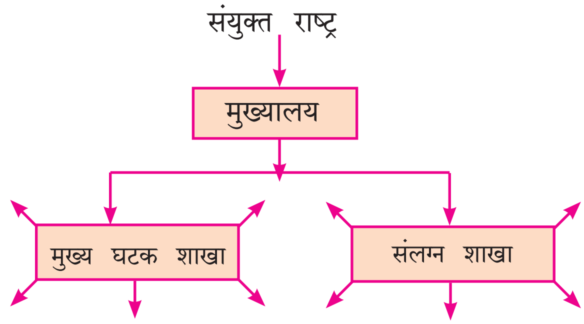

उपक्रम

(१) संयुक्त राष्ट्र बालकों और महिलाओं के विकास के लिए कौन-से उपक्रम कार्यान्वित करता है इसकी जानकारी संकलित कीजिए।

(२) विश्व स्वास्थ्य संगठन के विषय में जानकारी संग्रहित कीजिए।

५ भारत तथा अन्य देश

चलो दोहराई करेंगे !

पिछले अध्याय में हमने संयुक्त राष्ट्र इस अंतरराष्ट्रीय संगठन के विषय में तथा उसकी शांति और रक्षा की भूमिका के विषय में जानकारी प्राप्त की। शांति रक्षा के काम में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की हमेशा सहायता की, यह भी हमने जाना। प्रस्तुत अध्याय में हम भारत और पड़ोसी राष्ट्रों के संबंधों की समीक्षा करेंगे। भारत से दूर स्थित कुछ देशों के भारत के साथ किस प्रकार के संबंध हैं, यह भी हमें समझना है।

चलो खोजें ...

* दक्षिण एशिया के मानचित्र के आधार पर भारत की सीमा रेखा से कौन-कौन से राष्ट्र जुड़े हैं यह जान लीजिए।
* भारत के अलावा किन राष्ट्रों की सीमा एक दूसरे से जुड़ी हैं वह ढूँढ़िए।

भारत और पड़ोसी राष्ट्र

भौगोलिक और राजनैतिक दृष्टि से एशिया महाद्वीप में भारत का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत

भारत तथा पड़ोसी देश

के पड़ोसी राष्ट्रों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यानमार, नेपाल, भूटान, चीन तथा मालदीव का समावेश होता है। भारत की विदेश नीति में समानता, परस्पर आदर भाव जैसे मूल्यों को महत्त्व प्राप्त है। इन्हीं मूल्यों का अनुसरण करते हुए भारत ने पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध स्थापित किए हैं। भारतीय उप महाद्वीप में भारत विस्तार में सबसे बड़ा देश है। साथ ही; आर्थिक और तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से भी भारत अधिक विकसित है। अतः दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में भारत का प्रभाव रहना स्वाभाविक है।

भारत और पाकिस्तान

वर्ष १९४७ में भारत का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान इन दो स्वतंत्र देशों का निर्माण हुआ।

भारत-पाकिस्तान : भारत-पाकिस्तान देशों के संबंधों पर तीन समस्याओं का प्रभाव है। (१) दोनों राष्ट्रों के वैश्विक दृष्टिकोण में अंतर (२) कश्मीर समस्या (३) परमाणु शस्त्र संबंधी संघर्ष।

भारत और पाकिस्तान का विश्व की ओर देखने का दृष्टिकोण भिन्न है। भारतीय वैश्विक दृष्टिकोण के अनुसार भारत ने शीतयुद्धकालीन सैनिक संगठनों का विरोध किया और भारत-पाकिस्तान संघर्ष द्विपक्षीय अर्थात आपस में सुलझाने का प्रयत्न किया। वर्ष १९७२ में हुआ 'शिमला समझौता' इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित था। इसके विपरीत पाकिस्तान ने इस्लामी जगत से और चीन से संबंध बनाए रखने का प्रयत्न कर अमेरिकी सैन्य संगठन में प्रवेश किया।

भारत से संबंध प्रस्थापित करने में पाकिस्तान को कश्मीर सबसे बड़ा मुद्दा लगता है। कश्मीर के मुद्दे पर भारत-पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध वर्ष १९६५ में हुआ। दोनों देशों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए वर्ष १९६६ में 'ताश्कंद समझौता' हुआ; पर उससे कुछ साध्य नहीं हुआ। यद्यपि वर्ष १९७१ में हुआ युद्ध बांग्लादेश की निर्मिति को लेकर हुआ था तथापि कश्मीर समस्या भी उसका एक कारण था। वर्ष १९७२ के शिमला समझौते के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी लेन-देन के लिए एक नया प्रारूप तैयार किया। वर्ष १९९९ में कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा की गई घुसपैठ के कारण भारत और पाकिस्तान में पुनः संघर्ष निर्माण हुआ। आज भी दोनों देशों के संघर्ष का कारण कश्मीर है। संघर्ष का स्वरूप तो बदल गया है और संघर्ष के इस नए स्वरूप का वर्णन आतंकवाद की समस्या के नाम से किया जाएगा।

भारत और पाकिस्तान ने वर्ष १९९८ में परमाणु परीक्षण किए जिसके कारण इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए नई चिंता उत्पन्न हुई है। इन दोनों देशों में परमाणु संघर्ष न हो; ऐसा अनेक राष्ट्रों को लगता है। भारत-पाकिस्तान संबंधों में और एक समस्या अर्थात सर क्रीक क्षेत्र में सीमा संबंधी विवाद को लेकर है।

दोनों देशों ने आपसी वार्तालाप के प्रयत्न किए हैं परंतु पाकिस्तान जिस प्रकार से भारत के विरुद्ध आतंकवाद को समर्थन दे रहा है और आतंकवादी गतिविधियाँ करवा रहा है; उसे देखते हुए वार्तालाप के सारे प्रयत्न विफल हो रहे हैं।

भारत-चीन : भारत और चीन का संघर्ष दो समस्याओं से संबंधित है। (१) सीमा विवाद और (२) तिब्बत का दर्जा। भारत और चीन में जो सीमा विवाद है वह अक्साई चीन और मैकमोहन रेखा क्षेत्रों से संबंधित है। चीन का दावा है कि अक्साई चीन और मैकमोहन रेखा के दक्षिण की ओर का प्रदेश (अरुणाचल प्रदेश) चीन का भूप्रदेश है। मैकमोहन रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमारेखा है; यह चीन मान्य नहीं करता। यह सीमा विवाद बातचीत से हल हो जाए; इसके लिए भारत ने अनेक बार प्रयत्न किए परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। वर्ष १९६२ में चीन ने भारत पर आक्रमण किया।

पारंपरिक दृष्टि से तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र था। परंतु चीन द्वारा उस प्रदेश में लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते रहने से तिब्बत के दलाई लामा ने भारत में राजाश्रय लिया। यही मुद्दा दोनों देशों के बीच विवाद के लिए कारण बना है।

चीन और पाकिस्तान के बीच मित्रता, चीन द्वारा पाकिस्तान को की जाने वाली शस्त्रों की आपूर्ति और प्रक्षेपणास्त्र तथा परमाणु हथियारों का तकनीकी ज्ञान के कारण भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अतः पाकिस्तान तथा चीन की मित्रता तथा भारत के अन्य पड़ोसी राष्ट्रों के बीच चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए चिंता का विषय है। ऐसा होते हुए भी भारत ने चीन से संबंध सुधारने के हमेशा प्रयास किए हैं। इन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को चर्चा के माध्यम से सुलझाने के लिए संयुक्त कार्यकारी दल की स्थापना की गई है। चीन और भारत दोनों के आर्थिक विकास की गति बढ़ने के बाद दोनों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होना आरंभ हुए। दोनों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों में सुधार होने से रूस, चीन और भारत के बीच बार-बार चर्चा होने से धीरे-धीरे भारत-चीन संबंधों में सुधार हो रहा है। यद्‌यपि उनका सीमा विवाद हल नहीं हुआ है तथापि वह थोड़ा पिछड़ गया है। और अन्य क्षेत्र के संबंधों को भी महत्त्व प्राप्त हुआ है।

भारत और अन्य पड़ोसी राष्ट्र

अफगानिस्तान : अफगानिस्तान में राजनैतिक अस्थिरता बड़ी मात्रा में है। वहाँ तालिबान नामक आतंकवादी संगठन का वर्चस्व होना इसके लिए कारण है। अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता लाना, वहाँ चल रही हिंसा की रोकथाम करना, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने में सहायता करने के लिए भारत ने अफगानिस्तान की सहायता की है। इसी तरह युद्‌ध व्यवस्था के कारण नष्ट हुई परिवहन सुविधा का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान क्षेत्र में सहयोग, विद्‌यालय, स्वास्थ्य सुविधा, सिंचाई परियोजना का निर्माण करना जैसे सभी क्षेत्रों में भारत अफगानिस्तान की सहायता कर रहा है।

बांग्लादेश : वर्तमान बांग्लादेश अर्थात पहले का पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान के निर्माण के समय पाकिस्तान का विभाजन पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान में भाषाई अंतर था। इसी प्रकार अन्य राजनैतिक समस्याएँ भी थी। इसी कारण बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन का उदय हुआ। बांग्लादेश को पाकिस्तान के वर्चस्व से मुक्त करने में इस आंदोलन ने अगुवाई की। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत ने बांग्लादेशियों की सहायता की थी। वर्ष १९७१ में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच पानी के बँटवारे के संबंध में और सीमारेखा के संबंध में कुछ समझौते हुए। फलतः उनके बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होकर उनमें व्यापारिक संबंध बढ़ना आरंभ हो चुका है।

श्रीलंका : अपने पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। श्रीलंका में रहने वाले तमिलों और श्रीलंका सरकार के बीच चले संघर्ष के कारण वर्ष १९८५ के बाद श्रीलंका में राजनैतिक अस्थिरता निर्माण हो गई थी। उस समय श्रीलंका सरकार की सहायता के लिए भारत ने शांति सेना भेजी थी। सागरी क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से श्रीलंका के साथ मित्रता के संबंध महत्त्वपूर्ण हैं।

नेपाल : नेपाल और भूटान चारों ओर से पर्वतीय भूभाग से घिरे हुए देश हैं। उनकी सीमाएँ भारत और चीन से जुड़ी हैं। भारत और नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की नींव वर्ष १९५० में हुए भारत-नेपाल मित्रता समझौते द्‌वारा रखी गई। इस समझौते से नेपाल के नागरिकों को भारत में आसानी से न केवल प्रवेश ही अपितु सरकारी नौकरी और उद्‌योग करने की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) भी मिल गई है। नेपाल में राजतंत्र

था। वर्ष १९९० में नेपाल ने लोकतंत्र की दिशा में कदम बढ़ाया। आर्थिक प्रगति, बुनियादी सुविधाएँ, अनाज संबंधी आवश्यकता, व्यापार तथा ऊर्जा के किए नेपाल भारत पर निर्भर है। नेपाल में वर्ष २०१५ में आए भूकंप के समय भारत ने नेपाल की सहायता की थी।

भूटान : भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत पर है। भूटान में पानी का प्रचंड स्त्रोत है। इस पानी का उपयोग कर बड़ी मात्रा में बिजली निर्माण करने की परियोजना में भारत ने सहयोग दिया है।

म्यानमार : म्यानमार भारत के पूर्व की ओर स्थित दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को भारत से जोड़ने वाला प्रवेश द्‌वार है। इस भाग में विकसित हो रहे रेल मार्ग और राजमार्ग के कारण दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशिया एक दूसरे के साथ जोड़े जाएँगे। इससे इस प्रदेश का व्यापार तथा आर्थिक लेन-देन बढ़ेगा। म्यानमार से भारत प्राकृतिक वायु की आयात कर सकता है।

क्या आप जानते हो?

म्यानमार और आंग सी क्यू : म्यानमार में सैनिक शासन के विरुद्‌ध दीर्घकाल लड़कर लोकतंत्र स्थापित करने का श्रेय आंग सी क्यू को दिया जाता है। शांति के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

मालदीव : आरंभिक काल से ही भारत और मालदीव के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत के दक्षिण में स्थित यह राष्ट्र अनेक कारणों से भारत पर निर्भर है। वर्ष १९८१ से इन दो राष्ट्रों ने व्यापारी संबंध स्थापित किए हैं। बुनियादी क्षेत्रों का विकास, स्वास्थ्य, यातायात जैसे क्षेत्रों में भारत ने मालदीव की बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता की है। वर्ष २००६ के बाद उनमें रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग की शुरुआत हुई है। भारत ने मालदीव को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सहायता देना प्रारंभ किया है। अंतरिक्ष सहयोग, ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में दोनों राष्ट्रों में समझौते हुए हैं। इसी प्रकार आतंकवाद जैसी समस्या से लड़ने के लिए भी परस्पर सहयोग करने का निश्चय किया है।

भारत तथा अमेरिका

भारत तथा अमेरिका लोकतांत्रिक व्यवस्था के दो प्रबल राष्ट्र हैं। अमेरिका आरंभ से ही भारत का सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापरिक साझेदार था। अनेक भारतीय

दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन – सार्क

SAARC

सार्क दक्षिण एशियाई राष्ट्रों द्‌वारा वर्ष १९८५ में स्थापित किया गया प्रादेशिक संगठन है। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में आर्थिक सहयोग निर्माण करना तथा उसके माध्यम से संपूर्ण दक्षिण एशिया का विकास साध्य करना इस संगठन का उद्‌देश्य है। सार्क संगठन से तात्पर्य है सभी दक्षिण एशियाई देशों द्‌वारा एकत्रित होकर अपनी समान समस्याओं और समान हितों पर चर्चा करने हेतु बनाया गया मंच। दरिद्रता निर्मूलन, कृषि का विकास, तकनीकी ज्ञान की क्रांति ये दक्षिण एशियाई देशों के कुछ समान हितसंबंध हैं। दक्षिण एशियाई देशों को परस्पर व्यापार करना अधिक सरल हो इसलिए सार्क के मंच पर कुछ महत्त्वपूर्ण समझौते किए गए। उसके अनुसार संपूर्ण दक्षिण एशिया का एक मुक्त व्यापार क्षेत्र निर्माण करने का निश्चय किया गया है। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के समान विकास हेतु दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय जैसी संस्था और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का समझौता किया गया है।

* सार्क संगठन स्थापित करने के पीछे कौन-सा उद्‌देश्य है? * वर्तमान में सार्क के कितने सदस्य देश हैं? * दक्षिण एशियाई देशों के समान हितसंबंध कौन-से हैं?

शिक्षा और नौकरी हेतु अमेरिका जाते थे। वहाँ के इन अनिवासी भारतीयों के कारण अमेरिका और भारत में सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक संबंध बढ़ते गए हैं। शीतयुद्ध के बाद भारत और अमेरिका में सुरक्षा संबंधी संबंध बड़ी मात्रा में बढ़े। भारत द्‌वारा आर्थिक उदारीकरण की नीति स्वीकार करने के बाद धीरे-धीरे भारत की आर्थिक प्रगति की गति बढ़ने लगी। परिणामस्वरूप भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध अधिक दृढ हो गए।

वर्ष १९९८ में भारत द्‌वारा परमाणु परीक्षण करने के बाद कुछ समय तक भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव निर्माण हुआ था। इसके बाद संबंधों में सुधार हो इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच बातचीत की अनेक बैठकें ली गईं। कई बार चर्चाएँ हुईं। इन चर्चाओं द्‌वारा अमेरिका को यह विश्वास हो गया कि भारत परमाणु हथियारों का दायित्व पूर्वक उपयोग करेगा। इसके बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में आमूलाग्र परिवर्तन हुआ। वर्ष २००५ में हुआ सुरक्षा संबंधी सहयोग का समझौता और वर्ष २००८ में हुआ परमाणु सहयोग का समझौता भारत-अमेरिका के संबंधों के महत्त्वपूर्ण चरण हैं। विगत ५ वर्षों में भारत और अमेरिका के दरमियान सभी क्षेत्रों में सहयोग के संबंध निर्माण हुए हैं।

क्या आप जानते हैं?

वर्ष २००५ में भारत और अमेरिका के बीच नागरी परमाणु सहयोग समझौते को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और अमेरिका के अध्यक्ष जॉर्ज बुश ने मान्यता दी। वर्ष २००८ में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने इस समझौते को अनुमति दी। इस समझौते के कारण भारत को अन्य देशों से परमाणविक तकनीकी ज्ञान मिलना संभव हो गया है।

भारत और रूस

भारत और सोविएत संघ और वर्तमान रूस के बीच प्रारंभ से ही मित्रता के संबंध थे। शीतयुद्‌ध के काल में वर्ष १९७१ में उनमें मित्रता का समझौता हुआ तथा उसमें से रक्षा संबंधी उसी प्रकार आर्थिक और तकनीकी वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा मिला। सोविएत संघ ने भारत को बड़ी मात्रा में आर्थिक और सैन्य सहायता भी दी थी।

सोविएत संघ का विघटन हो जाने पर भारत ने रूस के साथ संबंध बढ़ाने का प्रयत्न किया। आरंभ में रूस की राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं के कारण संबंधों में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ। वर्ष १९९६ के बाद भारत और रूस के बीच संबंध धीरे-धीरे सुधरने लगे। सैन्य सामग्री का उत्पादन, खनिज तेल उत्पाद जैसे क्षेत्रों में भारत और रूस ने संयुक्त परियोजनाएँ शुरु कीं।

भारत और यूरोपीय राष्ट्र

यूरोपीय राष्ट्रों और भारत के बीच व्यापारिक संबंध हैं। प्रमुख रूप से जर्मनी और फ्रांस भारत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में निवेश करते हैं। इसके अतिरिक्त भारत को यूरोपीय राष्ट्रों की ओर से शस्त्रास्त्र निर्मिति का तकनीकी ज्ञान भी मिलता है। अभियांत्रिकी और सूचना-तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में भारत बड़ा निर्यात करने वाला देश है। दोनों का ही प्रमुख उद्‌देश्य खुले व्यापार पर बल देना है। इसके अलावा भारत और यूरोपीय राष्ट्र अन्य अनेक बातों में सहयोग की भूमिका निभाते हैं। जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, सुरक्षा उत्पादन, साइबर सुरक्षा, अनुसंधान, रेल प्रबंधन, आपात प्रबंधन, हवाई सुरक्षा तथा आतंकवाद इन संदर्भों में अनेक समझौते किए गए हैं। भारत के विकास की दृष्टि से ये सहयोग अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

आओ, खोजें...

* यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई?
* यूरोपीय बाजार, यूरोपीय मुद्रा इनके विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए।

भारत और अफ्रीका महाद्वीप

भारत और अफ्रीका महाद्वीप के सहयोग के लिए भारत ने सप्रयोजन कदम उठाए हैं। अफ्रीका के साथ निकट के संबंध होना दोनों की दृष्टि से लाभदायी है। अफ्रीका के अनेक देश तीव्र गति से आर्थिक उन्नति कर रहे हैं। भारत ने अफ्रीका में युवा वर्ग का सर्वांगीण विकास होने के लिए सहायता करने की तैयारी दिखाई है, शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान, कृषि, पर्यटन जैसे सभी क्षेत्रों में विकास होने के लिए भारत ने आर्थिक सहायता करने की, अनुदान देने की तैयारी दिखाई है; तो भारत की ऊर्जा की आवश्यकता अफ्रीका के ऊर्जा संपन्न देश – इजिप्त, नाइजीरिया, अंगोला, सूडान पूरी कर सकते हैं। अफ्रीका के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए भारत प्रयत्नशील है।

वर्ष २०१५ में संपन्न हुई भारत और अफ्रीका शिखर परिषद में अफ्रीका के सभी ५४ राष्ट्रों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस परिषद में अनेक वैश्विक समस्याओं पर चर्चा की गई। जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, समुद्री तस्करी आदि।

भारत तथा इंडो-पैसिफिक

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में प्रमुख रूप से जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का समावेश था। इन सभी राष्ट्रों से भारत के घनिष्ठ आर्थिक और व्यापारी संबंध हैं। वहाँ की अनेक कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया इनमें सामाजिक सुरक्षा, अपराधियों का प्रत्यार्पण, नशीले पदार्थों की तस्करी विरोधी अभियान, पर्यटन, कला-संस्कृति इन क्षेत्रों में विविध अनुबंध किए गए हैं; तो बुनियादी सुविधा, आर्थिक सहयोग, संरक्षण, सूचना प्रोद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा और रेल जैसे अनेक क्षेत्रों के विकास के लिए जापान भारत को सहयोग करता है। जापान ने भारत को सागरी क्षेत्र के विकास और सुरक्षा के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता देना स्वीकार किया है। दोनों देशों के तटरक्षक दल और नौसेना में संयुक्त अभ्यास होता है।

भारत तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया

आरंभ से ही भारत का इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपीन्स, थाइलैंड, म्यानमार, विएतनाम, लाओस, कंबोडिया तथा ब्रुनेई जैसे दक्षिण-पूर्वी एशिया के राष्ट्रों से सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। वर्ष १९९१ के बाद भारत ने अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन कर आर्थिक उदारीकरण को स्वीकार किया। उसके बाद दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के साथ चल रहे व्यापारी संबंधों में अधिक वृद्धि हुई है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों से व्यापार बढ़ाने की यह नीति 'पूर्व की ओर देखो' (Look East) नाम से पहचानी जाती है। वर्ष २०१४ के बाद यह नीति अधिक सक्रिय की गई। वर्तमान में यह नीति 'कृति करें' (Act East) नाम से पहचानी जाती है।

भारत और पश्चिम एशिया : पश्चिम एशिया के देश प्रमुख रूप से तेल तथा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने वाले देश हैं। भारत के पश्चिम एशियाई राष्ट्रों से पारंपरिक संबंध हैं। भारत पश्चिम एशियाई राष्ट्रों से प्राप्त होने वाले तेल पर निर्भर है। ईरान, बहरीन, कुवैत, सउदी अरब, संयुक्त अरब अमिरात इन राष्ट्रों की ओर से भारत तेल का आयात करता है; तो कृषि के लिए हमें आधुनिक तकनीकी ज्ञान इजराइल से मिलता है। उसी प्रकार रक्षा संबंधी आधुनिक सामग्री भी इजराइल से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त नौकरी-व्यवसाय के लिए अनेक भारतीय वहाँ रहते हैं। अपनी आर्थिक व्यवस्था में उनका भी योगदान महत्त्वपूर्ण है।

सभी राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण संबंध रखना और अपने साथ अन्य राष्ट्रों का भी विकास हो इसके लिए एक-दूसरे की सहायता करना भारत की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य है।

हमने यहाँ भारत और विश्व के महत्त्वपूर्ण देशों के संबंधों की संक्षेप में समीक्षा की। अगले अध्याय में हम कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय अथवा वैश्विक समस्याओं का अध्ययन करेंगे।

स्वाध्याय

१. दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए।

(१) वह देश जिसकी भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा खुली है-

(अ) पाकिस्तान (ब) बांग्लादेश

(क) नेपाल (ड) म्यानमार

(२) भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध रखने वाले देश-

(अ) पाकिस्तान तथा चीन

(ब) नेपाल तथा भूटान

(क) म्यानमार तथा मालदीव

(ड) अफगानिस्तान तथा अमेरिका

(३) भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर प्रभाव डालने वाले मुद्दे

(अ) दोनों राष्ट्रों के वैश्विक दृष्टिकोण में अंतर

(ब) कश्मीर समस्या

(क) परमाणु संबंधी संघर्ष

(ड) उपर्युक्त सभी समस्याएँ

२. निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य सकारण स्पष्ट कीजिए।

(१) दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में भारत का स्थान महत्त्वपूर्ण है।

(२) भारत -चीन संबंध मित्रतापूर्ण हैं।

(३) श्रीलंका सरकार की सहायता के लिए भारत ने शांति सेना भेजी।

३. दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए।

१. निम्नलिखित तालिका पूर्ण कीजिए।

क्र.	समझौते / लेन-देन	संबंधित देश
१.	....	भारत-पाकिस्तान
२.	मैकमोहन रेखा	....
३.	....	भारत-बांग्लादेश
४.	प्राकृतिक गैस का आयात	....
५.	....	भारत-अमेरिका
६.	बुनियादी विकास, परिवहन स्वास्थ्य	....
७.	....	भारत-अफ्रीका

४. टिप्पणी लिखिए।

(१) शिमला समझौता

(२) भारत-नेपाल मित्रता समझौता

(३) मैकमोहन रेखा

(४) भारत-अफगानिस्तान संबंध

५. निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए।

(१) भारत-अमेरिका के बीच सहयोग के संबंध निर्माण होने की पार्श्वभूमि स्पष्ट कीजिए।

(२) पड़ोसी राष्ट्र में लोकतंत्र प्रस्थापित होने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयत्नों के संबंध में उदाहरण सहित जानकारी लिखिए।

(३) दक्षिण एशियाई प्रादेशिक सहयोग संगठन कौन-से कार्य करता है?

६. अपना मत लिखिए।

(१) भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए आप कौन-से उपाय सुझाएँगे?

(२) 'भारत के पड़ोसी राष्ट्रों से तनावपूर्ण संबंध होने से अंतर्गत विकास में रुकावट निर्माण होती है।' क्या इस कथन से आप सहमत हैं? सकारण स्पष्ट कीजिए।

(३) क्या आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका के साथ भारत के दृढ़ संबंध भारत के विकास के लिए पोषक सिद्ध होते हैं? सकारण स्पष्ट कीजिए।

उपक्रम

(१) राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा की जानकारी प्राप्त कीजिए।

(२) विविध देशों के 'यूथ एक्सचेंज' कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त कीजिए।

६ अंतरराष्ट्रीय समस्या

चलो दोहराई करेंगे !

पिछले अध्याय तक हमने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रभुत्व संपन्न राज्य, भारत की विदेश नीति तथा भारत की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया। अंतरराष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र के उद्‌देश्यों का अध्ययन किया। इस अध्याय में हम कुछ महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करेंगे। कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं जो केवल एक ही देश की नहीं होतीं। उनके परिणाम अनेक देशों पर तथा कुछ दिनों बाद विश्व के सभी देशों पर होते हैं। विश्व को त्रस्त करने वाली इन समस्याओं को 'अंतरराष्ट्रीय समस्या' कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए सभी राष्ट्रों द्‌वारा एकत्रित प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में हम मानवाधिकार, पर्यावरण और आतंकवाद इनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन करेंगे। शरणार्थियों की समस्या भी अब अंतरराष्ट्रीय स्वरूप ले रही है। अतः हम उसका भी विचार करेंगे।

मानवाधिकार : मानवाधिकार की अवधारणा का उदय प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में दिखाई देता है। प्राकृतिक अधिकार से तात्पर्य है मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर जो अधिकार प्राप्त होते हैं; वे अधिकार। अतः मानवाधिकार से तात्पर्य है मनुष्य के रूप में तथा समाज के एक घटक के रूप में जीने के लिए आवश्यक अधिकार। अमेरिका तथा फ्रांस की राज्यक्रांति के समय स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय जैसे मानवाधिकारों का समर्थन किया गया था। इन अधिकारों की आपूर्ति करने के लिए लोकतांत्रिक शासन का होना आवश्यक है, इस विचार को बल मिला। उसके बाद के समय में यूरोप में अनेक राष्ट्रों ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और संविधान को स्वीकार किया। इससे शासन के अधिकार सीमित हो गए। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी गई।

अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय : संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो जाने पर मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणापत्र तैयार किया गया। १० दिसंबर १९४८ को संयुक्त राष्ट्र की आमसभा में यह घोषणापत्र बहुमत से पारित किया गया। इसके बाद वर्ष १९६६ में नागरी और राजनैतिक अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय समझौता तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता इन दो समझौतों को संयुक्त राष्ट्र की आमसभा ने मान्यता दी। ये दोनों समझौते अंतरराष्ट्रीय कानून के भाग हैं। इन समझौतों का पालन करना सदस्य राष्ट्रों के लिए अनिवार्य है।

> मानवाधिकारों में जीने का अधिकार, अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य इन प्रमुख अधिकारों का समावेश होता है। ये अधिकार मौलिक होते हैं। ये अधिकार सभी को प्राप्त हों यह देखना राज्य का दायित्व होता है।

शीतयुद्‌ध के काल में मानवाधिकार का प्रश्न अनेक बार संयुक्त राष्ट्र की आमसभा में प्रस्तुत किया गया। अफ्रीका का वर्ण द्‌वेष मानवाधिकार विरोधी है इसीलिए वर्ण द्‌वेषी शासनों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। उपनिवेशों को स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक व्यवस्था का आग्रह ये उसी के कुछ उदाहरण कहे जा सकते हैं।

आधुनिक काल में वंशवाद, सीमावाद, आतंकवाद जैसी समस्याओं के कारण मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। साथ ही अनेक वैश्विक प्रश्न जैसे संक्रामक रोग, पर्यावरण के लिए खतरा, प्राकृतिक आपदा के कारण मानवाधिकारों की अवधारणा भी अब अधिक व्यापक हो गई है। पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत विकास का भी समावेश मानवाधिकारों में किया जाता है।

क्या आप जानते हैं?

मानवाधिकार के घोषणापत्र में कुल ३० धाराएँ हैं। इस घोषणापत्र में नागरी स्वतंत्रता संबंधी धाराएँ हैं। उसी प्रकार रोजगार का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन जैसे आर्थिक अधिकारों का प्रावधान भी हैं। सभी सदस्य राष्ट्र अपने नागरिकों को मानवाधिकार दें; यह अपेक्षा की जाती है। मानवाधिकार के घोषणापत्र की तरह ही बालकों के अधिकारों का घोषणापत्र २० नवंबर १९५९ को प्रसारित किया गया।

मानवाधिकार और भारत : भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों का स्थान दिया गया है। संविधान के मौलिक अधिकारों के साथ ही कमजोर वर्ग, महिला, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दायित्व सरकार पर है। वर्ष १९९३ में मानवाधिकार सुरक्षा कानून बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' तथा 'राज्य मानवाधिकार आयोग' स्थापित किए गए हैं। मानवाधिकार का

करके देखिए

यहाँ कुछ समस्याएँ दी गई हैं। उनका राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय दो गुटों में वर्गीकरण कीजिए।

कमजोर वर्ग का सशक्तीकरण	
सार्वजनिक अस्वच्छता	आतंकवाद
मानवाधिकार हनन	अर्थव्यवस्था का निजीकरण
गरीबी, निरक्षरता	सार्वजनिक परिवहन जाम
ओजोन की परत पतली होना	आंतरिक मतभेद

हनन होने पर उससे संबंधित शिकायत पर ध्यान देना तथा उस संबंध में उचित कार्रवाई करना मानवाधिकार आयोग का दायित्व है।

बताइए तो !

वर्तमान में भारतीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?

पर्यावरण : वर्तमानकाल में मानवाधिकार की अवधारणा अधिक व्यापक हो गई है तथा ऐसा माना जाता है कि सुरक्षित पर्यावरण एक महत्त्वपूर्ण मानवाधिकार है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ष १९७० में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता और आवश्यकता प्रस्तुत की गई थी। बढ़ता औद्योगिकीकरण और ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता के कारण पर्यावरण के लिए खतरा निर्माण हो रहा है; ऐसा पर्यावरण विशेषज्ञों का मत था। उन कार्यकर्ताओं ने २२ अप्रैल १९७० को प्रथम वसुंधरा दिवस मनाया। खेतों में बड़ी मात्रा में उपयोग में लाई जाने वाली रासायनिक खादें और कीटनाशक औषधियाँ, वाहनों के कारण उत्पन्न होने वाला ध्वनि प्रदूषण, परमाणु ऊर्जा भट्ठियों से होने वाला किरणोत्सर्ग, तेल रिसाव अथवा रासायनिक गैसों का रिसाव आदि के कारण पर्यावरण असुरक्षित बनता है और विविध समस्याएँ निर्माण होती हैं। इस अनुभूति से पर्यावरण सुरक्षा का प्रश्न अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आने लगा।

वर्ष १९९० के बाद वैश्वीकरण की बाढ़ आने पर राष्ट्रों का परस्परावलंबन बढ़ गया और उस कारण पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए राष्ट्रों को आपसी सहयोग की आवश्यकता निर्माण हुई। वातावरण प्रदूषित होने अथवा तेल या गैस का रिसाव होने के कारण पर्यावरण के लिए निर्माण होने वाला खतरा एक राष्ट्र तक सीमित नहीं रहता है। उसके परिणाम भी दीर्घकालीन होते हैं। अतः इन समस्याओं के निवारण हेतु उपाय योजना करने के लिए राष्ट्रों

को एकत्रित होकर सहमति और सहयोग से कार्य करना आवश्यक जान पड़ता है।

वनस्पति और प्राणियों की प्रजातियाँ नष्ट होना, मृदा की उर्वराशक्ति कम होना, पानी की किल्लत, वर्षा की मात्रा कम-अधिक होना, तापमान बढ़ना, नदियाँ, तालाब सूखना, नदियों और समुद्र का प्रदूषण, नए रोगों की निर्मिति, एसिड वर्षा, ओजोन की परत का क्षीण होना ये सब पर्यावरण ह्रास के दुष्परिणाम हैं। इनमें से कुछ परिणाम विशिष्ट राष्ट्र तक सीमित होते हुए भी उनके दीर्घकालीन परिणामों के कारण उन प्रश्नों को वैश्विक स्वरूप प्राप्त हुआ है तो कुछ प्रश्न मूल में ही वैश्विक स्वरूप के होते हैं।

पर्यावरण की रक्षा : एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर

करके देखिए ।

✻ विशिष्ट राष्ट्र तक सीमित पर वैश्विक स्वरूप के प्रश्न निर्माण करने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के उदाहरण दीजिए।

करके देखिए ।

इंटरनेट की सहायता से पेरिस परिषद के विषय में जानकारी लें और निम्न मुद्दों के आधार पर जानकारी संकलित करें।

✻ सहभागी देशों की संख्या।
✻ चर्चा के विषय।
✻ भारत द्‌वारा उपस्थित किए गए मुद्दे।

स्टॉकहोम से पेरिस परिषद

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी तत्कालीन और दीर्घकालीन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए तथा उनपर उपाय खोजने के लिए स्टॉकहोम में ५ से १६ जून १९७२ की कालावधि में संयुक्त राष्ट्र की मानवीय पर्यावरण संबंधी परिषद आयोजित की गई।

- इस परिषद में प्रदूषण को मात देने हेतु सहयोग करना सभी राष्ट्रों की जिम्मेदारी है, इसपर बल दिया गया।
- विकसित देश अधिक मात्रा में पर्यावरण ह्रास के लिए जिम्मेदार हैं और इस ह्रास को रोकने की जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। ऐसी भूमिका विकासशील राष्ट्रों ने ली। आज भी विकासशील राष्ट्र यही भूमिका प्रस्तुत करते हैं।
- इस परिषद में पर्यावरण के लिए काम करने वाली गैरसरकारी संस्थाएँ उपस्थित थीं, यह इस परिषद की और एक विशेषता है।
- इस परिषद में वैश्विक, सामाजिक संपत्ति की रक्षा का मुद्‌दा प्रस्तुत किया गया। इन साधनों के संरक्षण का दायित्व सभी राष्ट्रों पर है, इसपर सभी एकमत हो गए।
- इस परिषद के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' निर्माण किया।
- इस परिषद के बाद अनेक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी समझौते हुए। पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियम तैयार हुए। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी आंदोलन बड़ी मात्रा में शुरु हो गए और पर्यावरण संबंधी अंतरराष्ट्रीय परिषद में निर्णय प्रक्रिया में गैरसरकारी संगठनों का सहभाग बढ़ गया।
- इसका अगला चरण अर्थात वर्ष १९९२ में हुई रियो में हुई पर्यावरण परिषद। इस परिषद में 'स्थायी विकास' इस अवधारणा पर बल दिया गया। जैविक विविधता, हरित गृह वायु के कारण वातावरण में होने वाला परिवर्तन, जंगल की रक्षा आदि विषयों पर विविध समझौते किए गए।

वर्ष १९९७ में क्वेटा में आयोजित परिषद में विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए मापदंड निर्धारित कर दिए गए। यह मापदंड १५ वर्षों तक जारी रहा।

उसके बाद नवंबर २०१५ में पेरिस में जलवायु परिवर्तन विषय पर परिषद आयोजित की गई। इस परिषद में सभी राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए तथा तापमान वृद्धि रोकने के लिए आपसी सहयोग के साथ प्रयत्न करें तथा विकासशील देशों को उसके लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने में विकसित राष्ट्र सहायता करें ऐसा आह्वान किया गया।

क्या आप जानते हैं?

महासागर, गहरा समुद्र तल, वातावरण, बाह्य अंतरिक्ष, अनुवांशिक संसाधन का समावेश वैश्विक संसाधन में होता है। ये संसाधन विश्व के सभी राष्ट्रों के होने के कारण सभी राष्ट्रों द्वारा उसकी देखभाल करना अपेक्षित है।

आतंकवाद : वर्तमान में यह एक बड़ी समस्या है। विश्व के अनेक राष्ट्रों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विश्व का कोई भी राष्ट्र केवल अपने बल पर आतंकवाद का सामना करने में असमर्थ है। इसीलिए आतंकवाद यह वैश्विक समस्या मानी जाती है।

आतंकवाद से तात्पर्य क्या है?

राजनैतिक उद्देश्य साधने के लिए सर्वसामान्य और निरपराध नागरिक व्यवस्था के विरुद्ध हिंसा का उपयोग करना अथवा वैसे धमकी देना और उसके अनुसार समाज में डर और आतंक फैलाना ही आंतकवाद कहलाता है। आतंकवाद संगठित और नियोजित पद्धति से की गई हिंसा है।

आतंकवाद का अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर दूरगामी परिणाम हुआ है। विगत दो दशकों में विविध राष्ट्रों में आतंकवादी संघर्ष तीव्र गति से बढ़ता ही गया है। आंतकवादी संघर्ष पारंपारिक युद्ध की अपेक्षा अलग होता है। पारंपरिक युद्ध दो या अधिक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों के बीच का संघर्ष होता है। ऐसे युद्ध में प्रमुख रूप से राष्ट्रों की भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा का महत्त्व होता है अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा भौगोलिक सीमाओं से संबंधित होती है; तो आतंकवादी समूह विश्व के किसी भी कोने से कहीं भी हिंसात्मक गतिविधियाँ करवा सकता है। आतंकवादी हमले का उद्देश्य भौगोलिक सीमाओं को हानि पहुँचाना नहीं, बल्कि देश की राजसत्ता को चुनौती देना अथवा सरकार के अस्तित्व को नकारना होता है अर्थात बढ़ते आतंकवाद से देश की बाह्य सुरक्षा के साथ ही आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा निर्माण होता है।

आतंकवाद की रोक-थाम करने के लिए विविध राष्ट्रों की सुरक्षा प्रणाली में आपसी सहयोग से काम करना आवश्यक हो गया है।

ढूँढ़िए तो !

* सीरिया से अनेक नागरिक शरणार्थी क्यों हो रहे हैं?
* विश्व के और किन राष्ट्रों से शरणार्थी के रेले आ रहे हैं?

शरणार्थियों की समस्या : जिन व्यक्तियों को अनिच्छा से अथवा जबरदस्ती अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ती है तथा सहारा पाने के लिए अथवा सुरक्षा की दृष्टि से अन्य राष्ट्र में जाने के लिए विवश होना पड़ता, है ऐसे लोगों को 'शरणार्थी' कहा जाता है। विशिष्ट वंश, धर्म के लोगों के साथ अत्याचार होना अथवा उन्हें निकाल देना, युद्ध या आपदा के कारण अपने देश का त्याग करने पर बाध्य होना आदि के कारण लोग शरणार्थी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में अपना देश छोड़कर दूसरे राष्ट्र में आश्रय माँगने की नौबत आती है।

दूसरे विश्वयुद्ध से पूर्व जर्मनी में ज्यू लोगों के साथ अत्याचार हुआ, उनकी नागरिकता और संपत्ति छीन ली गई। इस कारण ज्यू लोग शरणार्थी हो गए। वर्ष १९७१ में पूर्व पाकिस्तान की जनता के साथ राजनैतिक और धार्मिक अत्याचार होने के कारण वहाँ के लोग शरणार्थी हो गए और भारत के आश्रय में आ गए। विगत कुछ वर्षों में इराक और सीरिया में युद्धजन्य परिस्थिति के कारण वहाँ से बड़ी मात्रा में लोग शरणार्थी होकर बाहर निकल रहे हैं। शरणाीर्थियों के ऐसे अनेक उदाहरण आपको बताए जा सकते हैं।

शरणार्थियों को संयुक्त राष्ट्र की सहायता

किसी भी राष्ट्र के लोगों को जब शरणार्थी होने अर्थात अपना देश छोड़ने की नौबत आती है तब उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महत्त्वपूर्ण समस्या तो यह होती है कि अपना देश छोड़कर कहाँ जाएँ? और क्या वह राष्ट्र हमें स्वीकार करेगा? ये प्रश्न उनके सामने होते हैं। दूसरे अर्थात अपने साथ-साथ परिवार के लोगों को सुरक्षित रूप से ले जाना। इसका जबरदस्त शारीरिक और मानसिक तनाव होता है। इसके साथ ही कठिन रास्ता, छिपते-छिपाते जाना, प्राकृतिक समस्या जैसे, धूप, वर्षा, आँधी-तूफान, खाद्यान्न का अभाव, बीमारी, पीछा करता शत्रु आदि समस्याएँ होती ही हैं। इससे कई लोगों की मृत्यु हो जाती है।

सुरक्षित स्थान पर पहुँचने पर नई समस्याएँ होती हैं। काम की तलाश, रहने की जगह और अन्य रोजमर्रा की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरे राष्ट्र की भाषा तथा संस्कृति भिन्न होगी तो उनसे तादात्म्य होने में अड़चनें आती हैं। जिस राष्ट्र में शरणार्थी आश्रय लेते हैं वहाँ का समाज उन्हें स्वीकार करेगा ही ऐसा कहा नहीं जा सकता। इसके विपरीत शरणार्थियों की संख्या बढ़ जाने के कारण राष्ट्र पर अधिक बोझ बढ़ता है। जीवनावश्यक वस्तुओं की किल्लत निर्माण होती है, अपराध की मात्रा बढ़ जाती है, महँगाई बढ़ती है। स्थानीय लोगों की नौकरी पर संकट आता है। शांति और सुव्यवस्था की समस्या निर्माण होती है। ऐसी अनेक समस्याएँ निर्माण होती हैं। इस कारण शरणार्थियों को आश्रय देने हेतु और उनका पुनर्वास करने हेतु अनेक राष्ट्र तैयार नहीं होते।

शरणार्थियों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ष १९५१ में कुछ प्रावधान किए गए। उसके अनुसार शरणार्थियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके मूल देश में वापस नहीं भेजा जा सकेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार उनके प्रश्न हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्च आयुक्त का कार्यालय भी स्थापित किया गया है।

मानवाधिकारों का संरक्षण और उनका संवर्धन सभी राष्ट्रों द्वारा किए जाने पर अन्याय, शोषण तथा हिंसाचार कम होंगे। सभी लोगों को सुरक्षा के साथ अपना विकास करना संभव हो पाएगा। पर्यावरण की रक्षा कर आतंकवाद का उन्मूलन करने पर मानवाधिकार अधिक प्रभावशाली ढंग से अमल में लाया जा सकेगा। विश्व में किसी भी जनसमूह को शरणार्थी होना नहीं पड़ेगा। इसके लिए प्रयत्न होने पर मानवीय असुरक्षा दूर होगी। इसके लिए सभी राष्ट्रों को एकत्रित आना, आपसी सहयोग बढ़ाना, ठोस कृति करना तथा प्रत्यक्ष में बदलाव लाना आदि प्रयत्न करने चाहिए।

अगले वर्ष हम इस आधार पर स्वतंत्र भारत ने कौन-सी प्रगति की है; इसका अध्ययन करेंगे।

स्वाध्याय

१. दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए।

(१) निम्नलिखित में से कौन-सी समस्या अंतरराष्ट्रीय स्वरूप की है?
(अ) महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावाद
(ब) कावेरी जल बँटवारा
(क) शरणार्थियों की समस्याएँ
(ड) आंध्र प्रदेश का नक्सलवाद

(२) निम्नलिखित में से किस अधिकार का समावेश मानवाधिकार में नहीं होता?
(अ) रोजगार का अधिकार
(ब) सूचना का अधिकार
(क) बालकों का अधिकार
(ड) समान काम के लिए समान वेतन

(३) निम्नलिखित में से कौन-सा दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है?
(अ) शिक्षक दिन
(ब) बाल दिन
(क) वसुंधरा दिन
(ड) ध्वज दिन

२. निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य सकारण स्पष्ट कीजिए।

(१) पर्यावरणीय ह्रास पर उपाय योजना खोजने के लिए सभी राष्ट्रों द्वारा सहयोग करना आवश्यक है।

(२) शरणार्थियों को आश्रय देने के लिए राष्ट्र तैयार रहते हैं।

३. निम्नलिखित अवधारणा स्पष्ट कीजिए।

(१) मानवाधिकार (२) पर्यावरणीय ह्रास
(३) आतंकवाद

४. निम्न अवधारणा चित्र पूर्ण कीजिए।

पर्यावरणीय ह्रास

कारण	दृश्य परिणाम
१.	१.
२.	२.
३.	३.
४.	४.

उपाययोजना
१.
२.
३.
४.

५. अपना मत लिखिए।

(१) मानवाधिकार स्थापित करने में भारत की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

(२) आतंकवाद के क्या परिणाम होते हैं यह बताकर आतंकवाद की रोकथाम के लिए उपाय सुझाइए।

उपक्रम

(१) शिक्षक की सहायता से राज्य बाल अधिकार आयोग की जानकारी प्राप्त कीजिए।

(२) चीन का 'गौरैया मारो' आंदोलन और भारत का 'चिपको आंदोलन' की जानकारी प्राप्त कीजिए।

(३) क्या बड़े बाँध के कारण समस्या निर्माण होती है? अपना मत लिखिए।

(४) विद्यालय में संपन्न 'वसुंधरा दिवस' का वृत्तांत लिखिए।

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

इतिहास व राज्यशास्त्र इ. ९ वी (हिंदी माध्यम)

₹ 54.00